Wednesday, 23 November, 1960

लोक-सभा
वाद-विवाद

Second Lok Sabha

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 29.11.82
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १	सोमवार, १४ नवम्बर, १९६०	पृष्ठ
	२३ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९		१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		
तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२		२३—२९
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३		४०—६३
निधन सम्बन्धी उल्लेख		६२
स्थगन प्रस्तावों के बारे में		६२—६३
विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में		६३—६५
सभा पटल पर रखे गये पत्र		६५—६८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति		६८—६९
सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य		६९—७१
विशेषाधिकार समिति--		
प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक--		
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना		७२
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित		७२
मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—		
विचार करने का प्रस्ताव		७३—७५
खंण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		७५
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक		७५—९५
विचार करने का प्रस्ताव		७५—९२
खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव		९३—९५

	पृष्ठ
बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव .	९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव	१०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	१०२—१०४
सभा का कार्य	१०४–०५
दैनिक संक्षेपिका	१०६—११४
अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२	११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४	१३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ .	१६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	
कार्य मंत्रणा समिति .	२०३–२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन	२०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—	
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	२०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	२१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . .	२३२–३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव	२३३
दैनिक संक्षेपिका	२३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०० २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ से १८५ और १८७ से २४४ २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव —

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक —

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१–८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९–१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८

(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९

(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३

कार्य-मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक —

विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०

खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०

इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३

दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१

स्थगन प्रस्ताव—

(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३

(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५

(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७

समितियों के लिये निर्वाचन—

(१) प्राक्कलन समिति ८४७

(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८

(२) औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . ११४०—४०, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४६६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१८

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९–२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०–२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१–२२

सभा का कार्य १२२२–२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५–३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

———

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक-सभा

बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०
२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भूख के खिलाफ आंदोलन

†*३६४. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा चलाये गये भूख के खिलाफ अन्दोलन के अन्तर्गत कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका ब्योरा क्या है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). भूख से छुटकारे के आन्दोलन के बारे में की गई प्रगति का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९३]

†डा० राम सुभग सिंह : विवरण में यह बताया गया है कि राष्ट्रीय आन्दोलन निधि की स्थापना करने का निर्णय किया गया था । क्या वह निधि स्थापित कर दी गई है और इस निधि से क्या काम आरम्भ किया जायेगा ?

†श्री मो० वें० कृष्णप्पा : भारत कुछ गैर-सरकारी संगठनों तथा बड़े बड़े व्यक्तियों से धन देने की प्रार्थना की गई है। अभी हमें कुछ भी धन नहीं मिला है । आन्दोलन का कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है । इसका ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

1395 (Ai) L.S.D.—1.

†**डा० राम सुभग सिंह** : किसके हस्ताक्षर से वह प्रार्थना की गई थी, अभी तक कितना धन एकत्र हो चुका है और उसक । उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : एक प्रार्थना की गई है । अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण में यह भी बताया गया है कि कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम न हो कर जनता के कार्यक्रम हों और उनकी कार्यान्वित में गैर-सरकारी संगठनों को अधिक अवसर दिये जाने चाहियें । यह सुनिश्चित करने के लिये कि यह एक सरकारी कार्यक्रम न बन जाये सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : हमारे देश में अन्य देशों के समान, जहां सरकारी कार्यक्रमों आदि का उल्लेख किया जाता है, 'सरकारी' तथा 'गैर-सरकारी' कार्यक्रमों में इतना अधिक भेद नहीं है । उदाहरणत: हमारी सामुदायिक परियोजनाएं तथा अन्य योजनायें सरकारी भी हैं और गैर-सरकारी भी क्योंकि उनके लिये गैर-सरकारी सहायता भी मांगी जाती है । मुख्य उद्देश्य धन एकत्र करना है । किन्तु बाहर से धन संचित करने पर अधिक जोर नहीं दिया जा रहा है । सरकार को भी धन देना होगा क्यों कि यह कार्यक्रम उस कार्यक्रम में सम्मिलित है, जिसे हम पहले ही आरम्भ कर चुके हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने सामुदायिक विकास का उल्लेख करते हुये कहा कि उसमें सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के व्यक्ति काम कर रहे हैं । क्या उन्हें उन शिकायतों के बारे में मालूम है जो कार्यक्रम की कार्यान्विति में प्रतिदिन सामने आती हैं और क्या उन्हें यह भी मालूम है कि क्या सामुदायिक विकास मंत्रालय उन बुराइयों को दूर करने के लिये कोई प्रभावी उपाय करता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इनसे यह प्रश्न पूछने से क्या लाभ है ? माननीय मंत्री ने अपना विचार बता दिया है । सामुदायिक विकास के कार्यक्रम पर मैंने पूर्ण वादविवाद की अनुमति दी थी और जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है मैंने स्वयं हस्तक्षेप किया था । मैंने अपने अनुभव बताये तथा मैं अपने विचार पर दृढ़ हूं । संभवत: अन्य राज्यों के सम्बन्ध में मैं ठीक ठीक नहीं कह सकता । मैं यथाशीघ्र अन्य राज्यों को जाऊंगा और सारी स्थिति मालूम करने की कोशिश करूंगा ।

†**श्री हेम बरुआ**: क्या इस आन्दोलन में काम में आने वाले धन का कुछ भाग योजना के लिये निर्धारित धन में से लिया गया है और यदि हां, तो कितना धन लिया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी धन एकत्र नहीं हुआ है । खाद्य तथा कृषि संगठन के तत्वावधान में यह एक अन्तर्राष्ट्रीय योजना है । अन्य देशों में एक गैर-सरकारी निधि की आवश्यकता होती है क्योंकि वहां पर सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में बहुत अधिक भेद है । किन्तु हमारे देश में ऐसा नहीं है । कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये हम जो कुछ कर रहे हैं वह भूख से छुटकारा दिलाने के लिये ही किया जा रहा है ।

†**डा० दिजेन आनन्द**: क्या भूख के खिलाफ इस अन्दोलन के पक्ष में कोई प्रलेखीय चित्र दिखाये जा रहे हैं अथवा उनको दिखाने की योजना बनाई जा रही है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: अभी नहीं । जब केन्द्रीय समिति और राज्य समिति दोनों ही इस कार्यक्रम को चालू करेंगी तब वे ऐसा कर सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : जहां तक भूख से छुटकारे के इस आंदोलन का संबंध है, क्या दोपहर के भोजन की योजना जो मद्रास में चल रही है, कहीं और भी चलाई जा रही है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : यह एक दूसरा प्रश्न है । किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि भूख से छुटकारे के इस आंदोलन का आधार क्या है । इसके पीछे यह उद्देश्य है कि जो देश तथा जातियां आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा सकें वे उसे उनके लिये छोड़ दें जिनके पास खाने के लिये कुछ नहीं है । हमारा देश अभी अन्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हम किसी को कुछ देंगे । किन्तु हमारा उद्देश्य यही होना चाहिये । इस अन्दोलन का सम्पूर्ण विश्व में वस्तुतः यही उद्देश्य है ।

†**श्री पलनियाण्डि** : विवरण में 'प्रशिक्षण तथा शिक्षा' के अन्तर्गत यह बताया गया है कि "चुने हुये युवक कृषकों को प्रदर्शन केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा" । यह चुनाव किस प्रकार किया जायेगा? जहां तक मुझे मालूम है, मद्रास में, विशेषतः त्रिचीं में, जहां से मैं चुन कर आया हूं, कोई भी कृषक प्रशिक्षण पाने के लिये नहीं चुना जाता । इसकी कार्यान्विति किस प्रकार की जाती है ?

†**श्री स० का० पाटिल**: जैसा कि मैंने कहा, यह भी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अंग है । किन्तु हमारे प्रशिक्षण केन्द्र उन प्रशिक्षण केन्द्रों से भिन्न नहीं होंगे जो हमने कृषि अथवा सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत खोले हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या इस योजना के अन्तर्गत कोई सर्वेक्षण किया गया है कि कौन कौन सी तरकीबें हैं जिन से यह काम पूरा हो सकेगा, और यदि यह अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से सम्बन्ध रखता है तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार और दूसरी सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों में जो असहयोग है, जिससे कि अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन फेल हो जाता है, उस पर विचार किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : यह अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के बारे में तो नहीं है, लेकिन हमारी मंशा है कि अन्न की उपज को बढ़ाना चाहिये, और यही मकसद है इस "फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन" का । और मिनिस्ट्रीज में आपस में जो फर्क है, यह दूसरी चीज है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि सिंचाई वाले लोग सिंचाई के लिये पानी नहीं देते, इस लिये अन्न उपजाने में बड़ी कठिनाई हो जाती है । यह देश भर में व्यापक है, इसकी शिकायतें होती हैं, लेकिन कुछ होता नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि इस किस्म के असहयोग को समाप्त करने के लिये मंत्रालय की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री स० का० पाटिल : हमारी कोशिश है कि इस प्रकार का सहयोग सिंचाई, खाद्यान्न और कम्यूनिटी प्रोजक्ट्स मिनिस्ट्रीज में हो । कमियां तो हैं हीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, लेकिन उसे खत्म करने का हमारा मकसद है ।

†**श्री मं० रं० कृष्ण**: अमरीका तथा अन्य देशों से प्राप्त हुए अनाज के बारे में, जो इस देश में गैर-सरकारी अभिकरणों के जरिये वितरित किया जाता है, क्या मैं यह जान सकता हूं कि उसमें से कितना अनाज भूख से पीड़ित लोगों को दिया जाता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हमें आशा है कि सारा अनाज दे दिया जाता है । किन्तु यदि माननीय सदस्य ठीक-ठीक आंकड़े जानना चाहते हैं तो वे एक पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या इस के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है कि गैर-सरकारी स्रोतों से कितना अंशदान किया जाये तथा कुल लक्ष्य के कितने प्रतिशत भाग की सरकार द्वारा पूर्ति की जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी हमने ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है कि हमें कितना एकत्र करना चाहिये । किन्तु धन का इतना सवाल नहीं है । क्योंकि यह कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का ही एक भाग है अतः हमने उसे उसी रूप में अपना लिया है जैसा कि वह अन्य देशों में चलाया जा रहा है । किन्तु हमारे देश में स्थिति भिन्न है । हम वस्तुतः धन एकत्र करने पर जोर नहीं दे रहे हैं क्योंकि उससे कोई विशेष मतलब सिद्ध नहीं होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं कुछ समय पूर्व पूछे गये अपने अनुपूरक प्रश्न का उल्लेख कर सकता हूं ? यह इस प्रकार है । इस आन्दोलन के लिये कुछ धन सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से प्राप्त किया जायेगा । क्या इस आन्दोलन के लिये सरकारी स्रोत के रूप में योजना के लिये निर्धारित धन में से कुछ धन लिया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जी, हां । उदाहरणतया कई किसानों ने हमको यह सुझाव दिया है कि यदि हम उनकी थोड़ी सी सहायता करें तो वे संभवतः अपने लिये नहीं अपितु इस आन्दोलन में योग देने के लिये अधिक पैदावार करेंगे । ऐसे सुझाव प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किये जायेंगे ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : भूख से छुटकारे के आन्दोलन की राष्ट्रीय आन्दोलन समिति के कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनकी नियुक्ति किस प्रकार की गई है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : एक केन्द्रीय समिति के मुख्य संरक्षक हमारे राष्ट्रपति हैं । उप-राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री संरक्षक हैं । हमारे मंत्री उसके अध्यक्ष हैं । कृषि मंत्री उसके कार्यकारणी अध्यक्ष हैं । तथा श्री एस० के० डे० उपाध्यक्ष हैं . . .

†**श्री ब्रज राज सिंह** : सभी सरकारी व्यक्ति उसके सदस्य हैं ।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : केन्द्रीय सरकार के श्री मों० वें० कृष्णप्पा और श्री अ० म० थामस उसके सदस्य हैं । राज्यों के सभी मंत्री कार्यकारणी समिति के सदस्य है । इस में चार संसद् सदस्य भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या कोई किसान भी इस समिति का सदस्य है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कुछ विषयों के बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं । उनको प्रत्येक बात पर प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

डाक तथा तार मुख्य कार्यालय, भुवनेश्वर

†***३६६. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में डाक तथा तार मुख्य कार्यालय खोलने के लिये वहां इस बीच जमीन प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) नक्शे तैयार करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या भुवनेश्वर में खाले जाने वाले डाक तथा तार के मुख्य कार्यालय के अनुमान अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : आरम्भ में पट्टे पर भूमि ली जाती थी। बाद में यह निश्चय किया गया कि उसे खरीद लेना चाहिये। ऐसा कर लिया गया है। अब आरम्भिक सर्वेक्षण किये जा रहे हैं। इसके बाद उस परियोजना के बारे में नक्शा आदि तैयार करने के लिये उसे वास्तुकला विशारद को दे दिया जायेगा।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या १९६०–६१ के आयव्ययक में इस मुख्य कार्यालय के स्थान तथा भुवनेश्वर में उसके निर्माण के लिये अनुदान दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितना ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं कह चुका हूं कि हमने २,१९,६०० रुपये की भूमि खरीद ली है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सरकार को मालूम है कि उड़ीसा राज्य की राजधानी को भुवनेश्वर ले जाये जाने के बाद से सरकार उपयुक्त भवन नहीं बनवा पाई है और उसने हमेशा किराये पर मकान लिये हैं ?

†**श्री राज बहादुर** : उड़ीसा की राजधानी नई है। किन्तु नये-नये भवन बनते जा रहे हैं। डाक तथा तार का मुख्य कार्यालय भी बनने वाला है।

डीजल इंजन

†*३९८. + { **श्री अ० मु० तारिक** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा : }

क्या रेलवे मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में डीजल इंजन बनाने के लिये आर्डर देने के संबंध में इस बीच कोई निर्णय हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). सरकार ने सरकारी क्षेत्र में डीजल लोकोमोटिव और इंजन बनाने का निश्चय किया है । सारी बातों पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री अ० मु० तारिक : सारी बातें तय करने तथा संयंत्र चालू करने में कितना समय लगेगा ?

†श्री शाहनवाज खां : मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता । अभी से यह बताना कठिन है । किन्तु मैं सभा को यह आश्वासन द सकता हू कि हम बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे ।

†श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को डीजल लोकोमोटिव बनाने का काम सौंपा जायेगा अथवा इसकी स्थापना कहीं अन्य की जायेगी ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सभी प्रश्न पहले भी यहां पूछे गये थे ।

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं उनका उत्तर दे चुका हूं । यदि माननीय सदस्य कार्यवाही देखें , तो उन्हें उत्तर मिल जायेगा ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि इन इंजनों का यहां निर्माण कराने से पूर्व लगभग १० करोड़ रुपये की लागत के बड़ी पटरी के ४० और छोटी पटरी के ६० इंजन बाहर से मंगायें जायेंगे ?

†श्री जगजीवन राम : जो हां, यह सच है ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जब तक हम तेल के मामले में स्वावलम्बी नहीं हो जाते तब तक के लिये योजना आयोग नहीं चाहता कि भारत में डीजल लोको मोटिव बनाये जायें ?

†श्री जगजीवन राम : इस की पूरी तरह से जांच की चुकी है और यह महसूस किया गया है कि रेलवे के कुछ सेक्शनों पर डीजल लोकोमोटिव चलाना आवश्यक है । अत : देश में डीजल इंजनों तथा लोको मोटिव का बनाया जाना आवश्यक है ।

†श्री मुरारका : क्या इस संबंध में को ई अनुमान लगाया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने डीजल लोकोमोटिवों की आवश्यकता होगी ? यदि हां, तो प्रति वर्ष लगभग कितने इंजनों की आवश्यकता होगी ?

†श्री जगजीवन राम : अनुमान लगाया गया है । संभवत: प्रति वर्ष १०० रेल इंजनों की आवश्यकता होगी ।

†श्री दी० चं० शर्मा : इन रेल इंजनों के निर्माण के लिये अपेक्षित प्रविधिक ज्ञान देने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं और क्या उस संबंध में हम स्वावलम्बी होंगे ?

†श्री जगजीवन राम : सभी संभव प्रबन्ध किये जायेंगे क्योंकि जब तक आवश्यक ज्ञान नहीं होगा, उनका निर्माण-कार्य आरम्भ नहीं किया जा सकता । यह एक स्पष्ट बात है ।

†श्री म० ला० द्विवेदी : रेलवे विभाग के एक इंजिनियर श्री सूरी ने सूरी ट्रांसमिशन डीजल तैयार किया है जो कि बहुत ही कम खर्चीला और लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है । मैं जानना

---

†मूल अंग्रेजी में

चाहता हूं क्या इस किस्म के लोकोमोटिव इस डीजल ट्रांसमिशन पर बनाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं आनरेबिल सदस्य को कहूंगा कि सदन में इस सम्बन्ध में जो सवाल-जवाब हुए हैं उनको देख लें तो इस का जवाब उनको मिल जाएगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस वर्ष भाप के इंजनों के स्थान पर कितने डीजल इंजन चलाये जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि रेलवे का विस्तार हो रहा है। भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल के इंजन करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । ये उनके अतिरिक्त होंगे ।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले इस नये एकक में उत्पादन की कितनी क्षमता होगी तथा क्या उसमें बड़ी पटरी के रेल इंजन ही बनाये जायेंगे, अथवा छोटी पटरी के रेल इंजन भी बनाये जायेंगे ?

†**श्री जगजीवन राम** : दोनों प्रकार के इंजन बनाने का विचार है । जहां तक क्षमता का संबंध है, सारा हिसाब किताब लगाया जा रहा है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : अगली योजना में कितने प्रतिशत पुर्जों के लिये हमें बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ेगा ?.

†**श्री जगजीवन राम** : अभी ठीक ठीक यह बताना कठिन है किन्तु आरम्भ में आयातित पुर्जों की प्रतिशतता काफी अधिक होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या कोई तखमीना लगाया गया है कि बाहर से मंगाने में और यहां जो डीजल इंजित बनेंगे उन दोनों के दाम में कितना फर्क पड़ेगा ?

श्री जगजीवन राम : आरम्भ में तो फर्क पड़ सकता है । आरम्भ में मैं समझता हूँ कि हमारा दाम ज्यादा होगा । लेकिन अगर मुल्क को इन सब मामलों में स्वालम्बी बनाना है तो यह काम करना ही पड़ेगा ।

इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में फर्निशिंग यूनिट

†***३६९. श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में सज्जीकरण एकक (फर्निशिंग यूनिट) के संबंध में आज तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सितम्बर, १९६० के अन्त तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ; और

(ग) उसके कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) एक माल शेड, कर्मचारियों के अधिकांश क्वार्टर तथा फैक्टरी की तरफ दो मील लम्बी रेलवे साइडिंग बन गई है । पुर्जे जोड़ने की दूकान का अन्य, दूकानों के लिये नीवें डालने का तथा अन्य क्वार्टरों के निर्माण का काम चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग ८९ लाख रुपये ।

(ग) १९६२ के मध्य तक ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या ८९ लाख रुपये जनवरी से सितम्बर, १९६० तक के ९ महीनों का ही व्यय है अन्यथा उसमें पहले खर्च किये गये ६० लाख रुपये भी सम्मिलित हैं ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : जो काम समाप्त हो चुका है, उससे विशेष रूप से उसका यह व्यय है । यह कितने समय का है यह मुझे पता नहीं ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : अनुमानत : ३.६९ करोड़ रुपये व्यय करने का लक्ष्य है ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : मूल प्राक्कलन २.५ करोड़ रुपये का था । १.१९ करोड़ रुपये की वृद्धि क्यों हुई है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : मुझे मूल प्राक्कलन के बारे में जानकारी नहीं है । किन्तु सज्जीकरण एकक के लिये अनुमानत : ३.६९ करोड़ रुपये की परिजोजना १९५६ में मंजूर की गई थी । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्राक्कलन का उल्लेख कर रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक परियोजना का एक प्राक्कलन होना आवश्यक है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस परियोजना पर अनुमानत: कितना व्यय किया जायेगा तथा उस राशि में क्या कोई वृद्धि की गई है अथवा वह केवल ३.६९ करोड़ रुपये ही है ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : सज्जीकरण एकक का प्राक्कलन ३.६९ करोड़ रुपये था । १९५६ में यह मंजूर किया गया था ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : क्या इस एकक में कोई अन्य सहायक काम भी किये जायेंगे तथा क्या हमें विदेशों से निश्चित कार्यक्रम के अनुसार माल मिल रहा है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : कुछ मशीनरी के अलावा बाहर से और कुछ आने का कोई प्रश्न नहीं है । जहां तक सहायक कार्यों का संबंध है हमको भमि मिल रही है, अहाते की दीवारे और सड़कें बनाई जा रही हैं। मद्रास निगम से २ लाख गैलन पानी देने के लिये समझौता हो गया है । कर्मचारियों के क्वार्टर बन गये हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह सब कुछ नहीं जानना चाहते । वे यह जानना चाहते हैं कि रासायनिक संयत्र के समान किसी प्रकार का फर्नीचर अथवा दरवाजे आदि के लिये अपेक्षित सामान बनाने के लिये क्या वहां सहायक उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं । भूमि दीवारों आदि का प्रश्न नहीं है ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह सहायक काम है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री शायद माननीय सदस्य का प्रश्न नहीं समझ पाये हैं । वे यह जानना चाहते हैं कि क्या इस फर्नीचर के साथ-साथ रेलवे के लिये आवश्यक कोई अन्य चीजें भी वहां बनाई जायेंगी ।

†श्री सें० वें० रामस्वामी : केवल सज्जीकरण उपकरण ही बनाये जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंडवा–हिंगोली रेल मार्ग

*३७०. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंडवा–हिंगोली रेल मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग पर यात्री तथा माल याता यात कब तक शुरू हो जायेगा; और

(ग) इस रेल मार्ग के निर्माण में कितना समय और धन लगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमन् ।

(ख) १ नवम्बर, १९६० से खण्डवा से हिंगोली तक सम्पूर्ण लाइन माल के यातायात के लिये खोल दी गई है । दिसम्बर, १९६० में यात्री यातायात के लिये इस लाइन को खोलने का विचार है ।

(ग) निर्माण कार्य ६½ वर्षों में हुआ तथा सितम्बर, १९६० के अन्त तक लगभग ११.३८ करोड़ रुपये व्यय हुये ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : कितने मील लम्बी लाइन है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : लगभग १८८ मील ।

आम के लिये रेल भाड़ा की दरें

†*३७१. श्रीमती इला पालचौधरी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने रेलवे बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखा है कि विदेशों को निर्यात के लिए उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों से विभिन्न भागों को बड़ी मात्रा में आम भेजने के लिये भाड़े की रियायती दरें मंजूर की जायें और ठंडे माल डिब्बे (रेफरिजरेशन वैगन्स) दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्तावना का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उस संबंध में रेलवे बोर्ड की क्या राय है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री अपने साथ कुछ आम रूस ले गये थे और रूस को ये बहुत पसन्द आये और वह भारत से आमों का आयात करना चाहता था ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : इस बात का मुझे पता नहीं है । मेरे लिये यह एक नई बात है । यह बात कृषि मंत्री से पूछी जाय ।

†श्री विश्वनाथ राय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे पास आम के निर्यात के लिये अच्छे मार्केट हैं, क्या रेलवे मंत्रालय रेलभाड़ा में कुछ रियायत देने के प्रश्न पर विचार करेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सें० वें० रामस्वामी : हमारे देश से बड़ी मात्रा में आम का निर्यात नहीं हो रहा है

†डा० विजय आनन्द : क्या सरकार आमों की चोरी रोकने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस लिये भाड़ों में कमी करना चाहते हैं कि आम दूसरी ओर नहीं पहुंचते ।

†डा० विजय आनन्द : मैं यह जानना चाहता था कि रास्ते में आमों की चोरी रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : यह बात इस प्रश्न में से कैसे उठती है ? मैंने एक सुझाव दिया था परन्तु माननीय सदस्य ने वह समझा नहीं ।

आसाम के उपद्रवों में रेलवे सम्पत्ति की हानि

+
†*३७२. पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६० में आसाम में हुए उपद्रवों में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को कितनी हानि पहुंची; और

(ख) क्या किन्हीं रेलवे कर्मचारियों की हत्या की गयी या उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेलवे सम्पत्ति को हुई हानि का अनुमान १,४५,०००० रुपये लगाया जाता है ।

(ख) दो रेलवे कर्मचारी मार दिये गये और उपद्रवियों द्वारा २२३ व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की खबर मिली है ।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मारे गये कर्मचारियों के आश्रितों को कोई निर्वाह भत्ता मंजूर किया गया है ?

†रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यदि असैनिक उपद्रवों के कारण कोई व्यक्ति हताहत होता है तो उसको सहायता देना राज्य सरकार का काम है ।

लाला अचिंत राम : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस नुकसान का क्या कारण है और क्या इस नुकसान के कारणों में से एक कारण यह भी है कि असम में यह आम खयाल पाया जाता है कि आसामियों को रेलवे सर्विस में मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जाता है ?

श्री जगजीवन राम : माननीय सदस्य का प्रश्न तो वैसा ही है कि सारी रामायण सुनने के बाद पूछा जाय कि सीता किस की स्त्री है । असम के सम्बन्ध में इतनी बातें यहां हो गईं और उस के बाद यह पूछते हैं कि इस झगड़े का कारण क्या था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

लाला अचिंत राम : मैं झगड़े का कारण नहीं पूछ रहा। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि रेलवे का नुक्सान होने का क्या कारण है? क्या उन कारणों में से एक कारण यह भी है कि असम में यह ख्याल पाया जाता है कि असामियों को रेलवे सर्विस में काफी और मुनासिब हिस्सा नहीं दिया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : रेलवे मिनिस्टर कैसे बता सकते हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या उन्होंने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि क्या इन आश्रितों को राज्य सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति दी है या नहीं अथवा उन्होंने यह देखा है कि उनकी परवाह की जाती है या नहीं?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं कुछ जानकारी देता हूं। जब हमारे कर्मचारियों पर कोई घटना घटती है तो हम उनको सहायता के तौर पर कुछ देते हैं। परन्तु उससे राज्य सरकार को उनको अपेक्षित क्षतिपूर्ति देने से रुकना नहीं चाहिये जो कि कुछ नियमों के अधीन दी जानी है। हमने अपने कर्मचारियों को कहा है कि वे राज्य सरकार को अभ्यावेदन दें।

†**श्री बि० दास गुप्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि जो दो रेलवे कर्मचारी मारे गये हैं, वे मारे जाने के समय ड्यूटी पर थे या ड्यूटी से बाहर थे?

†**श्री शाहनवाज खां :** वे ड्यूटी पर नहीं थे।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये दो रेलवे कर्मचारी मारे गये हैं और उनके जीवन की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकार विस्थापित हुए व्यक्तियों को निधि दे रही है, जब रेलवे मंत्रालय की नौकरी में कर्मचारी मारे जाते हैं, तो क्या यह रेलवे मंत्रालय का काम नहीं है कि . . .

†**अध्यक्ष महोदय :** इस मामले में बहस करने का कोई फायदा नहीं है।

†**पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह रेलवे सम्पत्ति को हानि के बारे में है। यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है?

†**श्री सोनावने :** अभी अभी उपमंत्री महोदय ने बताया कि ये लोग ड्यूटी पर नहीं थे। क्या उन्हें मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों से २४ घंटे ड्यूटी पर रहने के लिये आशा की जाती है?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गई है?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह उन की चिन्ता नहीं है। उन्होंने कहा है कि यह राज्य सरकार का काम है। मान लो कि रेलवे कर्मचारी अपने घर में है और कोई आता है और उसे कष्ट पहुंचता है,

---

†मूल अंग्रेजी में

तो इसके लिये रेलवे मंत्री कैसे जिम्मेवार हैं ? क्या वह केवल इस लिये जिम्मेवार हैं कि वह रेलवे मंत्री हैं ? कोई झगड़ा हुआ ह , वह गली में गया हो; और भी बहुत सी बातें हो सकती हैं। रेलवे मंत्री केवल उन्हीं लोगों की जिन्दगी के लिये जिम्मेवार हैं जो वहां स्थान पर काम कर रहे हों। जब कोई झगड़ा होता है, तो इस से रेलवे मंत्रालय का क्या सम्बन्ध है ?

†श्री हेम बरुआ : मारे गये इन दो व्यक्तियों के परिवारों को राज्य सरकार कोई क्षतिपूर्ति नहीं दे रही है ।

†अध्यक्ष महोदय : वे राज्य विधान मंडल में अपने साथियों से सम्पर्क स्थापित करें।

†पंडित द्वा० ना० तिवारी : जिन २२३ व्यक्तियों के साथ दुव्यवहार किया गया है, क्या उनमें से किसी को कोई ऐसी सख्त चोट लगी है कि वे आगे काम करने के लिये अयोग्य हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को कोई वैकल्पिक सेवा दी गयी है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्थायी रूप से अयोग्य हो गया हो ।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि जिन व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उन में से अधिकांश ने रेलवे मंत्री महोदय से अन्य रेलवे में स्थानान्तरण का आवेदन किया है ?

†श्री जगजीवन राम : केवल उन्होंने ही नहीं परन्तु बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने, जो गैर-असमी भी हैं, और जि हें आसाम रेलवे में नियुक्त किया गया है, आसाम से बाहर स्थानान्तरण के लिये कहा है। और मने एक को भी स्थानान्तरण न करने का फैसला किया है।

†श्री हेम बरुआ : क्या रेलवे मंत्रालय को यह पता लगा है कि वहां पर एक छोटा सा दल है जो सब प्रकार के आवेदन-पत्रों के फार्म साइक्लोस्टाइल करता है और लोगों से उन पर हस्ताक्षर करने और स्थानान्तरण के लिये रेलवे मंत्रालय को भेजने को कहता है ? क्या रेलवे अधिकारियों को इसका पता लगा है ?

†श्री जगजीवन राम : सम्भवत: माननीय सदस्य की जानकारी अधिक हो । परन्तु मुझे गैर-असमी रेलवे कर्मचारियों से केवल बंगालियों से नहीं परन्तु अन्यों से भी आसाम से बाहर स्थानान्तरण के लिये बड़ी संख्या में आवेदन-पत्र मिले हैं। जैसा मैंने कहा है, मैंने आसाम से एक भी गैर-असमी को स्थानान्तरण न करने का फैसला किया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने एक भी व्यक्ति को बाहर न भेजने का फैसला किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने यह बात देखने के लिये भी पग उठाये हैं कि इन कर्मचारियों की जान और माल भविष्य में सुरक्षित रहे ?

†श्री जगजीवन राम : किसी भी संगठित सरकार का यह सामान्य कर्त्तव्य है और उनका ध्यान दिलाने लिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। यह समझा जाता है कि वे अपना सामान्य कर्त्तव्य निभायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा की बाढ़ में रेलवे सम्पत्ति को हानि

+

†*३७३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री सूपकार :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री संगण्णा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, १९६० में उड़ीसा में बाढ़ के कारण रेलवे सम्पत्ति की जो हानि हुई क्या सरकार ने उसका अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशि की हानि हुई ; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसी हानि को, जो एक वार्षिक घटना हो गयी है, रोकने के लिये सरकार ने कोई योजना सोची है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जो क्षति पहुंची है उसकी मरम्मत करने की लागत का अनुमान लगभग १५ लाख रुपये लगाया गया है ।

(ग) भयंकर बाढ़ के कारण ऐसी बड़ी दरारें पड़ जाना वार्षिक घटना नहीं है और वास्तव में पिछले ६० वर्षों में इस सेक्शन पर यह आठ बार हुई है । असामान्य बाढ़ के विरुद्ध संरक्षण की समस्या बाढ़ नियंत्रण से सम्बद्ध है जिस पर राज्य सरकार और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ।

†**श्री सूपकार** : इन दो बाढ़ों के आने के समय कितने दिन तक यातायात ठप्प रहा और इस कारण कितनी हानि हुई ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अगस्त और सितम्बर में वहां बाढ़ आयी थी । कितने समय बाढ़ रही, यह विस्तार का विषय है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इनमें से प्रत्येक अवसर पर कितने दिनों तक यातायात रुका रहा? माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं ?

†**श्री सूपकार** : मेरा प्रश्न जो मूल रूप में पूछा गया था, कुछ भिन्न था । दुर्भाग्यवश वह इससे मिला दिया गया है । मैं नहीं जानता कि आप मुझे प्रश्न पूछने की आज्ञा देंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि हावड़ा और मद्रास के बीच कितने दिनों तक यातायात रुका रहा और इस कारण कुल कितनी हानि हुई ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । इसके लिये एक पृथक प्रश्न पूछा जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मंत्रालय को यह पता नहीं है कि वहां लगातार दो बाढ़ें आयीं। फिर भी उन्हें यह नहीं पता कि यातायात कितने दिनों तक रुका रहा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि यहां पर आंकड़े उनके पास नहीं है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या यह सच है कि रेलवे लाइन में पहली दरार १५ अगस्त को पड़ी जब कि डी० टी० एस० ने खुरदा रोड पर छः दिन बाद रेलवे कर्मचारियों के लिये सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था की ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं इतना ब्यौरा नहीं दे सकता।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक साथ कई प्रश्न पूछे गये हैं। एक ही प्रश्न में एक विषय पर सब प्रश्न पूछना संभव नहीं है.....(**अन्तर्बाधा**)। माननीय सदस्य मेरी बात सुनना नहीं चाहते हैं। चाहे सब प्रश्न एक में इकट्ठे कर दिये गये हों, मैं सब प्रश्नों को मंत्रियों के पास भेज देता हूं। मैं ऐसा इस लिये करता हूं ताकि वे उत्तर के लिये तैयार हो सकें। जैसे ही प्रश्न प्राप्त होते हैं उन प्रश्नों की प्रतियां रिमार्क के लिये मंत्रियों को भेज दी जाती हैं ताकि हमें यह पता लग जाय कि इस प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका है या नहीं। यहां पर इस कार्यालय में छानबीन के अतिरिक्त हम मंत्री महोदय का सहयोग प्राप्त करते हैं। अतः मैं सब मंत्रियों को यह सुझाव देता हूं कि वे उस विषय से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के उत्तर के लिये तैयार हों और यदि अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें, तो वे उन का उत्तर दे सकें।

†**श्री जगजीवन राम :** उस मामले में जो कठिनाई है, वह यह है। जैसे ही आप के कार्यालय में प्रश्नों की सूचना आती है उस की प्रतियां सम्बन्धित मंत्रालयों को भेज दी जाती हैं। इस समय हमें यह मालूम नहीं होता है कि प्रश्न मंजूर किया जायेगा या नहीं। यदि कोई प्रश्न निकाल दिया गया हो और कुछ को कार्य-सूची पर रहने की इजाजत दे दी गई हो तो उस का मतलब है कि अन्य भाग आपने मंजूर नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस बात से सहमत हूं। मैं इस का भी रास्ता निकालने का प्रयत्न करूंगा। बाज दफा ऐसा होता है कि वही प्रश्न अथवा कई ब्यौरे अन्य प्रश्न में भी पूछ जाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर दिया जाता है। यह कठिन बात है। यह बड़ा लम्बा हो जाता है परन्तु बाज दफ़ा यह सम्बन्धित प्रश्न होता है और जिस सदस्य ने प्रश्न रखा है, उसे यह अनुभव होता है कि वह भाग निकाल दिया गया है। मैं इसका एक तरीका निकालूंगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लाइन लगभग आठ सप्ताह तक खराब रही, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे उड़ीसा तक यातायात के लिये एक दूसरी लाइन बनाने पर विचार कर रहे हैं ताकि यदि भविष्य में ऐसी कोई खराबी हो, तो उससे उड़ीसा की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव न पड़े ?

†**श्री जगजीवन राम :** ऐसा कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या उड़ीसा सरकार ने भविष्य में ऐसी आकस्मिकता को दूर करने के लिये तालचेर-रूरकेला लाइन बनाने के लिये रेलवे मंत्रालय को सुझाव दिया था ?

†**श्री जगजीवन राम :** इस आकस्मिकता को कोई नहीं रोक सकता। मैं नहीं समझता कि इस से बाढ़ अथवा खराबी कैसे रुक जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सूपकार :** क्या मैं जान सकता हूं कि इस लाइन पर जो मरम्मत की गयी है क्या वह अगस्त और सितम्बर में आयी बाढ़ जैसी बाढ़ों का सामना कर सकेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमें ऐसी आशा करनी चाहिये कि बाढ़ आय ही ना ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस बात की कोई गारण्टी नहीं कर सकता कि बाढ़ फिर नहीं आयेगी ।

†**श्री जगजीवन राम :** यदि आशा के परे भारी बाढ़ आ जायें, तो यह कहना कठिन है कि लाइनें नहीं टूटेंगी ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** परन्तु वैकल्पिक मार्ग खोजे जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जो कुछ जानना चाहते हैं, वह यह है । जहां तक उनको पता है, राज्य सरकार ने एक वैकल्पिक उपाय सुझाया था । उन्हें यह आशा थी कि बाढ़ें आयेंगी और यातायात ठप्प हो जायेगा । मंत्री महोदय यह बता सकते हैं कि उन्हें यह मिला है या नहीं ।

†**श्री जगजीवन राम :** मैं ने बताया है कि इस समय किसी वैकल्पिक लाइन का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या उन्हें राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला ?

†**श्री जगजीवन राम :** मुझे विभिन्न लोगों से प्रस्ताव मिले हैं जिसमें माननीय सदस्य भी शामिल हैं, परन्तु मैं कहता हूं कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

तार के संदेश

†***३७४. श्री मुरारका :** क्या परिवहन तथा सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तार के सन्देश भेजने में बराबर बढ़ती हुई गलतियों के बारे में सरकार के पास शिकायतें पहुंची हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है ; और

(ग) उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

†**परिवहन तथा सचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री मुरारका :** कया सरकार समय समय पर की गई विभिन्न शिकायतों के बारे में जांच करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त करने को तैयार है ? मैं ने स्वयं कुछ गलत तार सरकार को भेजे हैं । क्या सरकार इस बात की जांच करने और पता लगाने को तैयार है कि हाल के समय में गलती के बारे में शिकायतें बढ़ी हैं या घटी हैं ?

†**श्री राज बहादुर :** माननीय सदस्य के प्रश्न और जो कुछ वह जानना चाहते हैं, उस में कुछ अन्तर है । इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि गलती के बारे में शिकायतें आई हैं । परन्तु यह जो प्रश्न पूछा जा रहा है, इस के शब्द बढ़ती हुई गलतियों के बारे में हैं । मैं ने इस का नकारात्मक उत्तर दे दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मुरारका : पिछले ३-४ वर्षों से मंत्री महोदय को जो शिकायतें मिल रही हैं, उन की क्या प्रतिशतता है ?

†श्री राज बहादुर : मैं तुलनात्मक आंकड़े नहीं दे सकता । प्रतिवर्ष भेजे गये ३,६०,००,००० तारों में लगभग ५०,००० के बारे में शिकायतें आई हैं । यह .१४ प्रतिशत आता है ।

†श्री नाथ पाई : बाज दफा गलती ऐसी होती है कि तार की बातों को समझना बहुत मुश्किल होता है । उदाहरणतः मुझे एक तार भेजा गया था जिस पर लिखा था "नाथ पाई एम्पी (Empee)"

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य संघ के अध्यक्ष हैं ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड : क्या यह सच है कि कई बार तो विभिन्न केन्द्रों पर तार भेजे भी नहीं जा सके क्योंकि नई दिल्ली तार घर में मशीन खराब है ? इस मामले में सुधार के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†श्री राज बहादुर : कुछ अवसरों पर तूफान या बवंडर के दौरान संचार में बाधा पड़ती है और लाइनें खराब हो जाती हैं और तार घर में मशीन खराब हो जाती है । इस बारे में आश्चर्य-जनक कोई बात नहीं है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को यह बात बताई गई है कि 'टेप' पद्धति में 'टेप' को चेक करने की कोई बात नहीं है क्योंकि वह छपी होती है और गलतियां सामान्यतः टेप में होती हैं और हाथ से लिखे तारों में नहीं ; यदि हां, तो टेप को चेक करने के लिये क्या पग उठाय गये हैं ?

†श्री राज बहादुर : टेप और टेप मशीनों की टेक्निकल कर्मचारी जांच करते हैं और मशीन में जब भी कोई खराबी आ जाती है तो उस को यथासम्भव शीघ्र दूर किया जाता है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मानो कि एक सन्देश दिल्ली से कलकत्ता भेजा जाता है, क्या ऐसा कोई तरीका है जिस से कलकत्ता के लोग चैक कर सकें और दिल्ली के लोगों को शुद्धि के बारे में बता सकें ? मैं समझता हूं कि दूसरी ओर मशीन अन्धी है ।

†श्री राज बहादुर : उन से उस पर निगाह रखने की आशा की जाती है और जब किसी भी ओर कोई गलती होती है, तो सम्बन्धित कर्मचारी उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही करते हैं ।

†डा० मेलकोटे : क्या यह सच नहीं है कि पिछले दो वर्षों में टेलीप्रिंटर और वी० एफ० टी० चैनल का संधारण बहुत खराब रहा है ?

†श्री राज बहादुर : मैं यह नहीं कह सकता कि यह बहुत खराब है परन्तु मैं यह इन्कार भी नहीं कर सकता कि कुछ अवसरों पर कारण यही रहा हो । परन्तु उस पर यथासम्भव परीक्षण किया जाता है ।

†श्री मुरारका : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने यह कहा है कि एक वर्ष में ५०,००० शिकायतें आती हैं. . .

†श्री राज बहादुर : ३,६०,००,००० में से ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुरारका** : उन्होंने कहा है कि ५०,००० शिकायतें प्राप्त हुई हैं। और जिन लोगों को गलत तार मिलते हैं, वे सब शिकायत नहीं करते हैं। क्या इस मामले में जांच करने और कोई पग उठाने के लिये कोई गम्भीर विषय नहीं है ?

†**श्री राज बहादुर** : शिकायतें गलती और तारों के फटे होने के बारे में ही नहीं हैं, वे मुख्यत: विलम्ब और डिलीवरी न होने के बारे में हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ माननीय सदस्य कहना चाहते हैं वह यह है कि जब भी कोई शिकायत आती है, यदि वह तीन करोड़ में से एक ही हो, तो सरकार से यह आशा की जाती है कि वह शिकायत पर ध्यान दे और उस को दूर करने का प्रयत्न करे।

†**श्री राज बहादुर** : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन सब की जांच की जाती है और इस बारे में उपचारात्मक उपाय किय जाते हैं ताकि ऐसी शिकायतें फिर न हों। एसा कार्य हो रहा है।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : एक गलत तार से काफ़ी हानि होती है, क्या गलतियों को सुधारने के लिये कोई प्रक्रिया निर्धारित की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : तार अधिनियम के अधीन केवल यह व्यवस्था है कि नान-डिलीवरी, गलत-डिलीवरी अथवा डिलीवरी में विलम्ब के मामले में तार का शुल्क वापस कर दिया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कैसे हो पाता है कि समाचारपत्रों के कार्यालय, जहां टेलीप्रिंटर होता है, ठीक तरह से रिपोर्ट दे देते हैं---अन्यथा उन पर यहां छींटाकशी होती है जबकि डाक विभाग, जो ये टेलीप्रिंटर देता है, के पास अच्छे टेलीप्रिंटर नहीं हैं ? सम्भवत: वे अच्छे टेलीप्रिंटर बेच देते हैं और खराब टेलीप्रिंटर अपने लिये रख लेते हैं। मंत्री महोदय इस बात को देखें। बाकी सब टेलीप्रिंटर ठीक काम कर रहे हैं। समाचारपत्र गलत खबर नहीं देते। केवल सरकार ऐसा क्यों करती है ?

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : एक वर्ष में ५०,००० शिकायतें---गंभीर विषय है। सरकार इस मामले में जांच करने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रही है।

†**श्री राज बहादुर** : हम शिकायतों की जांच अवश्य करते हैं। जैसा मैं ने बताया, सारे संचार को ध्यान में रखते हुए, प्राप्त शिकायतों की संख्या इतनी अधिक नहीं है जितना कि माननीय सदस्य उसे बनाना चाहते हैं।

भागलपुर में रेल दुघटना

†*३७५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के भागलपुर स्टेशन पर जून, १९६० में उस के नवनिर्माण के साथ कोई दुर्घटना हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए;

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई।

(घ) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ङ) क्या किसी कर्मचारी को दंड दिया गया है और किन कारणों से उसे दंड दिया गया?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)**: (क) जी, हां।

(ख) रेलगाड़ी पाइन्ट्रस के गलत ढंग से लग जाने के कारण पटरी से उतरी। कोई व्यक्ति न मारा गया और न घायल हुआ।

(ग) लगभग १५० रुपये।

(घ) जी, हां।

(ङ) क्योंकि दुर्घटना का कारण रेलवे कर्मचारियों की गलती थी, दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ठहराय गये कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही हैं।

†**श्री सुबिमन घोष** : किसी भी रलवे स्टेशन के नव-निर्माण के समय, स्टेशन संचालन नियमों के अतिरिक्त कुछ स्थानीय नियम भी बनाने पड़ते हैं। इस मामले में, क्या मैं जान सकता हूं कि ये नियम किस ने बनाये हैं, किस ने इन नियमों पर हस्ताक्षर किये हैं और क्या जिन पदाधिकारियों ने इन नियमों पर हस्ताक्षर किये हैं, उनको ऐसा करने का अधिकार था?

†**श्री शाह नवाज खां** : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि स्टेशन का नव-निर्माण किया जा रहा था। अतः इन्टरलाकिंग को हटाना पड़ा। इसलिये अस्थायी स्टेशन संचालन नियम बनाये गये। नियम बनाने के लिये जिन पदाधिकारियों को अधिकार हैं, वे डिवीज़नल सिगनल एण्ड टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियर और डिवीज़नल आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट हैं इस मामले में इन्हीं पदाधिकारियों ने नियम बनाये थे। उन्होंने इन नियमों का अनुमोदन किया था। डिवीज़नल आपरेटिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट की अनुपस्थिति में, जो कि दौरे पर बाहर गये हुए थे, डिवीज़नल सिगनल एंड टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियर और असिस्टेन्ट आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट ने इन नियनों पर हस्ताक्षर किये थे।

†**श्री सुबिमन घोष** : मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस पदाधिकारी ने नियमों पर हस्ताक्षर किये थे, क्या उसको ऐसा करने का अधिकार था?

†**श्री शाहनवाज खां** : वास्तव में ये नियम डिवीज़नल आपरेटिंग सुपरिन्टेंडेंट ने स्वीकृत कर लिये थे। विलम्ब को रोकने के लिये इस पदाधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किये थे। इसमें कोई गलत बात नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पोलैंड से जहाज

+

†*३७७. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री आसार :
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के लिए कुछ जहाज खरीदने के बारे में पोलैंड के साथ कुछ बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). भारत के लिये कुछ जहाज बनाने के लिये एक पौलैण्ड की पार्टी से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और वह भारतीय जहाज के स्वामियों को बता दिया गया है जो इस पर विचार कर रहे हैं । अभी तक अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या जहाज बनाने के लिये विश्व भर में से टेन्डर आमंत्रित किये गये थे ?

†**श्री राज बहादुर** : सामान्यतः गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र में भारतीय नौवहन कम्पनियां अपने शिपयार्ड चुनती हैं, उन के साथ बातचीत करती हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद क्रयादेश देती हैं।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या भुगतान रुपये में किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : पोलैण्ड की फ़र्म ने जो प्रस्ताव किया है, वह यह है कि वे रुपये में भुगतान पर भारतीय नौवहन कम्पनियों के लिये जहाज बना सकते हैं।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या यह सच है कि पौलैण्ड सरकार ने सुविधाजनक ऋण की शर्तों पर ३०,००० टन का टैन्कर देने का प्रस्ताव किया है ; यदि हां, तो क्या भारत सरकार उस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है ?

†**श्री राज बहादुर** : पोलैण्ड के शिपयार्ड के व्यक्तियों ने भी एक प्रस्ताव किया है जिस के द्वारा जहाज बनाने के लिये डेनमार्क के शिपयार्ड को आदेश दिये जा सकते हैं। उस बारे में ऐसा प्रस्ताव किया गया है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्योंकि पोलैण्ड के जहाजों को भारत के लिये अति उपयुक्त समझा जाता है क्योंकि वे छोटे जहाज बनाते हैं, क्या सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह स्वयं अब उन के साथ व्यापार समाप्त कर दे क्योंकि उन्होंने जो मूल्य बताये हैं वे संसार में सब से कम हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य एक परामर्श दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पी० एल० ४८० के अधीन गेहूं का आयात

+

†*३७८. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री कालिका सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
कुमारी मो० वेद कुमारी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री कोरटकर :
श्री सं० अ० महेदी :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी० एल० ४८० करार के अधीन माल के परिवहन के लिए हमारी जहाज कम्पनियों या निगमों को राजसहायता या मदद देने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ;

(ख) क्या भाड़े की दरों के सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को विभिन्न देशों से प्राप्त हुए टेन्डर खोल लिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो कम से कम टेन्डर क्या है ; और

(घ) क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) अमरीका के साथ हुए हाल ही में पी० एल० ४८० करार के अधीन खाद्यान्न लाने के लिये भारतीय नौवहन कम्पनियों को राजसहायता देने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भारतीय जहाजों को विश्व में चल रही वर्तमान चालू दरों पर इतना माल उठाने को कहा जाता है जितना वे उठा सकते हैं।

(ख) से (घ). दीर्घ-कालीन स्तर पर खाद्यान्न के वहन के लिये भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन द्वारा २० सितम्बर, १९६० को बोली बोलने का आमंत्रण भेजा गया था। इस के उत्तर में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और अब इनकी परिनिरीक्षा हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : हमें जो अधिक भाड़ा शुल्क देना पड़ता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए स्थिति पर काबू करने के लिये क्या हमारे अपने टन-भार में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**श्री राज बहादुर** : हम इस अवसर पर अपने नौवहन टन-भार में वृद्धि करने के अति-इच्छुक हैं परन्तु इस मामले में कई पेचीदगियां हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमने इस पर पूरी तरह वाद-विवाद नहीं किया था ?

†**श्री राज बहादुर** : जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि यह विवाद श्री रघुनाथ सिंह ने शुरू किया था। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या इस देश के टन-भार में वृद्धि करने के लिये सहयोग प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर :** जिन शर्तों पर टेन्डर आमंत्रित किये गये थे, उन में से एक शर्त के अनुसार विदेशी समवायों को ऐसी व्यवस्था के लिये भी टेन्डर भरने को कहा गया था जिस के द्वारा चार वर्षों की अवधि के बाद कुछ टन-भार भारतीय नौवहन समवायों द्वारा प्राप्त किया जा सके । इस बारे में कुछ और प्रयत्न भी किये गये थे जो इस समय विचाराधीन हैं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** अमरीका से यहां पर खाद्यान्न लाने के लिये हमें कुल कितना भाड़ा-शुल्क देना पड़ेगा ?

†**श्री राज बहादुर :** वह विश्व के मार्केट दर पर निर्भर है । यदि माना जाय कि यह ६० शिलिंग या ३ पौंड है तो १७० लाख टन माल पर हमें ५१० लाख पौंड देने होंगे ।

टेल्को

†*३७९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में छोटी लाइन के ३२५ इंजन खरीदने के संबंध में टेल्को के साथ कोई नया ठेका या करार हुआ है ; और

(ख) किस तरह का करार हुआ है और प्रत्येक इंजन की क्या कीमत तय की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है और टेल्को के साथ वर्तमान १६ वर्षीय करार के समाप्त होने पर जो कि ३१-५-१९६१ को समाप्त हो रहा है, १ जून १९६१ से ३१ मार्च १९६६ तक की अवधि में, जिस में न्यूनाधिक तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि आ जाती है, भारतीय रेलवे को ३२५ मीटर गेज के रेलवे इंजन देने के लिये टेल्को के साथ शीघ्र ही संभरण करार कर लिया जायेगा।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

यह प्रारूप करार जिसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है, साधारण संभरण करार के रूप में है, जिस में क्रय करारों पर लागू सामान्य उपाय जैसे, डिलीवरी कार्यक्रम, देर से डिलीवरी देने या न देने पर दंड, निरीक्षण, भुगतान और सहमत मूल्य सम्बन्धी बातें शामिल हैं। सहमत मूल्य ३,८०,७५० रुपये प्रति वाई० जी० रेलवे इंजन और ३, ७८,७५० रुपये प्रति वाई० पी० रेलवे इंजन है । ये मूल्य १९५८--६० की अवधि के लिये, जिस में २०० इंजन या औसतन १०० इंजन प्रतिवर्ष देने थे, पिछले न्यायाधिकरण

---

†मूल अंग्रेजी में

द्वारा तय किये गये। ३,८०,६१७ रुपये प्रति वाई० जी० रेलवे इंजन से कम है जब कि टेल्को द्वारा वर्ष १९६१--६६ में औसतन लगभग ६५ इंजन प्रति वर्ष का संभरण होगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या रेलवे इंजन के लिये लिये जाने वाले मूल्य की शुद्धता के बारे में कोई जांच की गयी है ?

†**रेलव मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसकी पूरी तरह जांच की गयी है और, जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है, एक पूर्व अवसर पर सारा मामला एक न्यायाधिकरण को सौंपा गया था। और न्यायाधिकरण ने इसकी अच्छी प्रकार जांच की अब जिस मूल्य का प्रस्ताव किया गया है, वह न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट में दिये गये मूल्य से कम है ।

†**श्री बि० दास गुप्त** : क्या हाल के समय में रेलवे अधिकारियों ने बाहर से मीटर-गेज इंजनों के लिये इन्डेन्ट किया अथवा वे बाहर से इन्डेन्ट करने पर विचार कर रहे हैं; यदि हां, तो उसकी लागत क्या है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जी, नहीं । हमने हाल में कोई भी मीटर गेज रेलवे इंजन का आयात नहीं किया है और न ही किसी इंजन को आयात करने का कोई विचार है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : मंत्री महोदय ने बताया कि नये करार के अनुसार मूल्य कम हैं । मूल्य क्या हैं और क्या यह पांच वर्षों की अवधि के लिये ३२५ रेलवे इंजनों पर लागू हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जो मूल्य मंजूर किया गया है वह ३,८०,७५० रुपये प्रति वाई० जी० रेलवे इंजन और ३,७८,७५० रुपये प्रति वाई० पी० रेलवे इंजन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वाई० जी० क्या है और वाई० पी० क्या है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वाई० जी० माल इंजन है और वाई० पी० पैसेंजर इंजन है ।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव** : मंत्री महोदय ने जो मूल्य बताये हैं वे स्वीकृत मूल्य हैं। कम मूल्य क्या हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पंचाट में न्यायाधिकरण ने मूल्य ३,८०,६१७ रुपये दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : पिछली बार इस बारे में काफी चर्चा हुई थी। अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

विमान यात्रा पर प्रतिबन्ध

+

*३८०. { डा० राम सुभग सिंह :
कुमारी मो० वेदकुमारी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३ अक्तूबर, १९६० को मीनाम्बकम् (मद्रास) हवाई अड्डे पर कुछ यात्रियों को बम्बई और कलकत्ता जाने वाले विमानों पर इसलिए सवार नहीं होने दिया गया क्योंकि वे नशे की हालत में थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने यात्रियों को विमानों पर सवार नहीं होने दिया गया ; और

(ग) क्या उन से नशे में होने का कारण पूछा गया था ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : (क) और (ख). २ अक्तूबर, १९६० को (३ अक्तूबर को नहीं) बम्बई जाने वाले १४ मुसाफ़िर और कलकत्ता जाने वाले १ मुसाफिर को मद्रास हवाई अड्डे पर हवाई जहाज में सवार नहीं होने दिया गया क्योंकि वे नशे की हालत में थे।

(ग) जी, नहीं ।

श्री त्यागी : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह पाइलट थे ?

श्री मुहीउद्दीन : चौदह पाइलट नहीं होते ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे सारे लोग जो इस नशे की हालत में पाये गये एक ही जमाअत के थे ?

श्री मुहीउद्दीन : जी हां, हमको यही इत्तिला है कि वे सब रगबी टीम के अरकीन थे जो मैच खेलने के बाद कलकत्ते से मद्रास जा रहे थे।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उस टीम के चुनाव करने में सरकार की ओर से भी कुछ ध्यान रखा गया था ?

श्री मुहीउद्दीन : सरकार का इस से कोई ताल्लुक नहीं है ।

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या यह सच है कि मद्रास से जहाज के चलने में जो एक घंटे का विलम्ब हुआ, वह रगबी खेल के कारण हुआ और इसलिये कुछ यात्रियों ने नाचना और एक दूसरे को धक्का देना आरम्भ कर दिया और जहाज की व्योमबालाओं को ऊपर उठा लिया ? क्या यह सच है क्योंकि हवाई अड्डे पर प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा इस बारे में कुछ बात कही गयी थी ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जहाज को तीन घंटे रोका गया था और उन्होंने हवाई अड्डे पर दुर्व्यवहार किया था ?

†**कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या यह एयर इंडिया इंटरनेशनल के "फुलिशली योर्स" आन्दोलन का एक भाग है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि इस किस्म का व्यवहार करने वाले मुसाफिरों के लिए क्या कोई पाबन्दी लगायी जाने की उम्मीद है, जिस से कि इस किस्म की हरकतें न हो सकें, और क्या हवाई जहाज पर शराब लेकर या शराब पीकर जाना मना है ?

श्री मुहीउद्दीन : एअरक्राफ्ट रूल्स के तहत सिविल एविएशन को और आई० ए० सी० को यह अख्तियार है कि जो लोग बजाहिर शराब पिए हुए मालूम हों, उनको हवाई जहाज पर सवार न होने दें । यह अख्तियार सिविल एविएशन को है और इसका उन्होंने पूरे तौर से इस्तेमाल किया।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सच है कि एयरइंडिया इंटर नेशनल के जहाजों में भुगतान करने पर यात्रियों को शराब पेश की जाती है और यदि हां, तो मुझे आश्चर्य है कि जहाज में शराब पेश करने और उन व्यक्तियों को जहाज पर न चढ़ने देने, जिन्होंने बाहर शराब पी है, में क्या तुक है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न इस से उत्पन्न होता है । यह मद्रास में हुई एक घटना है ।

†**श्री त्यागी** : मैं इस बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल के विमानों में शराब पेश की जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय दोनों विमान निगमों के लिये उत्तरदायी हैं। यदि एयर इंडिया इन्टरनेशनल में शराब पेश की जाती है और वे अन्दर शराब पी सकते हैं और वहां पर वे मूर्छित हो जाते हैं और दुर्व्यवहार करते हैं, तो उन्हें बाहर दुर्व्यवहार करने और जहाज पर चढ़ने से पहले उन्हें ठीक होने के लिये समय देने से यह अच्छा कैसे है ? इस में क्या अन्तर है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : एयर इंडिया इन्टरनेशनल उड़ान के दौरान, जब कि विमान भारतीय सीमा से बाहर निकल जाता है, शराब पेश करता है । जहां तक मुझे मालूम है । जहाज पर मादकता के कारण दुर्व्यवहार का कोई मामला अभी तक हमें नहीं बताया गया है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं वजीर साहब से यह जान सकता हूं कि यह दुरुस्त है कि एअर इंडिया इंटरनेशनल के हवाई जहाजों में और दूसरे हवाई जहाजों में सफर करने के लिए अंग्रेजी जानना लाजिमी है और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे उनको हवाई जहाज से उतारा गया ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है ।

श्री मुहीउद्दीन : सफर करने की हद तक यह कोई लाजिमी नहीं है ।

नागार्जुन सागर परियोजना

†*३८१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर परियोजना के पहले दौर की आयोजनाओं और अनुमानों में परिवर्तन करने की कोई योजना है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या दूसरे दौर की आयोजनाओं, अनुमानों और आवश्यक मंजूरियों पर विचार किया गया है और कोई अंतिम निर्णय किये गये हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भारत सरकार को अभी तक नागार्जुनसागर परियोजना की वर्तमान स्वीकृत योजनाओं और प्राक्कलनों में परिवर्तन करने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) परियोजना के दूसरे दौर के लिये अभी तक कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं मिला है और इस बारे में तृतीय योजना में कोई योजना शामिल नहीं की गयी है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच है कि परियोजना प्राधिकारी इस कार्य को आशा से अधिक जल्दी कर रहे हैं ?

†**श्री हाथी** : जी, हां । वे परियोजना पर अच्छा कार्य कर रहे हैं ।

†**श्री आचार** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कृष्णा नदी के पानी के बारे में महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में विवाद है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मूलत: स्वीकृत परियोजना में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ।

†**श्री हाथी** : जहा तक परियोजना के पहले दौर का सम्बन्ध है, पहले दौर में योजना में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उड़ीसा में बाढ़

\+

*†३८२. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री संगण्णा :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय कृषि मंत्री ने अक्तूबर, १९६० में उड़ीसा के बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया था ;

(ख) उस राज्य में हाल की बाढ़ के कारण खेती की जिस जमीन पर बालू पड़ गयी है वह कितने एकड़ है, इस बारे में क्या कोई आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार के सहयोग से इस जमीन से बालू हटाने की कोई योजना कार्यान्वित करने का भारत सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार की योजना है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया है कि बाढ़ के कारण ४४,४५५ एकड़ भूमि पर बालू पड़ गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

उपजाऊ भूमि को, जिस पर बालू पड़ गयी है, कृषि योग्य बनाने के लिये राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है । यह योजना उस भूमि को बहुप्रयोजनीय ब्लेड वाले मध्यम शक्ति वाले पहियेदार ट्रैक्टरों द्वारा रेत हटा कर, कृषि योग्य बनाने के लिये है जिस पर ३ फुट या इस से कम गहरी बालू पड़ गयी है । यह कृषि योग्य बनाने की लागत, जिस में कर्मचारी और उपकरण की लागत भी शामिल है, लगभग १५० रुपये प्रति एकड़ होगी । तथापि, यदि बालू पड़ी हुई भूमि २०० एकड़ से कम के छोटे छोटे टुकड़ों में है, तो कृष्यकरण जन-शक्ति द्वारा किया जायेगा क्योंकि उस मामले में ट्रैक्टर का इस्तेमाल लाभप्रद न होगा । ऐसे क्षेत्रों में कृष्यकरण की लागत १५० रुपये प्रति एकड़ आंकी गयी है । यह धन राशि किसानों को ऋण के रूप में देने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है जिस की आधी रकम राज-सहायता के रूप में प्रदान की जावेगी ।

राज्य सरकार समझती है कि बालू पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बनाने की यह योजना २-३ वर्षों तक चलानी पड़ेगी । वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये योजना की लागत निम्न प्रकार आंकी गयी है

वर्ष	लागत (रुपयों में)
१९६०–६१	५,३३,५८०
१९६१–६२	१,४९,३२४

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : विवरण में राज्य सरकार की योजना के बारे में बताया गया है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस रकम में से केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राज-सहायता दी जा रही है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : भूमि कृष्यकरण योजना के अधीन, हमारा मंत्रालय कुल लागत का २५ प्रतिशत अनुदान और बाकी ऋण के रूप में देने को राजी हो गया है । इस कार्य के लिये इस वर्ष हम १,३८,००० रुपये दे चुके हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : जिन योजनाओं के लिये विवरण में ५ लाख रुपये और १ लाख रुपये बताये गये हैं ; क्या उस में वह भूमि भी शामिल है जिस पर बालू पड़ गयी है और जो ट्रैक्टरों द्वारा कृषि योग्य नहीं बनायी जायेगी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : उन्होंने दोनों योजनायें शामिल की हैं । जहां कहीं यह २०० एकड़ से अधिक है, इसका कृष्यकरण ट्रैक्टरों द्वारा किया जायेगा, और जहां पर यह २०० एकड़ से कम है, यह जन-शक्ति द्वारा किया जायेगा । राज्य सरकार ने दोनों क्षेत्र शामिल किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : जब मंत्री महोदय उड़ीसा गये थे, तो पिछले महीने बालू पड़ी हुई कितनी भूमि का कृष्यकरण किया गया था ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : राज्य सरकार ने बताया है कि इस बाढ़ से ४४,५५५ एकड़ भूमि पर बालू पड़ गयी है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मेरा प्रश्न भिन्न है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टर नहीं हैं और वे इस दिशा में केन्द्र की सहायता चाहते हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिये उनको कितने ट्रैक्टर भेजे गये हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्होंने केन्द्र को बताया था कि उन्हें ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने मेसर्ज़ फ़र्गूसन एन्ड सन्स से सम्पर्क स्थापित किया। वे फौरन ४ ट्रैक्टर देने को राजी हो गये हैं। बाकी वे बाद में देंगे।

†**श्री प्र० के० देव** : ट्रैक्टरों द्वारा बालू पड़ी हुई भूमि का कृष्यकरण करने की यह योजना क्या उड़ीसा के पश्चिमी जिलों में भी लगायी जायेगी। जहां कि पिछली बाढ़ से काफ़ी बड़े क्षेत्र में बालू पड़ गयी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा**: ४४,५५५ एकड़ के अधीन राज्य सरकार ने जो कुछ शामिल किया है, उसका कृष्यकरण किया जायेगा। माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित कुछ क्षेत्र उस में शामिल किया भी गया हो। मेरे पास ब्यौरा नहीं है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बोईंग ७०७ जेट विमान

†*३६३. **श्री बहादुर सिंह** :
श्री इन्द्रजीत लाला मल्होत्रा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री खीमजी :
श्री उस्मान अली खां :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात-आयात बैंक ने एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा एक बोईंग ७०७ वाणिज्यिक जेट विमान खरीदे जाने के लिए सरकार को कुछ ऋण दिया है ; **ऋण**

(ख) यदि हां, तो कितना और इस के बारे में क्या शर्तें तय हुई हैं ;

(ग) क्या और वाणिज्यि विमान खरीदने के लिए किसी दूसरे जरिये से कुछ और ऋण भी प्राप्त किया जा रहा है ; और

(घ) क्या डी० सी० ८ या कारावेल जेट विमान भी खरीदने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में]

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी, हां ।

(ख) ४१ लाख डालर । ऋण की शर्तों पर विचार हो रहा है ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की खरीद

†*३६५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के कुछ कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने अनियमित रूप से जो सामान खरीदा था क्या उसके बारे में जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जांच अधिकारी की उपपत्तियों पर कलकत्ता पत्तन आयुक्त विचार कर रहे हैं जो कि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के लिये अनुशासनात्मक अधिकारी हैं ।

सहकारिता विकास

†*३६७. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में सहकारिता विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल की इस सिफारिश को कार्यान्वित करना स्वीकार कर लिया है कि पंचायतों और सहकारी संस्थाओं की एक समिति होनी चाहिये ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सलाह दी है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन में ग्राम्य उत्पादन योजनाए बनाने में दोनों के बीच सहयोग प्राप्त करने के लिये दीर्घ-कालीन लक्ष्य पर पंचायत और सहकारी समिति की एक समिति बनाने का सुझाव दिया है । भारत सरकार ने राज्य सरकार पर पंचायत और सहकारी समिति के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है परन्तु इसके लिये किसी विशिष्ट उपाय की सिफारिश नहीं की है ।

सड़क परिवहन में डीजल का प्रयोग

†*३७६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च) द्वारा किये गये अध्ययन और उसके इस निष्कर्ष की ओर

---

†मूल अंग्रेजी में

ध्यान दिया है कि सड़क परिवहन में डीजल से चलने वाली मोटर गाड़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) मामले का परीक्षण किया जा रहा है।

राजस्थान में भाखड़ा नहर

†*३८३. **श्री आसर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान क्षेत्र में भाखड़ा नहर बनाने के लिए राजस्थान सरकार को ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितना ऋण दिया है और ऋण की शर्तें क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उप मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां।

(ख) (१) राजस्थान क्षेत्र में भाखड़ा नहर बनाने के लिये ऐसा कोई विशिष्ट ऋण नहीं दिया गया है। इस नहर पर व्यय भाखड़ा परियोजना पर अपना अंश पूरा करने के लिये खर्च के लिए राजस्थान सरकार को दिये जा रहे ऋण में किया जाता है।

(२) प्रत्येक ऋण १५ वर्षों के बाद एक किश्त में दिया जाना है। ऋण पर ब्याज राज्य सरकार द्वारा छमाई दिया जायेगा। ब्याज की दर वही है जो ऐसे ऋणों पर राज्य सरकार से लिया जाता है और उसमें समय समय पर परिवर्तन होता रहता है।

बम्बई में कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ

†*३८४. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कुन्हन : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई–कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ पर अभी कितने पुल बनाये और पूरे किये जाने हैं ;

(ख) इन पुलों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) बम्बई-कन्याकुमारी सड़क वेस्ट कोस्ट रोड के नाम से मशहूर है और वह राष्ट्रीय राजपथ नहीं है। इस सड़क पर बनाये जाने वाले और पूरे किये जाने वाले पुलों की कुल संख्या ४६ है।

(ख) इन पुलों के तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कूअम नदी योजना

†*३८५. **श्री बालकृष्णन्** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कूअम नदी योजना की मंजूरी के लिए मद्रास राज्य की उच्च सत्ता प्राप्त समिति की सिफारिश केन्द्रीय सरकार को भेज दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) समिति ने अक्तूबर, १९६० में राज्य सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट की प्रति यहां नहीं मिली है। समिति द्वारा की गई अन्तरिम सिफारिश के परिणाम-स्वरूप राज्य सरकार ने फरवरी, १९६० में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये 'कुअम नदी के मुहासे से मनरो पुल तक कूअम नदी में सुधारों' का सुझाव दिया था। पूर्ण विवरण के प्रभाव में तथा धन की कमी के कारण उस योजना को तृतीय योजना में सम्मिलित किये जाने का समर्थन नहीं किया जा सका। प्रश्न की पूर्व सूचना मिलने पर राज्य सरकार से पूछा गया था और अब उन्होंने मद्रास नगर में कूअम नदी तथा बकिंघम नहर के बारे में समिति की सिफारिशों का सारांश भेजा है।

(ख) कूअम नदी के मुहासे से चेतपुर रेलवे पुल तक कूअम नदी के सुधार के लिये ८० लाख रुपये की लागत के स्थूल प्राक्कलनों का एक विवरण, जैसा कि समिति द्वारा तैयार किया गया है, संलगन किया जाता है। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४]**

रेलवे की नियोजन शक्ति

†*३८६. **श्री दामानी** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाइड इकानामिक रिसर्च) ने यह राय जाहिर की है कि रेलवे की अपेक्षा सड़क परिवहन उद्योग में रोजगार देने की अधिक क्षमता है और सरकारी राजकोष में उसका अंशदान रेलवे के अंशदान की अपेक्षा अधिक है :

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड ने इन निष्कर्षों की आलोचना की है ; और

(ग) क्या रेलवे मंत्रालय ने यह सिद्ध करने के लिए कि वास्तविक स्थिति यह नहीं है इस विषय को उठाया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां, किन्तु राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद ने स्वयं यह बताया है कि जो आकड़े उन्होंने तैयार किये हैं उनका

†मूल अंग्रेजी में

आधार बहुत ही सीमित है तथा उनके आधार पर कोई परिणाम निकलना भी कठिन है ।

(ख) रेलवे बोर्ड के विचार बताने वाला एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये रिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]**

(ग) भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित टिपण में जो कुछ बताया गया है उसको देखते हुये अध्ययन के परिणामस्वरूप निकाले गये आंकड़ों तथा निष्कर्षों को गलत सिद्ध करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही करने की विचार नहीं है।

बहुप्रयोजनीय खाद्य

†*३८७. **श्री अगाड़ी :**
श्री वोडयार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय संस्था, मैसूर, कुछ उद्योगपतियों के सहयोग से देश में बहुप्रयोजनीय खाद्य का एक कारखाना खोलने जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां खाला जायेगा ;

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं और सरकार तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कितनी रकम विनियोजित किये जाने का अनुमान हैं ; और

(घ) खाद्य का प्रतिदिन कुल अनुमानित उत्पादन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) से (घ) इस प्रश्न का उत्तर बाद की किसी तारीख को मेरे साथी वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री देंगे ।

पर्यटकों के लिये शराब के परमिट

†*३८८. **श्री उस्मान अली खां** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार विदेशी पर्यटकों को सारे भारत के लिए शराब के परमित देने की एक नयी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का व्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ही, श्रीमान् ।

(ख) सम्बन्धित विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से सारी बातें अभी तय की जा रही हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दिल्ली में बिजली की रेलें

†*३८९. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राधारमण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर-दूर के उपनगरीय क्षेत्रों के निवासियों की सुविधा के लिए दिल्ली में बिजली की रेलें चलाने के लिए दिल्ली नगर निगम की ओर से कोई प्रस्थापना सरकार को प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली नगर निगम को यह सलाह दी गई थी कि इस समय दिल्ली के उपनगरीय क्षेत्र में बिजली की रेलें चलाने का विचार नहीं है।

दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस से चांदी की सिल्लियों का लूटा जाना

†*३९१. श्री तंगामणि : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली जनता एक्सप्रेस का ब्रेक डिब्बा अक्तूबर, १९६० में तोड़ दिया गया और चांदी की सिल्लियां लूट ली गयीं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी कीमत कितनी थी और किन परिस्थितियों में यह घटना घटी ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली-मद्रास क्षेत्र में क्या विशेष कार्यवाहियां की गयी हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). २८-१०-६० को जब दिल्ली-मद्रास जनता एक्सप्रेस ३.२० बजे इतारसी पहुंची, ब्रेकवान का बाहर का ताला ठीक लगा पाया गया किन्तु भीतर के लाकर का ताला खुला हुआ तथा खुंटी पर लटकता हुआ पाया गया। यह देखा गया कि चांदी की २ सिल्लियां और एक बीमा सुदा पैकेज कम है, जिसके बारे में इतारसी की जी० आर० पी० और आर० पी० एफ० को सूचना दे दी गई। उसी दिन ८-०० बजे ये तीनों चीजें होम सिगनल से स्टेशन की ओर बरखेरा यार्ड में रेलवे लाइन के किनारे पड़ी हुई मिलीं। केवल पैकेज, जिस में चांदी के पुराने जेवर थे, लगभग १५० तोला कम पाया गया। कुल अनुमानतः १६,००० रुपये की चोरी हुई थी जिसमें लगभग १५,९०० रुपये का माल मिल गया।

(ग) अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है किन्तु पुलिस की जांच चल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) ब्रेकवान के भीतर कीमती चीजों के सेफ लाकर में ताला लगा दिया जाता है ;

(२) कीमती चीजों वाले ब्रेकवान में भी ताला लगा दिया जाता है ;

(३) सरकारी रेलवे पुलिस रात के समय सवारी गाड़ियों के साथ यात्रा करती है ;

(४) रेलवे के अहाते में घुसने वाले संदेहात्मक व्यक्तियों को पकड़ने के लिये बराबर छापे मारे जाते हैं और उन व्यक्तियों पर भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा १२२ के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाता है।

गन्ने का मूल्य

*३९२. **श्री खुशवक्त राय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त के चीनी नियन्त्रण बोर्ड ने हाल ही में संघ सरकार से सिफारिश की है कि गन्ने का मूल्य १ रुपया ६२ नये पैसे से बढ़ा कर १ रु० ७५ नये पैसे प्रति मन कर दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) उत्तर प्रदेश और बिहार के संयुक्त गन्ना बोर्ड ने अपनी ७ नवम्बर, १९६० की बैठक में १९६१–६२ के मौसम में गन्ने के न्यूनतम भाव जो कि पहली नवम्बर, १९६१ से आरम्भ होंगे १.७५ रु० प्रति मन निर्धारित करने की सिफारिश की थी।

(ख) इस सुझाव पर १९६१–६२ के मौसम के लिए गन्ने के भाव निर्धारित करते समय विचार किया जावेगा।

खाद्य उपमंत्री का अमरीका और कनाडा का दौरा

†*३९३. **श्री सैं० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उपमंत्री अभी हाल में अमरीका और कनाडा गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे का कारण क्या था और उससे क्या नतीजा निकला ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी हां। खाद्य उपमंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कनाडा गया था। लौटने पर वह प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राज्य अमेरिका भी गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कनाडा की सरकार ने कनाडा गेहूं बोर्ड की ओर से कनाडा के गेहूं के उत्पादन, यातायात, भण्डार तथा विपणन के तरीके को देखने के लिये कनाडा आने का निमंत्रण दिया था। दोनों देशों के बीच अच्छे सम्बन्धों की दृष्टि में तथा इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कनाडा भी एक ऐसा देश है जहां से हमें विदेशी गेहूं उपलब्ध हो सकता है, हमने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। कनाडा में जब खलिहान का मौसम था तब यात्रा का समय रखा गया और अध्ययन तथा पर्यवेक्षण के इरादे से इसका आयोजन किया गया। प्रतिनिधि मंडल फार्मों तथा अनाज प्रयोग शालाओं का निरीक्षण किया और अनाज के यातायात, भण्डार तथा विशेषत: पत्तनों पर उसके उठाने रखने के प्रबन्धों का निरीक्षण किया। जो अनुभव प्राप्त हुआ उससे अनाज के यातायात, जमा करने तथा उठाने रखने की हमारी अपनी समस्याओं को हल करने में तथा अच्छी किस्म का गेहूं मंगाने के मामले में कनाडा के अधिकारियों से सम्बन्ध रखने में हमें बड़ी सहायता मिलेगी।

अमेरिका में हमारे गेहूं आयात कार्यक्रम की कार्यान्विति से संबंधित अनेक समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, माननीय उपमंत्री ने गेहूं के वाणिज्यिक आयात दायित्व, पी० एल० ४८० के अन्तर्गत कपास के आयात तथा अमरीका को चीनी भेजने की संभावनाओं के बारे में अमेरिका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। अमेरिका के गेहूं तथा चावल पैदा करने वाले तथा निर्यात करने वाले मुख्य क्षेत्रों का भी थोड़े थोड़े समय के लिये निरीक्षण करके लाभ उठाया गया।

दिल्ली म स्कूटर

†*३९४. **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **परिवाहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़कों पर स्कूटरों के मीटर पढ़े जाने के बारे में काफी शिकायतें हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों को दूर करने के लिए टैक्सी के मीटर की तरह स्कूटरों पर भी मीटर लगवाने का सरकार का विचार है ?

†**परिवाहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) इस संबंध में दिल्ली प्रशासन को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) स्कूटर रिक्शाओं के लिये उपयुक्त किराये के मीटर अपने देश में नहीं बनाये जाते हैं और बाहर से मंगाये गये मीटर का मूल्य इतना अधिक रखा गया है जिससे उसे कोई खरीद न सके। अतः इस समय स्कूटर रिक्शाओं में किराये के मीटर लगाने का कोई विचार नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पथरकण्डी धरमनगर लाइन

†*३९५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अरविंद घोषाल :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इंद्रजीत गुप्त :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या **रेलवे** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा को भारत के विशेष भागों से जोड़ने के लिए पथरकण्डी-धरमनगर रेलवे ला न के सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट और परियोजना अनुमान इस बीच प्राप्त हो चुके हैं और उनकी छानबीन हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या निर्णय हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : (क) और (ख). इंजीनियरिंग सर्वे रिपोर्ट तथा परियोजना का प्राक्कलन प्राप्त हो गया है और रेलवे बोर्ड उनकी जांच कर रहा है । यातायात संबंधी सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

उड़ीसा में अनाज के लिये राज सहायता

†३९६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने, उस हालत में जब कि सम्मिलित खाद्य जोन के कारण कीमतें बढ़ जायें, उड़ीसा में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चावल देने के लिए राज सहायता देना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राज सहायता मंजूर की जा चुकी है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० मा० थामस)** : (क) हां, श्रीमान । पूर्वी चावल महाखंड की रचना के समय, यह तय हुआ था कि भारत सरकार उड़ीसा सरकार को राज्य में चावल का एक रक्षित स्कन्ध बनाने के हेतु, ताकि यदि चावल का मूल्य बहुत अधिक हो जाये तो वह उसका स्थानीय रूप से वितरण कर सके, आर्थिक सहायता देगी । यह आर्थिक सहायता उड़ीसा सरकार के वास्तविक क्रम मूल्यों तथा उन समाहार मूल्यों के बीच के अन्तर के बराबर दी जानी थी जो महाखंड बनने से पूर्व विद्यमान थे, किन्तु यह अन्तर १ रुपया प्रति मन से अधिक नहीं होना चाहिए । यह आर्थिक सहायता उस चावल के लिये दी जानी थी जो ऊंचे मूल्यों पर खरीदा गया तथा जो वस्तुतः वर्ष १९६० में कम कीमत वाली दुकानों के जरिये उपभोक्ताओं को दिया गया ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अभी तक ऐसी कोई आर्थिक सहायता नहीं मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे वर्दी समिति

†*३९७. श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच रेलवे वर्दी समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है ।

विजय वाड़ा-गुडुर सेक्शन

†*३९८. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, १९६० के अन्त तक दक्षिण रेलवे के विजयवाड़ा-गुडुर-सैक्शन में कुल कितने मील की डबल लाइन सवारी गाड़ियों के लिए खोल दी गयी है ;

(ख) क्या काम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ५२.६ मील ।

(ख) और (ग). क्योंकि इस वर्ष मानसून जल्दी आ गया तथा अभूतपूर्व भारी वर्षा हुई अतः शेष भाग में डबल लाइन बिछाने के कार्य की प्रगति में बड़ी बाधा पहुंची है । तथापि यह आशा की जाती है कि शेष भाग १९६१ के मध्य तक यातायात के लिये खोल दिया जायेगा ।

सहकारी ढंग से खेती

†*३९९. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सहकारी ढंग पर खेती संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार है ?

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और भारत सरकार के निर्णयों की सूचना राज्य सरकारों को दे दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६ ।]**

(ख) (१) तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित की जाने वाली ३२० अग्रिम परियोजनाओं के बारे में सिफारिश स्वीकार कर ली गई है । १९६१–६२ में लगभग ७० परियोजनायें आरम्भ की जायेंगी ।

(२) तृतीय योजना काल में ५० प्रशिक्षण केन्द्रों में सहकारी खेती के प्रशिक्षण की सुविधायें दी जायेंगी जिन में से १५ केन्द्र १९६१–६२ में खोले जायेंगे ।

(३) राष्ट्रीय सहकारी खेती मंत्रणा बोर्ड गठित कर दिया गया है और इसकी पहली बैठक १९ नवम्बर, १९६० को हुई थी ।

परिवार नियोजन

†*४००. **श्रीमती ला पालचौधरी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गर्भ-निरोध-गोली" के, जो शीघ्र ही ब्रिटेन के बाजारों में बेची जायेगी, प्रयोग के कारण कैन्सर होने आदि के भीषण खतरे के बारे में ब्रिटेन के दो प्रसिद्ध डाक्टरों, डाक्टर एथेल डयूक्स जो ब्रिटेन की 'नेशनल मैरज गाइडेन्स काउन्सिल" के चिकित्सा मंत्रणा बोर्ड के सचिव हैं और "फैमिली प्लानिंग असोसियेशन' के चिकित्सा पदाधिकारी डा० एलियानोर मीअर्स के बाद और प्रतिवाद के बारे में दिनांक २७ सितम्बर, १९६० के लखनऊ के 'पायनियर' में प्रकाशित समाचार की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस गोली के बारे में कोई जानकारी प्राप्त की गयी है और यदि भारतीय डाक्टर तथा परिवार नियोजन केन्द्र उस गोली को विदेश से मंगायें तो भारतीय जनता को सावधान करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). हां, श्रीमान ।

(ग) ब्रिटेन में बिकने के लिये जो औषधि आई है, उसके बारे में यह कहा जाता है कि वह 'कोनोविद' है । भारत सरकार ने खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयों के विकास तथा अनुसंधान के बारे में विचार करने के लिये एक समिति गठित की थी । समिति ने इस दवाई के इस्तेमाल के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

"(१) इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि मनुष्य के शरीर में हारमोन संबंधी संतुलन बहुत नाजुक है तथा इन बन्ध्याकारी वस्तुओं के लम्बे समय तक प्रयोग

---

†मूल अंग्रेजी में

करने से इस संतुलन के बिगड़ने से जो बुरे प्रभाव पड़ेंगे तथा इस बात के ठीक ठीक प्रमाण के प्रभाव में कि इन बन्ध्याकारी औषधियों का लम्बे समय तक प्रयोग करने से कोई हानि नहीं होगी, अभी वह अवस्था नहीं आई है कि गर्भ निरोध के लिये इनकी बिक्री की अनुमति दे दी जाये ;

(२) इस बात को देखते हुये कि यह प्रमाण मिल चुका है कि ये दवायें मासिक धर्म के बिगड़ने, गर्भ गिरने तथा बन्ध्यात्व की हालत में बड़ी प्रभावी साबित हैं, जिनके लिये उनका प्रयोग बहुत थोड़े समय के लिये किया जाता है, डाक्टर के लिखने पर चिकित्सा के लिये उनकी बिक्री के लिये अनुमति दी जा सकती है और औषधि नियंत्रण (भारत) इस प्रश्न पर समय आने पर विचार कर सकता है । निस्संदेह औषधि नियंत्रक (भारत) इस पर विचार करेगा कि इन लोगों की बिक्री के *लिये अनुमति* देते समय क्या क्या प्रतिबन्ध लगाये जायें तथा क्या *क्या सावधानी बरती* जायें ; और

(३) जहां तक इन चीजों में अधिक बच्चे न होने देने की शक्ति का संबंध है, सरकार की अत्यधिक नियंत्रित दशाओं में सक्षम कार्यकर्त्ताओं द्वारा अनुसंधान हेतु उनके इस्तेमाल में लाये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी ।"

सरकार ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ।

कटक में बेतार के तार का स्टेशन

†*४०१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यातायात में विलम्ब दूर करने के लिए कटक में बेतार के तार का एक स्टेशन खोलने के बारे में सरकार को उड़ीसा से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि १९५६ में और पिछली बाढ़ के दौरान भी कटक में बेतार के तार का एक स्टेशन था ;

(ग) यह क्यों बन्द कर दिया गया ; और

(घ) क्या बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के कारण संचार साधन बेकार हो जाने पर उड़ीसा से केन्द्रीय सरकार को खबर भेजने के लिए और कोई दूसरी व्यवस्था मौजूद है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) बेतार के तार का केन्द्र चलाने में घाटा हो रहा था ।

(घ) कटक में पुलिस विभाग के पास बेतार के तार का स्टेशन है । इस स्टेशन को सामान्यतः यातायात के मामले में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिय ही लाइसेंस दिया

†मूल अंग्रेजी में

जाता है कि आपात काल में आवश्यक राज्य कार्यों के लिये राज्य सरकार भी इसका उपयोग उठा सकती है ।

उर्वरक

†*४०२. **श्री तंगामणि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १९६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के लिए नाइट्रोजन उर्वरक और फास्फोटिक उर्वरक का उत्पादन अनुमानित उत्पादन के बराबर हुआ है ;

(ख) चालू वर्ष में ये उर्वरक कितनी मात्रा में विदेशों से मंगाये जायेंगे ; और

(ग) विभिन्न राज्यों को कितनी कितनी मात्रा में उर्वरक दिया जायेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) जी नहीं । सिर्फ नाइट्रोजन उर्वरकों के अनुमानित उत्पादन में कुछ कमी हुई है ।

(ख) नाइट्रोजन उर्वरक—८०,६०० टन नाइट्रोजन की शक्ल में ।

फास्फेटिक उर्वरक—१४० टन P_2O_5 की शक्ल में ।

(ग) अभी तक नियत की गई मात्रा का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९७]**

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†४०३. **श्री अ० का० गोपालन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयोजित विकास के लिए दिल्ली में १८०८ एकड़ जमीन ले लेने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो जिन जमीनों का अर्जन करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) जो जमीन ले ली जायेगी क्या उसके लिए मुआवजा देने के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना निकाल दी गई है ।

(ख) क्षेत्रों का ब्यौरा दिल्ली प्रशासन की दिनांक १० नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एफ० १५ (२४५)/६०-एल एस जो में, जो १० नवम्बर, १९६० के दिल्ली प्रशासन के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई थी, दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तावित भूमि के अन्तिम अर्जन के मामले में प्रतिकर भूमि अर्जन अधिनियम, १८९४ के उपबन्धों के अनुसार दिया जायेगा ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पैकज प्रोग्राम

†*४०४. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कुन्हन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री कोडियान :
श्री संगण्णा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री तंगा मणि :
श्री सूपकार :
श्री खुशवक्तराय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैकेज प्रोग्राम कार्यान्वित करने के संबंध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न राज्यों में कौन कौन क्षेत्र चुने गये हैं ; और

(ग) १९६०–६१ में प्रत्येक राज्य के लिए इस योजना के हेतु कितनी रकम आवंटित की गयी है ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९८]

उड़ीसा में सड़कें

†५८२. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा में केन्द्रीय सड़क निधि में से दी जाने वाली वित्तीय सहायता से बनाये जाने वाली जिन २५ सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी थी उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) इनमें से जिन सड़कों का काम पूर्ण हो चुका है उनके नाम क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सड़क परियोजना के नामों वाली सूची सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९९]

(ख) भीमखेज नाला और कलुंगा नाला पर काम समाप्त हो चुका है । बाकी परियोजनाओं में से सात में काम हो रहा है । ११ का काम १९६०-६१ में होना है । बाकी ५ का काम तीसरी योजना के अन्तर्गत पूरा किया जायेगा ।

औषध नियंत्रण अधिनियम

†५८३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में औषध नियन्त्रण अधिनियम के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगाया गया ;

(ख) जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया उनकी संख्या क्या है ;

(ग) कितने मामलों का फैसला हो चुका है ;

(घ) कितने मामले लम्बित हैं ; और

(ङ) इन मामलों का शीघ्रता से निर्णय करने सम्बन्धी क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १४५ मामले ।

(ख) ८ मुकदमें ।

(ग) कोई नहीं ।

(घ) ८ मामले ।

(ङ) लंबित मामलों का शीघ्र निर्णय करने के लिए औषध निरीक्षकों द्वारा सम्भव प्रयत्न किया जा रहे हैं ।

उत्तर रेलवे के असिस्टेंट सर्जनों के लिये क्वार्टर

†५८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसा कि विशेष रूप से रेलवे बोर्ड ने कहा है, उत्तर रेलवे के कितने असिस्टेंट सर्जनों के लिये क्वार्टरों की व्यवस्था की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): उत्तर रेलवे के २११ असिस्टेंट सर्जनों में से १६० को ठीक प्रकार के क्वार्टर दे दिये गये हैं । केवल ३६ व्यक्तियों को नीचे स्तर के क्वार्टर दिये गये हैं ।

चित्तरंजन का इंजन बनाने का कारखाना

†५८५. **श्री दी० चं० शर्मा**: क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करगे कि :

(क) क्या कोई ऐसे मामले हुये हैं जिनमें चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्टरी के कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय रेलवे संस्थापन संहिता के नियम १४८ के अन्तर्गत कार्यवाही की गई हो ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामलों की संख्या क्या है ; और

(ग) इन कर्मचारियों में से अनुसूचित जातियों के लोग कितने हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). एक विवरण, जिसमें चार वर्ष का ब्योरा दिया गया है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १००]**

रेलवे कर्मचारियों की नौकरी की समाप्ति

†५८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९६० से लेकर १ अक्तूबर, १९६० तक के काल में रेलवे संस्थापना संहिता नियम १४८ के अन्तर्गत जिन कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त की गयी हैं उनकी और जिनको नोटिस दिये गये हैं उनकी संख्या क्या है ;

(ख) इसी काल में अपील करने पर जिन मामलों पर विचार हुआ, उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) इस विचार के बाद जिन लोगों को पुनः काम पर लगा दिया गया उनकी संख्या क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्ष

†५८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में पश्चिम रेलवे के जिन स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्ष बनाये गये हैं उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) १९६०-६१ में जिन स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्ष बनाये जायेंगे उनके नाम क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) १९५९-६० में पश्चिम रेलवे के किसी भी स्टेशन पर प्रतीक्षा-कक्ष बनाने की व्यवस्था नहीं थी ; और

(ख) १९६०-६१ में भी इस रेलवे पर प्रतीक्षा-कक्ष बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है।

तटीय नौवहन

†५८८. **श्री मुरारका** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) तटीय क्षेत्रों में और समीपवर्ती देशों के लिये चलने वाले जहाजों का कुल जी० आर० टी० (सकल पंजीबद्ध टनभार) १९५०-५१ में क्या था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हुई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था और इस काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई, और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और इसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इन लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग में कोई रुकावट आई तो उसके क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). तटीय नौवहन संबंधी जानकारी का पूर्ण विवरण सभा पटव पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १ अनुबन्ध संख्या १०१]**

समुद्रपार नौवहन

†५८९. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में समुद्रपार के देशों के लिये चल रहे जी० आर० टी० जहाजों का कुल जी० आर० टी० (सकल पंजीबद्ध टनभार) क्या था ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी, और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हुई ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था और इस काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी तथा इसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ; और

(घ) इन लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग में कोई रुकावट आई तो उसके क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०२]**

पत्तनों पर यातायात

†५९०. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) पत्तनों पर १९५०–५१ में लादे और उतारे गये माल की मात्रा क्या थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी, और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हुई ;

(ग) द्वित्तीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था और इस काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई, और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी व इसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ; और

(घ) क्या इन लक्ष्यों के पूरा होने के मार्ग में कोई रुकावट आई, और उसके क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय म राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

डाकघर

†५९१. **श्री मुरारका** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में (शहरी और देहाती) डाकघरों की संख्या क्या थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था और इस काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई और इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी आई तो वह क्या थी और उसके कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) ३१ मार्च, १९५१ को यह संख्या ३६,०९४ थी ।

(ख)

	लक्ष्य	सफलतायें	वित्तीय व्यवस्था (लाख रुपये)	वास्तविक व्यय
प्रथम पंचवर्षीय योजना	१८,९०६ नये डाकघर खोलने का लक्ष्य था ताकि योजना काल के अन्त तक कुल डाकघरों की संख्या ५५,००० हो जाये ।	१८,९४८ डाकघर खोले गये । इससे डाकघरों की संख्या कुल ५५०४२ हो गई ।	२७.१०	नये डाकघरों के खोले जाने के संबंध में किये जाने वाले व्यय का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता । इस व्यय को अन्य कार्यालयों के ऐसे ही व्यय जैसे वेतन, भत्ते आदि पर होने वाले व्यय में सम्मिलित कर दिया जाता है । इसलिये आंकड़े नहीं दिये गये हैं ।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	२०,००० डाकघर खोलना ।	१७,२९७ ३१ अक्तूबर, १९६० तक खुल चुके हैं ।	४२.५०	

†मूल अंग्रेजी में

(घ) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो लक्ष्य निर्धारित था उसे पूरा कर लिया गया है और द्वितीय पंचवर्षेय योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार की कमी की आशा नहीं।

टेलीफोन कार्यालय

†५९२. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) १९५०–५१ में टेलीफोन कार्यालयों की संख्या कितनी थी ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या लक्ष्य था और इस काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ;

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी आई तो वह क्या थी और उसके कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) ३,५९२, यह संख्या ३१–३–१९५१ को थी।

(ख)	प्रथम योजना के लक्ष्य .	१२००
	प्रथम योजना की सफलता . .	१४६५
	वित्तीय व्यवस्था तथा वास्तविक व्यय . .	योजना के अन्तर्गत तार व्यवस्था के विस्तार की भी व्यवस्था थी अतः टेलीफोन कार्यालयों पर हुये अलग से खर्चों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
(ग)	लक्ष्य	१४००
	१९५६ से लेकर १९६० तक के चार वर्षों की सफलता .	१,१०८
	वित्तीय व्यवस्था .	लगभग १०७ लाख रु०
	४ वर्षों का वास्तविक व्यय .	लगभग ८५ लाख रु०।

(घ) कोई कमी थी भी तो वह उपेक्षाजनक है।

टलीफोन

†५९३. **श्री मुरारका :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि :

(क) १९५०–५१ में टेलीफोनों की कुल संख्या क्या थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में इस दिशा का लक्ष्य क्या था तथा इसी योजना काल में इसे कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी थी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस दिशा में क्या लक्ष्य था और इसी योजना काल में कितनी सफलता प्राप्त हुई, इसके लिये क्या वित्तीय व्यवस्था की गयी और उसमें से कितनी राशि इस काल में खर्च हो गयी ; और

(घ) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में यदि कोई कमी आई तो वह क्या थी और उसके कारण क्या थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) ३१–३–१९५१ तक १६८,४००

(ख)	लक्ष्य . . .	१३२,०००
	सफलता .	१०९,६००
	वित्तीय व्यवस्था . . .	२७.५ करोड़ रुपये।
	वास्तविक व्यय	२३.३ करोड़ रुपये।
(ग)	लक्ष्य . .	१८०,००० टेलीफोन
	गत चार वर्षों की सफलता	१४१,०००
	वित्तीय व्यवस्था . . .	३०.०० करोड़ रुपये।
	वास्तविक व्यय १९५६–६० तक चार वर्षों का	२२.१२ करोड़ रुपये।

(घ) सामान इत्यादि की कमी रही।

डाकघर

५९४. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पंजाब सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है कि लाहौल-स्पिति जिले में लोटे के शाखा डाकघर को उप डाकघर बना दिया जाय और मलांग में एक शाखा डाकघर खोला जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिर भी, पंजाब आदिम जाति सलाहकार परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव प्राप्त होने पर लोटे शाखा डाकघर को पदोन्नत कर के उप डाकघर बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

अलीगंज रेलवे स्टेशन

५९५. **श्री राम शरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों ने यह सुझाव दिया है कि अलीगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर उस स्टेशन के पास स्थित बुधनपुर गांव के नाम पर "बुधनपुर" रख दिया जाये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस विषय में क्या निर्णय करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). यह मामला पूर्वोत्तर रेलवे के विचाराधीन है ।

लाहौल घाटी में शाखा डाकघर

†५९६. **श्री हेमराज** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारत सरकार को लाहौल घाटी में मूरिंग में और स्पिति घाटी में ताबो और धनकर में डाकखाने खोलने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) (१) मूरिंग में एक डाकघर काम कर रहा है ।

(२) ताबो और धनकर में डाकघर खोला जा रहा है ।

(ख) धनकर और ताबो में डाकघर चालू करने के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है । उपयुक्त कर्मचारियों की सेवायें प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है जोकि अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्ट मास्टरों के रूप में कार्य करेंगे । ऐसा होने के पश्चात् तुरन्त डाकघर चालू कर दिये जायेंगे ।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ

†५९७. **श्री पांगरकर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात का पता है कि महाराष्ट्र के राजपथों की हालत सामान्यतः और पूना विभाग के राजपथ की विशेषतः बहुत ही खराब है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन के कनेक्शन

†५९८. **श्री पांगरकर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में १९५९–६० और १९६०–६१ में दिये जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या है ;

(ख) इस पर खर्च की गयी कुल राशि क्या है ; और

(ग) उन प्रार्थियों की जिनको अभी कनेक्शन नहीं मिले संख्या क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा प० सुब्बारायन)** : (क)

१९५९–६० .	१,३११
१९६०–६१	४३५

(ख) व्यक्तिगत टेलीफोन कनेक्शन देने में कितना व्यय होता है इसका निर्णय करना संभव नहीं। परन्तु कनेक्शन लेने वालों के स्थानों पर टेलीफोन लगाने पर १९५९–६० में ३,८७,६८४ और १९६०–६१ में अभी तक १,३२,२१६ रुपये व्यय हुये।

(ग) २७०७।

उत्तर रेलवे में शौकिया नाटक क्लब

†५९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में शौकिया नाटक क्लब कितने हैं ;

(ख) क्या उन्हें काम काज बढ़ाने के लिये कोई वित्तीय अनुदान या सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) तीन।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पठानकोट स्टेशन

†६००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में अब तक पठानकोट स्टेशन पर माल और सवारियों के यातायात से कितनी आय हुई ;

(ख) क्या चालू वर्ष की आय पहले की अपेक्षा कम है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ (अक्तूबर ६० के अन्त तक) पठानकोट स्टेशन पर माल और सवारियों के यातायात से आय इस प्रकार रही :

वर्ष	माल	सवारी
	रुपये	रुपये
१९५८–५९ .	२२,९८,१३२	७४,४५,६५६
१९५९–६० .	२३,७६,१६८	९४,५३,३७५
१९६०–६१ . . .	१५,५९,७७०	५८,४६,५००
(अप्रैल से अक्तूबर, ६० के अन्त तक छः महीने)		

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में कृषि विकास

†६०१. श्री दी० चं० शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में कृषि विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९५९–६० के वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल कितनी रकम पंजाब राज्य को दी है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मॅ० वें० रामस्वामी) : दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में वित्तीय वर्ष १९५९–६० के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में कृषि के विकास के लिये पंजाब सरकार को कुल ७५६·५८ लाख रुपये की रकम (५६४·४१ लाख रुपये ऋण के तौर पर और १९२·१७ लाख रुपये अनुदान के तौर पर) दी है ।

गेहूं की प्रति व्यक्ति वर्तमान खपत

†६०२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अभी गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में गेहूं की हमारी वर्तमान प्रति व्यक्ति खपत कितनी है, और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में गेहूं के कुल कितने उत्पादन और उपभोग का अनुमान है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). विनियंत्रण की स्थिति में तथा विभिन्न अनाजों के उपभोग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बिना देश में गेहूं के प्रति व्यक्ति उपभोग का अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी, बीज, बरबादी आदि के लिये एक मोटे तौर पर छट देने के बाद, १९५९ में प्रति व्यक्ति उपभोग के लिये उपलब्ध गेहूं की मात्रा बताने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०४] इस विवरण में ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में गेहूं की प्रति व्यक्ति खपत भी दी हुई है जो खाद्य तथा कृषि संगठन ने उन वर्षों के लिये जिनके लिये जानकारी उपलब्ध है, इकट्ठी की है । रूस और चीन के लिये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) १९६०–६१ में, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का अन्तिम वर्ष है, गेहूं के संभाव्य उपभोग या उपभोग के लिये उपलब्ध मात्रा के बारे में अभी नहीं बताया जा सकता । फिर भी इस वर्ष गेहूं का उत्पादन लगभग ९७ लाख टन हुआ है ।

पंजाब में स्वास्थ्य परियोजनायें

†६०३. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री २० नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित परियोजनाओं के

†मूल अंग्रेजी में

अधीन अमेरीका से प्राप्त सहायता में से १९६०–६१ में अब तक पंजाब को कितनी रकम की सहायता दी जा चुकी है :

(१) चिकित्सा कालेज और सम्बद्ध संस्थायें;

(२) नवीकरण प्रशिक्षण परियोजनायें;

(३) राष्ट्रीय जल पूर्ति और सफाई कार्यक्रम;

(४) राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम;

(५) राष्ट्रीय पील पांव नियंत्रण कार्यक्रम;

(६) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नजफगढ़ का गन्दा नाला

†६०४. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री ५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ के गन्दे नाले के निर्माण-कार्य के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) वह संभवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि तीनों ही क्षेत्र (सेक्टर्स) सभी बातों में पूरे हो गये हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

†६०५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किराये पर चलने वाली विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के कितने चालक दिल्ली में वर्ष १९६० में अब तक दुर्घटनाओं के समय या अन्यथा नशे में पाये गये;

(ख) क्या यह संख्या १९५८ की अपेक्षा अधिक है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) २ (३१–१०–६० तक) ।

(ख) जी नहीं ।

उत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था

†६०६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कितने स्टेशनों पर विभाग की ओर से भोजन की व्यवस्था की जाती है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने स्टेशनों पर गैर-सरकारी ठेकेदार भोजन वितरण करते हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) ९ ।

(ख) ३३९ ।

दिल्ली राज्य में वन महोत्सव

†६०७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन महोत्सव के अवसर पर दिल्ली राज्य में १९५७, १९५८ और १९५९ में कितने पेड़ लगाये गये;

(ख) उन में से कितने पेड़ जिन्दा रहे; और

(ग) क्या उन पेड़ों की देख भाल के लिये कोई व्यवस्था की गयी थी ?

†कृषि मंत्री (डा० पं शा० देशमुख) : (क) और (ख). जितने पेड़ लगाये गये और जितने जिन्दा रहे उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	पेड़ जो लगाये गये	पेड़ जो जिन्दा रहे
१९५७ . .	१७,५२९	८,२३६
१९५८ . .	८८,५००	४४,२५०
१९५९ . .	१,२४,२३४	८६,९६४

(ग) जी हां, निम्नलिखित व्यवस्था की गयी थी :—

(१) संरक्षक उपायों के तौर पर वृक्ष-संरक्षक और चहारदीवारी लगायी गयी ।

(२) पेड़ों को पानी देने के लिये विभाग की ओर से एक व्यक्ति रखा गया था ।

(३) प्रायः सभी संस्थाओं ने, जिन्होंने पेड़ लगाये जैसे स्कूल, प्रतिरक्षा संस्थापनायें, वन और अन्य विभाग, आवश्यक निगरानी भी की ।

शोरानूर में ऊपरी पुल

†६०८. श्री कुन्हन : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में दक्षिण रेलवे में शोरानूर में एक ऊपरी पुल बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरे दर्जे के सोने की व्यवस्था वाल नये डिब्बे

†६०९. श्री बहादुर सिंह :
श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री रामी रेड्डी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न गाड़ियों में नये तीसरे दर्जे के सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे चाल किये गये हैं;

(ख) किन-किन रेल मार्गों पर यह योजना लागू की जा रही है; और

(ग) क्या उन्हें चालू करने के लिये कोई प्राथमिकता भी निश्चित की गयी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). यह निश्चय किया गया है कि सर्व-प्रथम, ८०० किलोमीटर से ऊपर जाने वाली सभी गाड़ियों में नये ढंग के तीन-खंड वाले सोने की व्यवस्था वाले डिब्बे चालू किये जायें। संलग्न विवरण (क) और (ख) [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०५] में वह रेल गाड़ियां दी हुई हैं जिन में १-११-१९६० तक ये डिब्बे चालू किये गये हैं और प्राथमिकता के क्रम से ये गाड़ियां भी दी हुई हैं जिन में भविष्य में वे डिब्बे चालू करने का विचार है।

दिल्ली दुग्ध योजना

†६१०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के अन्तर्गत अभी कितना दूध दिया जा रहा है;

(ख) अभी मेरठ को कितना दूध पहुंचाया जा रहा है; और

(ग) अभी तक कितने दूध-डीपो खोले गये हैं ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) लगभग ६० हजार लिटर प्रति दिन

(ख) अभी मेरठ को कोई दूध नहीं पहुंचाया जा रहा है।

(ग) ३१४ ।

दिल्ली में रेलों का विस्तार

†६११. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रेलों के विस्तार की योजना बनाने के सम्बन्ध में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : १६-८-१९६० को पिछले प्रश्न के उत्तर के बाद से दो योजनाओं के सम्बन्ध में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।

---

†भूल अंग्रेजी में

कुनैन के इंजेक्शन

†६१२. श्री नरदेव स्नातक : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक साल में भारत में कुनैन के इंजेक्शनों के कारण मृत्यु हुई;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे कुनैन के इंजेक्शनों पर रोक लगाने का सरकार का विचार है; और

(ग) पिछले एक साल में भारत में ऐसे कुनैन के इंजेक्शनों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कुनैन के इंजेक्शन के कारण किसी की मौत का कोई मामला भारत सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में सड़कें

†६१३. { श्री भक्त दर्शन :
श्री सरजू पांडेय :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १६ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश की जिन ३३ सड़कों के लिये मंजूरी दी जा चुकी थी उन्हें बनाने के विषय में इस बीच क्या प्रगति हुई है और इन में से प्रत्येक सड़क के लिये केन्द्रीय सरकार ने और कितनी रकम मंजूर की है;

(ख) उत्तर प्रदेश में सड़क विकास कार्यक्रम के लिये १९५९–६० में २६.४८ लाख रुपये की अतिरिक्त रकम के लिये जो प्रस्ताव रखा गया था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया; और

(ग) उपर्युक्त तथा अन्य सड़कों के लिये १९६०–६१ में कितनी रकम मंजूर की गयी ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) से (ग) विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०[illegible]]

सफदरजंग-कुतुब मीनार सड़क पर रोशनी

†६१४. पं. प[illegible] : क्या स्वास्थ्य मंत्री १० फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डा और कुतुब मीनार के बीच की सड़क पर रोशनी लगाने के बारे में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: लेवल क्रासिंग और युसुफ सराय के बीच की सड़क पर रोशनी लगाने का काम नयी दिल्ली नगर पालिका पूरा कर चुकी है ।

दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि युसुफ सराय और कुतुब मीनार के बीच की सड़क पर रोशनी लगाने का काम शुरु हो चुका है और वह जारी है । संभवतः वह दो या तीन महीने की अवधि में पूरा हो जायेगा ।

बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति

†६१५. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा नियुक्त बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के खंड ३, ४ और ५ की प्रतियां सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि नहीं तो उस के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति के प्रतिवेदन के खंड ३, ४ और ५ की प्रतियां निम्नलिखित कारणों से सभा पटल पर रखने का विचार नहीं है :—

(१) खंड में रेखा चित्र हैं जो अभी मुद्रित नहीं हुए हैं । यह खंड केवल सरकारी उपयोग के लिये है ।

(२) खंड ४ में नक्शे हैं जो केवल समिति उपयोग के लिये ही हैं ।

(३) खंड ५ एक वर्गीकृत प्रलेख है ।

सिंचाई और विद्युत्, परियोजनाओं के लिये उड़ीसा की योजनायें

†६१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मंझली सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के सम्बन्ध में तीसरी आयोजना के लिये उड़ीसा सरकार से नयी योजनायें केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने ऐसी कौन कौन सी नयी योजनायें प्रस्तुत की हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) उड़ीसा सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के प्रारूप में आयोजना में कुछ नयी सिंचाई और विद्युत योजनायें सम्मिलित करने का सुझाव दिया है ।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित नयी सिंचाई और विद्युत योजनाओं का प्रस्ताव रखा है :—

बड़ी सिंचाई योजनायें

१. भीमकुण्ड

---

†मूल अंग्रेजी में

मंझली सिंचाई-योजनायें

१. पीपल पंखा

२. उत्तई

३. सलछुआ टंगना

४. सियारिया

५. लोअर लण्ट

६. बहुदा

विद्युत् योजनायें

१ तलछर तापीय योजना

२. बालीमेला जल विद्युत् योजना

३. लो लीड टर्बाइन्स

४. बालीमेला, तलछर मचकुन्द यूटीलाइजेशन स्कीम

५. गांवों में बिजली लगाना

६. हीराकुड स्टेज, ३

भुबनेश्वर स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल

†६१७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या रेलवे मंत्री ७ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भुबनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये एक ऊपरी पुल बनाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है; और

(ख) नया प्लैट फार्म कब तक पूरा तैयार हो जाने की संभावना है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) भुबनेश्वर रेलवे स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल बनाने का काम जारी है ।

(ख) काम संभवत: दिसम्बर, १९६० के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

गोखले समिति

†६१८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नदी परिवहन सम्बन्धी गोखले समिति की रिपोर्ट पर जो उसे परिचालित की गयी थी, उड़ीसा सरकार की राय मिल चुकी है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से क्या राय और सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उड़ीसा सरकार की राय संलग्न विवरण में दी हुई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०७]

उड़ीसा में चिकित्सा शिक्षा योजनायें

†६१६. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार को "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण" समुदाय के अन्तर्गत केन्द्र संचालित योजनाओं के लिये १६६०–६१ में अनुदान की कोई इकट्ठी रकम दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). १६६०–६१ में "चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण" समुदाय के अन्तर्गत केन्द्र संचालित योजनाओं के लिये उड़ीसा सरकार को अनुदान के रूप में भुगतान करने के लिये २०.६६ लाख रुपये की रकम नियत की गयी है। केन्द्रीय सहायता के भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार, राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्गोपाय अग्रिम धन के तौर पर माहवार आधार पर रकमें दी जा रही हैं। अन्तिम भुगतान की मंजूरी चालू वित्तीय वर्ष के अन्त में जारी की जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय भूमि विज्ञान कांग्रेस[1]

†६२०. { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिका के विस्कोन्सिन विश्वविद्यालय में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय भूमि विज्ञान कांग्रेस में भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किस प्रकार भाग लिया था और भूमि के किन महत्वपूर्ण पहलुओं में उन्होंने सक्रिय दिलचस्पी ली ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय वैज्ञानिकों ने प्री-कांग्रेस दौरे में भाग लिया जिसका आयोजन अमेरिका के उत्तर-पूर्व और कार्नबेल्ट राज्यों के भूमि अनुसंधान कार्य का प्रदर्शन करने के लिये किया गया था और उन्होंने कांग्रेस द्वारा स्थापित विभिन्न आयोगों के अधिवेशनों तथा कांग्रेस के तत्वाधान में संगठित ट्रापिकल सायल्स सम्बन्धी संगोष्ठी में भी भाग लिया।

(ग) सदस्यों ने अपने अपने विशिष्टीकरण के विषयों में सक्रिय दिलचस्पी ली और वे विषय इस प्रकार हैं :— मिट्टी की नमी और मिट्टी के ढांचे का भौतिक शास्त्र, भूमि अनुसंधान के आधुनिक विश्लेषणात्मक तरीके, सायल नाइट्रोजन, भूमि की उर्वरता, डाइग्नोस्टिक टूल्स, सायल टेस्टिंग रेडियोऐक्टिव ट्रेसर्स, भूमि में फास्फेट, , नमी सम्बन्धी पोषक तत्वों की उपलब्धि, दुय्यम और छोटे छोटे तत्व, वर्गीकरण, सैलाइन और अल्काजाइन सायल्स का प्रबन्ध, जल-प्रबन्ध के बारे में जमीन की भौतिक बातें और मिट्टी खनिज और तत्सम्बन्धी पदार्थों के गुण और प्रभाव।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] International Soil Science Congress

अन्तरिम रिपोर्ट की एक प्रति संसद् पुस्तकालय में पहले ही रख दी गयी है ।

यात्री बसों के लिये परमिट

†९२१. श्री अ० मु० तारिक : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ३१ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यात्री बसों के लिये परमिट के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी की गयी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर): राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०८]

रेलवे में सामयिक मजदूर[1]

†९२२. श्री ल० ब० विट्ठलराव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड का यह आदेश कि जिन सामयिक मजदूरों ने छः महीने की लगातार सेवा की हो उन्हें माहवार वेतनक्रम पर रखा जाये, रेलवे में कहां तक कार्यान्वित किया गया है;

(ख) १ अप्रैल, १९६० को कुल कितने सामयिक मजदूर थे; और

(ग) १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९६० तक कितने मजदूरों को माहवार वेतनक्रम दिये गये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) पूरी तौर से क्रियान्वित किया गया है किन्तु पूर्व रेलवे के उन २०९ सामयिक मजदूरों को छोड़ कर जिन के मामलों पर विचार हो रहा है ।

(ख) २४१,००१

(ग) ४,१४७ ।

केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद्

९२३. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री भक्त दर्शन :

क्या स्वास्थ्य मंत्री ८ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने देश में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करने और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राज्य सरकारों की विभिन्न गतिविधियों में तालमेल के उद्देश्य से केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद की स्थापना के सुझाव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Casual labour.

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् ने २८ से ३० अक्तूबर, १९६० तक जयपुर में हुई अपनी बैठक में इस प्रस्थापना पर विचार किया था। परिषद् ने इस सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प स्वीकार किया :—

"केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में गतिविधियों का संवर्धन और उन में तालमेल लाने के लिये केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद् की स्थापना के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात, यह सिफारिश करती है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् के तत्वाधान में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार समिति की स्थापना की जाये। परिषद् यह सिफारिश भी करती है कि सलाहकार समिति के गठन, कृत्यों और प्रक्रिया का निश्चय परिषद् के सभापति द्वारा किया जाये।"

स्टेशनों का नवनिर्माण

†६२४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के मीटर गेज सैक्शन पर स्थित रिवाड़ी, चरखी दादरी और भिवानी रेलवे स्टेशनों के नवनिर्माण के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन में से प्रत्येक स्टेशन पर क्या और किस किस्म की सुविधायें प्रदान की जायेंगी; और

(ग) इस कार्य के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). **रिवाड़ी स्टेशन** : रिवाड़ी स्टेशन पर निम्नलिखित काम चालू हैं;—

(एक) यात्रियों के लिये नये प्लेटफार्म;

(दो) 'पृथक्कृत' प्लेटफार्म को पैदल चलने वाले यात्रियों के लिये ऊपर के पुल का विस्तार;

(तीन) प्याऊ।

लगभग ४५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। अनुमान है कि उपरोक्त काम १९६१ के अन्त तक समाप्त हो जायेंगे।

चरखी दादरी स्टेशन : चरखी दादरी स्टेशन पर प्लेटफार्म पर शैड बनाने, दो मनुष्यों के जाने योग्य शौचालय का निर्माण करने और यार्ड का विस्तार करने का काम पूरा हो चुका है।

भिवानी स्टेशन : भिवानी स्टेशन पर निम्नलिखित काम हो रहे हैं :—

(एक) प्लेटफार्म को ढकना ;

(दो) तीसरी श्रेणी के यात्रियों के लिए प्रतीक्षा गृह ;

(तीन) स्टेशन की इमारत में वृद्धि और परिवर्तन ; और

(चार) सफाई सम्बन्धी व्यवस्था।

---

†मूल अंग्रेजी में

Isl an d Platform.

अनुमान है कि उपरोक्त कार्य १९६१ के मध्य तक समाप्त हो जायेंगे । लगभग ४५ प्रतिशत काम पूरा हो चुका है ।

मैड्रिड में विश्व विद्युत् सम्मेलन

†६२५. श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री २३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्युत् सम्मेलन की विभागीय समिति की बैठक में, जो जून के महीने में मैड्रिड में हुई थी, गये हुए भारतीय प्रतिनिधि ने इस बैठक की कोई रिपोर्ट पेश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें सम्मेलन की कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तान्त दिया गया है । मुख्य बातें नीचे दी जा रही हैं :—

> सम्मेलन की विभागीय समिति की बैठक के सामने प्रमुख प्रश्न था "विद्युत् की कमी की समस्या को हल करने के उपाय ।" सम्मेलन के प्रविधिक अधिवेशन में पेश किये पत्रों और चर्चा में इस बात पर बल दिया गया था कि प्रत्येक देश में बिजली की मांग का दीर्घ-कालीन अनुमान लगाया जाये और विद्युत् के स्रोतों की तेजी से खोज की जाये । इस बात पर भी बल दिया गया कि विद्युत् स्रोतों के सुसम्बद्ध और समन्वयात्मक विकास के यथार्थवादी कार्यक्रम का निर्धारण करने के लिए विस्तृत और व्यापक अध्ययन किया जाये । प्रचलित तापीय संयंत्रों के क्षेत्र में होने वाली प्रविधिक उन्नति और अणु-शक्ति के आविष्कार के कारण, यह सब और भी आवश्यक हो गया है । पूर्णतया सुसम्बद्ध प्रणालियों और विशालकाय विद्युत् प्रणालियों के पारस्परिक संचालन और कई देशों में प्राकृतिक गैस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से होने वाली असाधारण किफायत पर भी सम्मेलन में चर्चा की गयी ।

विद्युत् उत्पादन के लिए अणु-संयंत्रों के प्रचलन के विषय में सब से अधिक दिलचस्पी ली गयी । विद्यत्-शक्ति-उत्पादन और परिवहन के लिए अणु-शक्ति के उपयोग के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गयी । सामान्य राय यह थी कि भविष्य में अणु-शक्ति केन्द्रों के, दीर्घ-कालीन स्तर पर विद्युत् प्रणालियों के साथ एकीकरण के प्रश्न का अध्ययन शुरू किया जाये और ऐसे क्षेत्रों में, जहां विद्युत की बहुत मांग होने की संभावना है, अणु-शक्ति उत्पादन के प्राक्कलनों का आर्थिक अध्ययन करके ऐसे बिजलीघरों की स्थापना का कार्यक्रम बनाया जाये । इस बात को देखते हुए कि अभी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, जिनको अभी हल करना है और नई प्रविधियों के बारे में हमें पर्याप्त अनुभव नहीं है तथा यह भी

---

†मूल अंग्रेजी में

इस क्षेत्र में बड़ी तेजी के साथ विकास हो रहा है, यह बात अनुभव की गयी कि बड़े पैमाने पर अणु-शक्ति संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम के लिए उचित समय का निर्धारण करते समय बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए ।

केरल इंजिनियरी अनुसंधान संस्था

†६२६. { श्री पारिगर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने केरल इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था, पीची (केरल राज्य) के लिए कुछ धन-राशि की मंजूरी दी है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : अभी तक किसी रकम की मंजूरी नहीं दी गयी । अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में लगभग २०,००० रु० के अनुमान की मंजूरी दे दी जायेगी ।

नदी घाटी परियोजनाओं के लिये भूमि-परीक्षण प्रयोगशाला

†६२७. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० मांझी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नदी घाटी परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से भूमि और सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना की स्थापना पर आने वाले सारा खर्च संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि द्वारा वहन किया जायेगा ;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए स्थान का चुनाव कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि ने तीसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में भारत की ६६ जल-विद्युत और बहु-प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं की जगहों की विस्तृत जांच के लिए उपेक्षित उदाहरणों की लागत के सिलसिले में १ करोड़ १३ लाख रुपये की सहायता देनी स्वीकार की है । आयात किये जाने वाले साज सामान में, जांच कार्यों के लिए एक विशाल और आधुनिक भूमि-संरचना परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के लिए आवश्यक मशीनें और यंत्र आदि शामिल हैं । प्रयोगशाला की इमारत और कर्मचारियों पर आने वाला खर्च सरकार करेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मनमाड-नरदाना-इंदौर रेलवे परियोजना

†६२८. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या रेलवे मंत्री १७ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९४६ के सर्वेक्षण के पश्चात् बदले हुए हालात देखते हुए मनमाड-नरदाना-इन्दौर रेलवे परियोजना का पुन-सर्वेक्षण कराने का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

खेतड़ी को जाने वाली रेलवे लाइन

†६२९. **श्री मुरारका** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के झुनझुनू जिले में खेतड़ी को जाने वाली, जहां पर तांबे को शोधन करने का कारखाना लगाने का विचार है, रेलवे लाइन बनाने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ग) कार्य कब शुरू होने की सम्भावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

फर्रुखाबाद के निकट रेल दुर्घटना

६३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ सितम्बर, १९६० को फर्रुखाबाद के निकट एक रेल दुर्घटना हुई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना में कितने व्यक्ति मरे थे ; और

(ग) क्या इस दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) ऐसी कोई दुर्घटना रेल-प्रशासन के नोटिस में नहीं आयी है ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठते ।

भारतीय नौवहन सेवा में विदेशी

†६३१. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय नौवहन सेवा में कितने विदेशी व्यक्ति हैं ;

(ख) उनमें कितने लोग विशेषज्ञ हैं और कितने साधारण कर्मचारी हैं ; और

(ग) भारतीय नौवहन का पूर्णतः भारतीयकरन करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ३० सितम्बर, १९६० को भारतीय जहाजों पर ५३१ विदेशी राष्ट्रजन कार्य कर रहे थे ।

(ख) भारतीय जहाजों पर ७९ अंग्रेज और १० जर्मन राष्ट्रजन 'मास्टर', मुख्य अधिकारी और 'मुख्य इंजीनियर' के तौर पर कार्य कर रहे थे ।

(ग) भारतीय वणिक-पोतों में भारतीय राष्ट्रजनों की संख्या पर्याप्त हो, इसके लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(एक) भारतीय वणिक-पोत की बढ़ती हुई मांग पूरा करने के लिये बहुत से लोगों को डैक और इंजीनियर अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण देने के लिये टी० एस० 'डफरिन' और जलपोत इंजीनियरी निदेशालय में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार किया गया है । अनुमित कमी को पूरा करने के लिये, भारतीय नौवहन कम्पनियों को भी यह अनुमति दे दी गयी है कि वे एक निश्चित संख्या में नवयुवकों को सीधे शिक्षार्थी के रूप में ले सकती हैं ताकि उन्हें डैक और इंजीनियर अधिकारियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जा सके ।

(दो) नावीय और इंजीनियरी कालेज , बम्बई में, 'मास्टर', 'मेट्स' और इंजीनियरों की योग्यता-प्रमाणपत्र की परीक्षा में बैठने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये विभिन्न पाठ्यक्रमों के विषयों पर मौखिक भाषण देने की सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ।

(तीन) डैक और इंजन रूम विभागों में नौसेवी (सीमैन) के रूप में नियुक्ति के लिये प्रशिक्षण देने के वास्ते कलकत्ता, विशाखापत्तनम और नवलाखी में नाविक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गयी है ।

रेडियो टेलीफोन सेवा

६३२. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत का रेडियो-टेलीफोन सर्कट के जरिये किन-किन देशों से सीधा संबंध है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : भारत का नीचे लिखे तेईस देशों के साथ रेडियो-टेलीफोन परिपथ के जरिये सीधा संबंध है :—

(१) अदन	(२) आस्ट्रेलिया
(३) बहरीन (फारस की खाड़ी)	(४) बर्मा
(५) चीन	(६) पूर्व अफ्रीका
(७) मिश्र	(८) इथोपिया
(९) फ्रांस	(१०) जर्मनी
(११) हांगकांग	(१२) इंडोनेशिया
(१३) ईराक	(१४) ईरान
(१५) इटली	(१६) जापान
(१७) मलाया	(१८) पोलैंड
(१९) सऊदी अरब	(२०) स्विटजरलैंड
(२१) इंगलैंड (३ निर्गमन)	(२२) रूस, और
(२३) दक्षिण वियतनाम (सैगांव)	

दिल्ली में सहकारी समितियों को ऋण

†६३३. **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में सहकारी समितियों को ऋण देने की प्रक्रिया में, जिसका पालन अब तक किया जाता रहा है, परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके स्थान पर कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है ; और

(ग) इस नई प्रक्रिया को अपनाने से सरकार को क्या लाभ होने का अनुमान है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). सहकारी समितियों को सरकार द्वारा और दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा ऋण दिये जाते हैं। सरकार द्वारा ऋण दिये जाने की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दिल्ली राज्य सहकारी बैंक द्वारा १६ मई, १९५९ तक दिये गये ऋणों के बारे में प्रक्रिया क्या होनी चाहिये, इसके लिये लिखित रूप में से कोई निश्चित हिदायत नहीं दी गयी थी। अतः १६ मई, १९५९ को बैंक ने विस्तृत हिदायतें जारी कीं कि समितियों को किस प्रक्रिया और विधि से ऋण दिये जाने चाहियें। इससे बैंक को अपने द्वारा दिये गये ऋणों पर अधिक नियंत्रण हो गया है। यह भी निश्चय किया गया है कि जनवरी, १९६१ से ऋण के संबंध में समितियों के आवेदन पत्रों की सिफारिश सहकारिता विभाग से नहीं करनी पड़ेगी बल्कि इनकी जांच बैंक के कर्मचारियों द्वारा की जायेगी। इस प्रकार बैंक का अपनी ऋण नीति पर पूरा नियंत्रण रहेगा। यह सहकारिता आंदोलन को गैर-सरकारी रूप देने की सर्वसम्मत नीति के अनुरूप है। इससे बैंक द्वारा समितियों को ऋण देने में होने वाले विलम्ब के दूर होने में सहायता मिलेगी और सहकारिता विभाग विकास संबंधी गतिविधियों की ओर अधिक ध्यान दे सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

बालासोर स्टेशन पर पीने का पानी

†६३४. **श्री प्र० के० देव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के बालासोर स्टेशन पर पीने के पानी की कमी है ;

(ख) क्या एक एक्सप्रैस गाड़ी के यात्रियों ने पानी की मांग करते हुये स्टेशन मास्टर के कार्यालय को घेर लिया और स्थानीय जिला मैजिस्ट्रेट को एक भारी पुलिस दल की सहायता से हस्तक्षेप करना पड़ा ;

(ग) यदि हां, तो इस घटना का ब्योरा क्या है ; और

(घ) वहां पर जल-पूर्ति संबंधी स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं। बालासोर स्टेशन पर पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी।

(ख) और (ग). ३०२ डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रैस गाड़ी २६ सितम्बर, १९६० की सुबह से ही बालासोर स्टेशन पर रुकी हुई थी क्योंकि रूपसा और बास्ता के बीच पुल के निकट बाढ़ का पानी खतरे के निशान से ऊपर चढ़ रहा था इसलिये गाड़ी का आगे जाना असंभव था। उपरोक्त गाड़ी के बहुत से यात्री स्टेशन के कर्मचारियों से गाड़ी के जाने के बारे में पूछताछ कर रहे थे क्योंकि गाड़ी के वहां पर बड़ी देर से खड़ी रहने के कारण वे लोग अधीर हो गये थे। गाड़ी बालासोर से अगले दिन अर्थात् २७ सितम्बर, १९६० की सुबह को रवाना हुई। जिला मैजिस्ट्रेट दोनों दिन स्टेशन पर आते रहे। उन्हें पानी की कमी की कुछ शिकायतें मिलीं और उन्होंने स्थानीय सैनिक टुकड़ियों से पानी के ट्रकों का प्रबन्ध किया। वास्तव में वहां पर पानी की कोई कमी नहीं थी। प्लेटफार्म पर पानी का प्रबन्ध सामान्यतः गाड़ियों के आने जाने के समय पर किया जाता है। उस दिन, अर्थात् २६ सितम्बर, १९६० को असाधारण परिस्थितियों के कारण सुबह से लेकर पानी की लगातार सप्लाई करनी पड़ी और पानी के ऊपर के (ओवर हैड) भंडार से इस अप्रत्याक्षित आवश्यकता की पूर्ति नहीं की जा सकी जिसका परिणाम यह हुआ कि शाम को नलों में पानी का प्रवाह कम हो गया। किन्तु रेलवे के अपने साधनों द्वारा पानी की सप्लाई की स्थिति सन्तोषजनक थी। यही कारण था कि सैनिक टुकड़ियों से मांगे गये पानी के ट्रकों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया।

(घ) यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में, इस स्टेशन पर जल-पूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था है, तथापि भविष्य में इस प्रकार मांग बढ़ जाने की स्थिति का सामना करने के लिये 'ओवर हैड' स्टोरेज क्षमता में वृद्धि करने का विचार है।

लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज में विद्यार्थियों का प्रवेश

†६३५. **श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की मैडिकल-पूर्व विभक्त परीक्षा (प्री-मैडिकल कम्पार्टमैंटल एक्जामिनेशन) के परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना ही, लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम के लिये विद्यार्थियों का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) क्या इससे पहले इन्टर साइन्स और प्री-मैडिकल पाठ्यक्रम के उन विद्यार्थियों को, जिनका कम्पार्टमैंट आया हो, कभी अस्थायी रूप से दाखिला दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बार इस सिद्धांत का पालन क्यों नहीं किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय की अनुमति प्राप्त की गयी थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**:(क) प्री-मैडिकल कम्पार्टमैंटल परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं था क्योंकि १९६०–६१ के विवरण (प्रास्पैक्टस) में यह दिया गया है कि इंटर-साइन्स/प्री-मैडिकल परीक्षा में कम्पार्टमैंट में आने वाले विद्यार्थी लेडी हार्डिंग मडिकल कालेज के एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में दाखिल होने के पात्र नहीं हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना

†६३६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मीटर-गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितने मील लाइनों को बदलने का लक्ष्य रखा गया था, वह पूरा हो जायेगा और किन किन लाइनों को अब तक बदला जा चुका है और योजना के अन्त तक किन लाइनों के बदले जाने की संभावना है ;

(ग) क्या मीटर-गेज लाइनों के बदले जाने की नई प्रस्थापनाओं में उत्तर प्रदेश अथवा बिहार और विशेष रूप से उत्तर रेलवे के शाहगंज-मऊ सैक्शन और उसके आसपास की लाइनें भी शामिल हैं ; और

(घ) क्या वाराणसी के पास से जाने वाली किसी मीटर-गेज लाइन को बदलने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) अभी तीसरी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया ।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में १९५ मील लम्बी लाइनों को बदलने का कार्यक्रम शामिल है, जिसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

	मील
(एक) गुडीवाडा–भीमावरम . . .	४१
(दो) विजयवाडा–मसूलीपटम पत्तन . .	५१.५
(तीन) गुन्तूर–ताडेपल्ली (अलग बड़ी लाइन) . .	१६
(चार) कटिहार–सिंहबाद	६९
(पांच) कुमेदपुर–बरसोई .	१७.६
जोड़ . . .	१९५.१

इन कार्यों को हाथ में लिया जा चुका है और अनुमान है कि तीसरी योजना की अवधि में ये काम समाप्त हो जायेंगे ।

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त लाइनों के अतिरिक्त, रेनीगुन्ता–गुडूर सैक्शन (५२ मील) को मीटर-गेज से बड़ी लाइनों में बदलने का जो कार्यक्रम पहली योजना में सम्मिलित था, पहली योजना में पूरा न हो सकने के कारण दूसरी योजना में ले लिया गया था। यह कार्य अब पूरा हो चुका है।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुये, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) और (ङ). जी नहीं। क्योंकि इन स्टेशनों से होने वाले यातायात की मात्रा के कारण ऐसा करना उचित नहीं है।

स्टेशनों का विद्युतीकरण

†६३७. **श्री कालिका सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश में उत्तर-पूर्वी रेलवे के किन किन स्टेशनों पर अब तक बिजली लगा दी गयी है ; और

(ख) उत्तर पूर्वी रेलवे के शाहगंज-मऊ-बलिया सैक्शन, वाराणसी–मऊ–गोरखपुर सैक्शन, वाराणसी–गाजीपुर–बलिया और आरिहार–जौनपुर सैक्शन के किन स्टेशनों पर सुधार किये गये हैं और क्या सुधार किया गया है और इस कार्य पर कुल व्यय कितना हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली मेल का देर से चलना

†६३८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री ५ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०७४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अगस्त, १९६० को दिल्ली मेल २ घंटे लेट थी और गाड़ी के पटरी से उतर जाने से यात्रियों को रास्ते में ही रुकना पड़ा ; और

(ख) यदि हां, तो इस गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों को किशनगढ़ रेलवे स्टेशन से आगे ले जाने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां।

(ख) मूसलाधार वर्षा के कारण दुर्घटनास्थल से यात्रियों को आगे ले जाना संभव नहीं था। रास्ते में एक पुलिया पड़ने से शाखा-लाइन भी नहीं बिछायी जा सकी। इसलिये १ अप दिल्ली मेल और ५ अप आगरा-अहमदाबाद एक्सप्रैस को किशनगढ़ के पास रोक लिया गया। इन गाड़ियों के यात्रियों को बसों के द्वारा अजमेर ले जाया गया। अजमेर से डुप्लीकेट १ अप दिल्ली मेल, ३ अप दिल्ली एक्सप्रेस और ५ अप आगरा–अहमदाबाद एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयीं।

मेहसाना स्टेशन का सहायक स्टेशन मास्टर

†६३९. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट के डी० एस० ने पश्चिम रेलवे के मेहसाना स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो जांच करने में देर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) जांच कार्य में देर इसलिये हो गयी क्योंकि सहायक स्टेशन मास्टर ५-६-५९ से २२-२-६० तक बीमार था और उसके पश्चात् वह अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहा । अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिये उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

विलम्ब शुल्क

†६४०. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या रेलवे मंत्री २८ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २१ और २२ फरवरी, १९५९ को छः माल डिब्बों को रोकने के लिये सिद्धपुर के व्यापारियों से लिया गया विलम्ब शुल्क उचित करार दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जिन्होंने दावे दिये थे उन्हें उनसे लिया गया विलम्ब शुल्क लौटा दिया गया है ।

नलकूप

†६४१. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे भारत भर में नलकूप खोदने के लिये बड़ी मांग है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) उन क्षेत्रों में जहां नहरों से सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, और जहां पर पर्याप्त मात्रा में भूमिगत जल की विद्यमानता विदित है, नलकूप सिंचाई की बहुत मांग है ।

(ख) भारत सरकार सिंचाई के लिये नलकूप लगाने के लिये राज्य सरकारों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है । राज्य सरकारें भी नलकूपों के लिये गैर-सरकारी लोगों को ऋण देती हैं । कुछ राज्यों की सरकारें अपने विभागों द्वारा नलकूप लगवा कर भी उनकी सहायता करती हैं । दूसरी योजना के अन्तर्गत मार्च, १९६० तक २५६४ राज्य नलकूप लगाये गये थे और उन्हें बिजली दी गई थी और उस समय कुल ८७३१ नलकूप काम कर रहे थे । आशा है कि नलकूप सिंचाई की मांग को पूरा करने के लिये तीसरी पंचवर्षीय योजना में ३००० से अधिक नलकूपों के लिये उपबन्ध किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ओइरिया स्टेशन

†६४२. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात परियोजना प्राधिकारियों ने पूर्वी रेलवे के ओइरिया रेलवे स्टेशन की चिंताजनक स्थिति के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशन की हालत सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग १ लाख रुपये की लागत से उस स्टेशन पर निम्न सुविधाओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है :—

१. बुकिंग की सुविधाओं के लिये स्टेशन की इमारत का विस्तार ।

२. (डाउन प्लेटफार्म) पर प्लेटफार्म शैडों की व्यवस्था, पैदल चलने का उपरीपुल, बड़ी रोशनी के लैम्प, प्लेटफार्मों पर शौचालय, नलों द्वारा जल संभरण और मिलाने वाली सड़क की व्यवस्था ।

वर्तमान स्टेशन इमारत में वृद्धि तथा परिवर्तन और स्नानागार शौचलायों, पेशाबघरों, प्लेटफार्मों को ऊंचा करने आदि के सुधार करने के प्रस्तावों के १९६०–६१ में हाथ में लेने का विचार है, यदि इन कामों के लिये धन उपलध हो सका ।

हिमाचल प्रदेश में फलों के पौधे लगाना

†६४३. **श्री हेम राज** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भूमध्य सागर के जैतून, अनार और चुकन्दर के पौधे लगाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उक्त परियोजना पर कितना खर्च किया जायेगा ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की टेबिल पर रख दी जायेगी ।

डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन पर अप्रेंटिस के विरुद्ध कारवाई

†६४४. **श्री बि० दास गुप्त** :
श्री अरविंद घोषाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों की इस हड़ताल में शामिल होने के दोष में, डिब्रूगढ़ (आसाम) में रेलवे वर्कशाप का कोई अप्रेंटिस नौकरी से हटाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन विकास

†६४५. **श्री कोडियान :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में दूसरी पंचवर्षीय योजना में वनों के विकास के लिये कुल कितनी राशि अलग रखी गई है ;

(ख) इस बारे में अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ग) क्या समूची राशि योजना अवधि में खर्च की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों, बन अनुसंधान संस्था और कालेजों, दिल्ली प्राणिकीय बाग (चिड़ियाघर) के लिये ३,५३,३३,१०० रुपये ।

(ख) सितम्ब–अक्तूबर, १९६० तक १,८३,१६,९२७ रुपये ।

(ग) जी, नहीं । वन अनुसंधान संस्थान, और कालेजों, दिल्ली चिड़ियाघर, अन्दमान वन विभाग और दिल्ली प्रशासन के मामले में कमी की संभावना है ।

(घ) उपरोक्त मामलों में कमी के सामान्यतः कारण ये हैं :—

(१) वन अनुसंधान संस्था और कालेज :

(क) अंततः विदेशी मुद्रा संबंधी पाबंदियों के कारण उपकरण प्राप्त न कर सकना;

(ख) उपयुक्त कर्मचारियों का उपलब्ध न होना तथा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा भर्ती में विलंब ।

(२) दिल्ली प्राणिकीय पार्क (चिड़िया घर) :

(क) डिज़ाइनों और प्लानों में परिवर्तन संबंधी प्रविधिक कठिनाइयों के कारण अधिकांश कार्य समय पर आरम्भ नहीं किये जा सके;

(ख) उलझन वाले कामों को करने के लिये ठेकेदारों की अनिच्छा ;

(ग) कुछ क्षेत्रों को अधिग्रहण न किया जाना ;

(घ) कुछ मदों पर कामों के व्यय में घाटा ।

(३) अन्दमान :

(क) पुर्नविचार करने पर १२ योजनाओं में से ४ योजनाएं विलंबित रख दी गई थीं ;

(ख) विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण उपकरण प्राप्त कर सकना ;

(ग) उपयुक्त प्रविधिक कर्मचारी न मिलने के कारण सड़क निर्माण कार्य की प्रगति रुक गई थी ;

(घ) 'काम के प्लान का शोधन' योजना कम व्यय के साथ पूरी कार्यान्वित हो गई थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) बीज न मिलने के कारण बागान योजनाओं की हल्की प्रगति ;

(च) वन वर्धन संबंधी अनुसंधान की योजना की प्रगति वनवर्धन विशेषज्ञ के उपलब्ध न होने के कारण कम रही ।

(४) **दिल्ली :**

(क) प्रविधिक रूप से शिक्षत कर्मचारियों के न मिलने के कारण ।

(ख) सेंट्रल पी० डब्ल्यू० डी० से छोटी पहाड़ियों के देर में हस्तान्तरण के कारण ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकार से जमना के बायें किनारे के साथ के क्षेत्र के हस्तांतरण में विलम्ब के कारण ।

चीनी की फैक्टरियां

†६४६. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में (जिलावार), गैर-सरकारी और सहकारी चीनी की फैक्टरियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक की पेरने की क्षमता कितनी है; और

(ख) १९५९–६० में कुल कितनी क्षमता उपभोग में लाई गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १०९**]।

(ख) १९५९–६० में पूरी क्षमता प्रयोग में लाई गई ।

पंजाब में भूमिहीन खेतिहर मजदूर

†६४७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक पंजाब को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : पंजाब में मिलने से पूर्व, भूतपूर्व पैप्सू सरकार ने पैप्सू काश्तकारी और कृषकीय भूमियां अधिनियम के अन्तर्गत, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों और निकाले गये काश्तकारों को बसाने के लिये एक योजना बनाई थी । इस योजना के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में १४.२० लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। पेप्सू सरकार ने विलय के समय इस अधिनियम में बाद में संशोधन कर दिया और जिस उपबंध के अन्तर्गत फालतू भूमियां (जिन पर बसाया जाना था) अधिग्रहण की जानी थीं, हटा दिया गया । किसी विधिवत उपबंध के न होने पर पंजाब सरकार ने वह योजना समाप्त कर दी।

फालतू क्षेत्रों के आंकने तथा पंजाब भूमि भूधृति सुरक्षा अधिनियम तथा पैप्सू काश्तकारी और कृषकीय भूमियां अधिनियम के अन्तर्गत बसाये जाने के लिये अर्ह काश्तकारों की सूचियां तैयार करने से संबंधित कार्य में बहुत प्रगति हो चुकी है और आशा

†मूल अंग्रेजी में

है कि १९६१–६२ में बसाने के काम में अधिक प्रगति होगी। ५०० बेदखल किये गये काश्तकार ३१ अक्तूबर, १९६० तक फालतू क्षेत्रों में बसाये जा चुके हैं।

रेवाड़ी-फुलेरा मार्ग पर नया स्टेशन

†६४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम रेलवे के रेवाड़ी–फुलेरा मार्ग पर नारनौल और अतेली स्टेशनों के बीच एक नया रेलवे स्टेशन खोलने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: इस स्थान पर ठेकेदार द्वारा प्रबंधित ट्रेन हाल्ट गाड़ी ठहरने का स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है और १९६१–६२ के निर्माण कार्य में क्रम में यह काम सम्मिलित किया जा चुका है।

खाद्य उत्पादन व्यवस्था का पुनर्गठन

†६४९. **श्री हाल्दर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य उत्पादन तंत्र का पुनर्गठन करने के लिये खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में एक नया चोटी का पद कायम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ; और

(ग) यह कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी, नहीं

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डूमबूर जल-विद्युत् परियोजना

†६५०. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में अमरपुर में डूमबूर जल-विद्युत् योजना की स्थिति क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : योजना की छान बीन हो रही है।

अन्वेषणात्मक नल-कूप

†६५१. **श्री विश्वनाथ रेड्डी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि देश में आज तक अन्वेषणात्मक नलकूप कार्यक्रम के संबंध में राज्यवार क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : भूमिगत जल अन्वेषण परियोजना का पहला प्रक्रम अगस्त १९५९ में पूरा हुआ था और निम्न लक्ष्य-पूर्ति हुई थी :—

क्रमांक	योजना का नाम	खोदे गये अन्वेषणात्मक सुराखों की संख्या	सुराखों की उत्पादन कूंओं में बदला गया
१.	नर्वदा घाटी (मध्य प्रदेश)	३०	१६
२.	तापती घाटी (मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र)	१८	२
३.	पूर्णा घाटी (महाराष्ट्र)	१४	—
४.	सौराष्ट्र (गुजरात)	९	२
५.	राजस्थान	१०	१
६.	केरल	५	१
७.	कछ (गुजरात)	१०	४
८.	मद्रास	४०	२७
९.	आन्ध्र	१५	११
१०.	पंजाब	३८	११
११.	बिहार	१६	७
१२.	पश्चिम बंगाल	३३	३१
१३.	उत्तर प्रदेश	३०	२२
१४.	उड़ीसा	१४	१२
	योग	२८२	१४७

अक्तूबर १९६० तक परियोजना के दूसरे प्रक्रम की प्रगति इस प्रकार है :—

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	खोये गये अन्वेषणात्मक सुराखों की की संख्या	सुराख उत्पादन कूंओं में बदले गये
१.	गुजरात	३१	१
२.	पश्चिम बंगाल	९	८
३.	आसाम	१०	९
४.	उत्तर प्रदेश	५	५
५.	राजस्थान	९	३
	जोड़	६४	२६

†मूल अंग्रेजी में

रतलाम और इन्दौर के बीच छोटे रेलवे स्टेशन

६५२. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में रतलाम और इन्दौर के बीच कितने छोटे रेलवे स्टेशन बनाये गये ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में नये स्टेशनों पर प्रत्येक वर्ष रेलवे टिकटों की बिक्री से औसतन कितनी आय हुई है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) दो--प्रोसरा ट्रेन हाल्ट और पीरझालार ट्रेन हाल्ट ।

(ख) टिकटों की बिक्री से होने वाली मासिक आय औसतन इस प्रकार है :—

	प्रोसरा	पीरझालार
	रुपये	रुपये
१९५८	८१.४६	२८१.९५
१९५९	१६३.५५	३५३.२०
१९६०	३४५.८९	१६६.४२
	(जून १९६० तक)	

रेलवे हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कल

६५३. **श्री डामर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खंडवार कितने रेलवे हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल हैं; और

(ख) वे किन-किन स्टेशनों पर स्थित हैं ?

रेलव उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). एक सूची साथ नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११०]**

स्टेशनों पर प्रतीक्षालय

६५४. **श्री डामर** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर रतलाम और दोहद के बीच किन-किन रेलवे स्टेशनों पर प्रथम और द्वितीय श्रणी के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालय नहीं हैं ; और

(ख) जिन स्टेशनों पर प्रतीक्षालय नहीं हैं वहां प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के यात्रियों को प्रतीक्षा की सुविधायें देने के लिये रेलवे अधिकारियों ने क्या प्रबन्ध किया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रतलाम-दोहद सेक्शन के नीचे लिखे स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय नहीं हैं :—

१ मोरवनी	६ उदयगढ़
२ भैरोंगढ़	७ नाहरगढ़
३ बामनिया]	८ अनास
४ पंचपिपलिया	९ बोरडी
५ बजरंगगढ़	१० धामरड़ा
	११ बिल्डी

(ख) तीसरे दर्जे के प्रतीक्षालय में सभी यात्रियों को जगह मिल जाती है । ऊपर भाग (क) में बताये गये स्टेशनों पर ऊंचे दर्जे के इतने यात्री नहीं आते-जाते कि उनके लिए अलग प्रतीक्षालय की जरूरत पड़े ।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें

†६५५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दी गई शिक्षा की सुविधाओं का आधार क्या होता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : शिक्षा की सुविधाओं का प्रबन्ध करना राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और रेलवे कर्मचारी अन्य नागरिकों के समान इन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं । स्थानीय रेलवे कुछ स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों के कल्याण कार्य के रूप में रेलवे के प्राथमिक, मिडिल, और हाई/हायर सैकंडरी स्कूल खोले हैं ।

जंगली जानवर

†६५६. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन्य पशु बोर्ड के कार्य-संचालन से देश के वन्य पशुओं के रक्षण में कहां तक सहायता मिली है ;

(ख) कितने राज्यों ने बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित किया है; और

(ग) देश में कितने शरण स्थल हैं और कौन से पशु रक्षित घोषित किये गये हैं?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० श० देशमुख)** : (क) बोर्ड और उसके दो कक्ष —पक्षी कक्ष तथा चिड़ियाघर कक्ष—राज्य सरकारों तथा वन्य पशु रक्षण में दिलचस्पी रखने वाले प्राणिविज्ञों के लिये इस विषय से संबंधित सब प्रविधिक तथा अन्य मामलों के बारे में अपनी समस्याओं की चर्चा करने और सलाह लेने के लिये, एक संगम स्थल बन गया है । १९५२ में इस के आरंभ होने के पश्चात् कई बैठकें हो चुकी हैं । जिन में ऐसे मामलों की चर्चा की गई है और निर्णय किये गये हैं । इस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर ही

†मूल अंग्रेजी में

बहुत से राज्यों ने अपने निजी वन्य पशु बोर्ड स्थापित किये ह और अन्य वन्य पशु विधियों में शोधन किया है । इन सरकारों ने वन्य पशु शरणस्थल तथा राष्ट्रीय पार्क बनाने में बोर्ड की सलाह ली गई है । इस की सिफारिशों ने कुछ विरले प्रकार के भारतीय पशुओं, विशेषकर एक-सींग वाले गैंडों, एशियाई शेर, बड़ा भारतीय सारंग आदि के क्षण में, जो किसी समय समाप्ति पर थे, सहायता पहुंचाई है । १९५५ से जो वन्रय पशु सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, बोर्ड द्वारा संबंधित वन्य पशुओं के लाभार्थ प्रचार का उपाय था । इन सप्ताहों में देश भर में वन्य पशुओं के परिक्षण तथा संक्षरण के महत्व की ओर ध्यान आ कर्षित करने में सहायता की है । इस के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये बोर्ड ने समय समय पर वन्य पशुओं और पक्षियों अथवा फरों, पंखों, खालों, आदि वस्तुओं के निर्यात के विनियमों के बारे में भारत सरकार को मंत्रणा दी है । इस ने इस विषय के संबंध में अनेक उपयोगी पुस्तिकाओं के प्रकाशन को बढ़ाया हं ।

(ख) राज्यों ने स्थानीय स्थितियों के अनुसार यथा संभव सीमा तक बोर्ड की सिफारिशों को सामा यतया कार्यान्वित किया है ।

(ग) देश में ७९ वन्य पशु शरण स्थल हैं । रक्षित पशुओं की सूची स्थानीय स्थिति और विशिष्ट पशुओं के दर्जे के अनुसार राज्यों में भिन्न भिन्न है ।

सामान्यतया निम्न पशु देश भर में रक्षित घोषित किये गये हैं :—

पशु : बड़ा एक सिंगा गैंडा, एशियाई शेर, जंगली गधा, काश्मीरी बारहसिंगा, कस्तूरी वाला मृग, जंगली भैंस, छोटे कद का सूअर ।

पक्षी : बड़ा भारतीय सारंग, मोर, सफेद पंखों वाली बत्तख, पीले सिर वाली बत्तख, मोनाल बाज़, चकोर ।

रेंगने वाले पशु :—मगरमच्छ, और अजगर ।

खंभात पत्तन

†६५७. **श्री कोरटकर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंभात पत्तन के विकास के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; जहां कि निकट भविष्य में तेल उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार किया जाने वाला है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार यह सोचती ह कि वर्तमान परिवहन साधन इस वस्तु के बढ़ते हुए व्यापार के लिये पर्याप्त है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) खंभात पत्तन का विकास मुख्यत: गुजरात सरकार का मामला है । भारत सरकार प्रविधिक सहायता देती है और उन छोटे पत्तनों की विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये, जो प्लानों में सम्मिलित हैं और जहां उचित होता है, राज्य सरकारों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में खंभात पत्तन पर निम्न दो काय किये हैं। ये हाल ही में पूरे हुए हैं :—

(१) घाट की विशेष मरम्मत . . . . ८०,९८३ रुपये

(२) उतरने की सुविधाओं की उन्नति ५,०३, ५५९ रुपये ।

ये काम ५० टन तक जहाजों क गहरे लहरों में पत्तन पर ठहरने योग्य बनाने के लिये किये गये थे।

(ख) खंभात में मालूम किये गये तेल के लिये परिवहन साधनों के बारे में अभी विचार किया जा रहा है।

गाड़ी में उपद्रवी

†६५८. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य यह सच है कि कुछ उपद्रवियों ने २१ अक्तूबर, १९६० को मेटरा और दियला स्टेशनों के बीच एस १२६७ अप डायमंड हार्बर गाड़ी के एक डिब्बे से एक पंखा उतारने का प्रयत्न किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस के विरुद्ध जिन कुछ यात्रियों ने विरोध किया, उन्हें उपद्रवियों ने अपने साथियों की सहायता से दियुला स्टेशन पर गाड़ी से पकड़ कर उत्तार दिया और उन की पिटाई की तथा उनका सामान छीन लिया ।

(ग) क्या यह सच है कि असिसटेंट स्टेशन मास्टर से यात्रियों ने प्रार्थना की किन्तु रेलवे सुरक्षा दल ने उनकी कोई सहायता नहीं की ;

(घ) क्या यह सच है कि स्टेशन कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और जब शिकायत पुस्तक मांगी गई तो नहीं दी ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि यात्रियों को समझौता नामा लिखने को वाध्य किया गया और उपद्रवियों को छोड़ दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ङ). जी, नहीं। यह गाडी संख्या एस २६७ (एस—१२६७ नहीं) के एक डिब्बे में यात्र करने वाले दो यात्रियों के बीच पंखे को एक विशिष्ट दिशा में रखने के बारे में झगड़े का मामला था। इस झगड़े के अन्तर्गत कुछ यात्री दियला स्टेशन पर उतर गये और उन्होंने एक बाहर वाले मजीद मिस्तरी को मारा पीटा। सहायक स्टेशन मास्टर ने हस्तक्षेप करने और यात्रियों को समझाने का प्रयत्न किया। चूंकि गाड़ी चल दी थी, झगड़े में अन्तर्ग्रस्त अधिकतर यात्री गाड़ी पर चढ़ गये और केवल एक शक्ति रंजन मोडल तथा मजीद मिस्त्री रह गये। शक्ति रंजन मोंडल ने बाद में सूचना दी कि झगड़े में उसका एक पैन तथा अन्य सामान खो गया है। ड्यूटी वाले सहायक स्टेशन मास्टर ने रेलवे सरकारी पुलिस, सोनारपुर को सूचना दी और पुलिस ने जांच के लिये एक मामला दर्ज कर लिया। रक्षा करने वाले रेलवे पुलिस कर्मचारी दूसरे डिब्बे में बैठे थे और वे अन्तिम स्थान तक उसी गाड़ी में गये। समय थोड़ा होने के कारण वे कोई कार्रवाई नहीं कर सके। कोई शिकायत पुस्तक नहीं मांगी गई।

पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक टिकट

†६५९. **श्री रामी रेड्डी :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में आंध्र के किसी महान व्यक्ति की स्मृति में कोई डाक टिकटें जारी किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किस समय और किस की स्मृति में ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे स्लीपर

६६०. **श्रीमती कृष्णा मेहता :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने १० लाख स्लीपर खरीदने के लिये काश्मीर के वन विभाग से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वयमी) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे बोर्ड ने १–११–६० से ३१–१०–६१ की अवधि में जम्मू और काश्मीर सरकार से वर्तमान दर पर बड़ी लाइन के १० लाख स्लीपर खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। लेकिन जम्मू और काश्मीर सरकार का औपचारिक अनुमोदन अभी नहीं मिला है।

उड़ीसा में पर्यटक सूचना केन्द्र

†६६१. **डा० सामंतसिंहार :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं ;

(ख) प्रत्येक केन्द्र में क्या क्या सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ;

(ग) प्रत्येक केन्द्र को चलाने के लिये केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने कितनी कितनी राशि दी है ; और दी जाएगी ;

(घ) क्या चिल्का झील में बेलगांव, सेवाग्राम और पोरबंदर में पर्यटक सूचना केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ङ). मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १११]।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें

†६६२. डा० सामंत सिंहार : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में कार्यान्वित की जाने वाली किन-२ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को अब तक केन्द्रीय सरकार का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) लागत, आयावट, पूर्णत: की प्रत्याशित तिथि तथा १९६०–६१ में आवंटित राशि का परियोजना वार विवरण क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मांगी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ११२]

सलिया परियोजना

†६६३. डा० सामन्त सिंहार : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सलिया परियोजना से विद्युत् प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो वहां से कितनी विद्युत् पैदा की जा सकेगी और उस पर कितनी लागत आयेगी ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर नाकारात्मक है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

गार्हस्थ्य विज्ञान केन्द्र[1]

†६६४. डा० सामन्त सिंहार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अभी तक राज्यवार कितने गार्हस्थ्य विज्ञान केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं ; और

(ख) उनका कार्य किस प्रकार का होता है ?

†कृषि उपमंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११३]

(ख) गृह-विज्ञान केन्द्रों (होम साइंस विंग्स) में सामुदायिक विकास खण्डों में नियुक्त ग्राम सेविकाओं को सेवा से पहले एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में सामान्यतया गृह-व्यवस्था सम्बन्धी सभी बातें आ जाती हैं जिनमें कृषि तथा सहकारिता के अतिरिक्त भोजन व्यवस्था, प्रसूति, बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि के विषय भी सम्मिलित होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Home Economics Centres.

केन्द्रीय तम्बाकू समिति

†६६५. श्री रामी रेड्डी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तम्बाकू समिति के हेडक्वाटर का स्थान मद्रास से हटाकर गटूंर कर देने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कब से विचार किया जा रहा है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर दिया जायेगा ?

†कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

बंगलौर-पूना मेल और बंगलौर-पूना एक्सप्रेस

†६६६. श्री मुहम्मद इमाम : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर-पूना लाइन पर गाड़ी संख्या २०१ और २०३ के ह सदुर्ग र ड, होललकेरे, मायकोण्डा और कोडगन्नूर रेलवे स्टेशनों पर ठहरना बन्द क्यों कर दिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उन गाड़ियों को पहले के समान ही उक्त स्टेशनों पर ठहराने के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) गांड़ी संख्या २०१ बंगलौर पूना मेल हो-सदुर्ग रोड, ह ललकेरे, मायक ण्डा और कोडगन्नूर के स्टेशनों पर ठहरती है। गाड़ी संख्या २०३ बंगलौर-पूना एक्सप्रैस होसदुर्ग रोड पर ठहरती है। गाड़ी संख्या २०३ का होललकेरे और मायकोंडा पर १-४-५९ से ठहरना बन्द कर दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी में लम्बी यात्रा की सवारियां अधिक होती हैं और उन छोटे स्थानों पर गाड़ी का ठहरना न्यायोचित नहीं है।

(ख) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

तार तथा टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें

†६६७. श्री पु० र० पटेल :
श्री म० मा० गांधी :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को गुजरात राज्य के मेहसाना जिले के उमत्तर स्थान के १४ व्यक्तियों से टेलीफोन के कनेक्शनों के लिये राशि प्राप्त हो गयी है ;

(ख) उमत्तर में कब तक तार और टेलीफोन के कनेक्शन दे दिये जायेंगे ; और

(ग) उमत्तर की आबादी ७००० है फिर भी तार तथा टेलीफोन के कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : (क) जी, नहीं।

(ख) उमत्तर में टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें देने का कोई विचार नहीं है; पर हां, आवश्यक गारंटी देने के बाद १२ महीने के अन्दर-अन्दर एक तार घर स्थापित किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के समन्वित कोर्स में नर्सों के लिये प्रशिक्षण

†६६८-के. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक स्वास्थ्य के समन्वित कोर्स तथा बुनियादि शिक्षा में नर्सों के प्रशिक्षण के लिय हिन्दू राव अस्पताल से सम्बद्ध परिचारिका स्कूल प्रारम्भ करने की योजना को अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका कोटा क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उदयपुर-हिम्मतनगर लाइन

†६६९. श्री पु० र० पटेल :
श्री म० मा० गांधी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार पश्चिम रेलवे में उदयपुर हिम्मतनगर रेल-लाइन को बीजापुर तक बढ़ा देने का विचार है ताकि उदरपुर से कांडला पतन के १०० मील के अंतर को कम किया जा सके ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : जी, नहीं। इस प्रकार का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली दुग्ध योजना

†६७०. डा० सामन्त सिंहार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कितने गैर-सरकारी दुग्धशालाओं के मालिकों और दूध बेचने वालों को भी काम पर रख लिया गया है या सम्बद्ध कर लिया गया है ; और

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि गैर-सरकारी एजन्सियों से दूध प्राप्त करना आसान है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) किसी भी गैर-सरकारी दुग्धशाला के मालिक या दूध बेचने वाले को दिल्ली दुग्ध योजना से सम्बद्ध या उसमें नियुक्त नहीं किया गया है।

मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं। योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की निरन्तर बढ़ती हुई मांग से यही ज्ञात होता है कि अधिकांश व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि गैर-सरकारी एजन्सियों की अपेक्षा इस योजना से दूध प्राप्त करना सुविधाजनक है।

शारदा सागर बांध

६७१. श्री खुशवक्त राय : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् उपभागों (विंग) को रिपोर्ट मिली हैं कि शारदा सागर बांध के निर्माण के बाद प्रति वर्ष अथवा प्रति दूसरे वर्ष जब भी भारी वर्षा होती है तो उत्तर प्रदेश के पांच जिले, अर्थात्, पीलीभीत, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखनऊ जलमग्न हो जाते हैं ;

(ख) क्या इस विषय में कोई जांच पडताल अथवा अनुसंधान किया गया है ; और

(ग) क्या इन नगरों को इस प्रकार पानी में डूबने से बचाने के लिये सावधानी के तौर पर कोई उपाय सुझाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) उत्तर न में है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

चपरमुख स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†६७२. श्रीमती सफीदा अहमद : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि ३० अक्तूबर, १९६० को पूर्वोत्तर रेलवे के लमडिंग–पांडू सैक्शन में चपरमुख स्टेशन पर एक सवारी गाड़ी पटरी से उतर गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा इसके कारणों की खोज की जा रही है।

महाराष्ट्र में चीनी के सहकारी कारखाने

†६७३. श्री अगाड़ी :
श्री सुगन्धि :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में महाराष्ट्र में चीनी के पांच और सरकारी कारखानों की स्थापना के लिये मंजूरी दी गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है और वे कहां कहां स्थापित की जा रही हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या कमलपुर, हास्पेट ताल्लुक, बल्लेरी जिले में चीनी का एक सहकारी कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, हां, निम्नलिखित को मंजूरी दी गयी है :—

क्रम संख्या	उपक्रम का नाम	स्थान
१	श्री दूध गंगा वेद गंगा सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटिड	बिडरी, ताल्लुक कागल जिला कोल्हापुर
२	श्री कुंभी केसरी सहकारी शक्कर कारखाना, लिमिटिड	काले, महल पनहाला, जिला कोल्हापुर
३	श्री सोमेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटिड	करहाले, तल्लुका बारामती, जिला पूना
४	यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटिड .	अकलुज, ताल्लुक मलतीरस, शोल्हापुर
५	तकली सहकारी शक्कर कारखाना लिमिटिड .	तकली, कोपार गांव ताल्लुक, जिला अहमदनगर।

(ग) और (घ) जी, हां। सुझाव विचाराधीन है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६०।

(दो) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६०।

†मूल अंग्रेजी में

(तीन) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५३ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६०।

(चार) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७९ में प्रकाशित चावल तथा धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(पांच) दिनांक १६ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(छै) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११२।

(सात) दिल्ली (अतिथि नियंत्रण) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक २५ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११३।

(आठ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११४ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमांत पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६०।

(नौ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११५ में प्रकाशित बम्बई गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६०।

(दस) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११६ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६०।

(ग्यारह) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११७ में प्रकाशित गेहूं को एक दूसरे जोन में ले जाने पर नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(बारह) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १११८ में प्रकाशित बम्बई रोलर आटा मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, १९६०।

(तेरह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५७ में प्रकाशित दिल्ली रोलर आटा मिलें (गेहूं उत्पाद) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६०।

(चौदह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६० में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६०।

(पन्द्रह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६१ में प्रकाशित चावल तथा धान (आसाम) तीसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६०।

[श्री अ० म० थ मस]

(सोलह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६०।

(सतरह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६९ में प्रकाशित चावल तथा धान (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६०।

(अठारह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७० में प्रकाशित दिल्ली चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६०।

(उन्नीस) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६०।

(बीस) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९७।

(इक्कीस) दिनांक १० अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ में प्रकाशित चीनी नियंत्रण (पाण्डिचेरी राज्य) आदेश, १९६०।

(बाईस) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२६।

(तेईस) दिनांक १६ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२८।

(चौबीस) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४९ में प्रकाशित मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना) नियंत्रण दूसरा संशोधन आदेश, १९६०।

(पच्चीस) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७२ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पार लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६०।

(छब्बीस) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(सत्ताईस) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(अठाईस) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०८।

(उन्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३६ में प्रकाशित दिल्ली चावल (निर्यात नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६०।

(तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३७ में प्रकाशित दिल्ली गहूं और गेहूं की चीजें (निर्यात नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६०।

(इकत्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३८ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खंड) लाना ले जाना नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६०।

(बत्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३९ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमांत लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६०।

(तेंतीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४० में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमांत लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६०।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत चीनी (यातायात नियंत्रण) आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०८०।

(दो) दिनांक २३ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० ११५५।

(तीन) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२१९।

(चार) दिनांक ९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४४।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या क्रमशः—एल० टी०—२४५५, २४५६/६०।]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति

बहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का बहत्तरवां प्रतिवदन उपस्थापित करता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव—जारी

†**अध्यक्ष महोदय**: सभा में अब २२ नवम्बर, १९६० को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा होगी :—

"कि अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, विशेष रूप से उन विषयों के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन में उसके सामने आये हैं, विचार किया जाये।"

श्री शिवराज अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शिवराज** (चिंगलपट-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : कल मैं उपनिवेशवाद के बारे में बता रहा था। उपनिवेशवाद कई तरह का होता है। अंग्रेजी उपनिवेशवाद, अमरीकी उपनिवेशवाद, रूसी उपनिवेशवाद तथा बेल्जियम का उपनिवेशवाद। बेल्जियम का उपनिवेशवाद कांगो में हो रही घटनाओं से हमारे सामने है। वहां पर यद्यपि बेल्जियम ने क्षेत्र को तो छोड़ दिया है परन्तु आर्थिक रूप में अब भी कब्जा रखना चाहते हैं।

चीन से भारत को खतरे का जिक्र किया गया। परन्तु मैं समझता हूं कि देश को बाहरी खतरे के स्थान पर आन्तरिक खतरा ज्यादा है। आज पंजाब से आसाम तक साम्प्रदायिकता, भाषा तथा सत्तारूढ़ दल में विरोधी प्रवृति के कारण देश की स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि जिसके कारण चीन जैसे पड़ौसी देश हम पर हमलावर हो रहे हैं। देश की शक्ति तथा एकता बनाने के स्थान पर हम लोग आपसी झगड़ों में फंसे हुये हैं। यह सब कहने से मेरा यही तात्पर्य है कि भारत सरकार यह समझे कि उसे विदेशी स्थितियों पर ध्यान देने के बजाये आन्तरिक स्थिति पर अधिक ध्यान देना है।

मेरा विचार है कि चीन को भारत से यही खतरा है कि भारत उसके बजाये स्वयं अफ्रेशियाई देशों का नेता बनता जा रहा है। चीन केवल यही चाहता है कि भारत अपना औद्योगिक विकास न कर पाये और प्रतिरक्षा साधनों पर अधिक धन व्यय करे। माननीय प्रधान मंत्री ने कल अपने भाषण में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया जब कि देश इसके बारे में जानकारी चाहता था। क्योंकि जनता के अनुसार चीन का खतरा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार को प्रयत्न करना चाहिये कि जनता के दिमाग से यह भावना निकल जाये और देश की एकता बनी रहे।

कल श्री द्विवेदी ने श्री कृष्ण मेनन के बारे में कुछ व्यक्तिगत रिमार्क किये। मैं बताना चाहता हूं कि मैं उनको बचपन से जानता हूं। वह मेरे सहपाठी रहे हैं और उनके द्वारा की गई सेवाओं के बदले यदि हम उनको देशद्रोही कहें तो ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि वह जो भी कुछ करेंगे वह देश के हित में ही होगा।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : अभी हाल में महासभा की जो बैठक हुई थी, हालांकि उसमें प्रमुख देशों के मुखियाओं ने भाग लिया था, लेकिन उसने निःशस्त्रीकरण के बारे में कुछ नहीं किया और इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सुधरने के सम्बन्ध में संसार की आशा को पुनः झुठला दिया।

कांगो के बारे में हमारे प्रधान मंत्री बड़े आशावादी हैं उनका विचार है कि जैसे ही वहां की संसद् की बैठक होगी वैसे ही समस्या का समाधान हो जायेगा। लेकिन जब तक वहां सेनाएं काम कर रही हैं और जो लोग वहां डिक्टेटर बने हुये हैं तब तक संसद् वहां कोई कार्य नहीं कर सकती।

प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसके बावजूद मेरा अपना मत यह है कि देशों के प्रमुखों का सम्मेलन केवल विशेष अवसरों पर ही होना चाहिये। अच्छा हो यदि वे प्रत्यक्ष रूप से विवादों में सम्मिलित न हों इससे राष्ट्रों में अच्छी भावना ही बढ़ेगी। प्रमुखों की सम्मिलित बैठक में इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

का डर रहता है कि कहीं कड़वे और सख्त बातचीत न हो जाये जैसा कि पिछली बैठक में हुआ भी था। इससे किसी न किसी राष्ट्र का अपमान ही होता है। अतः मेरा निवेदन है कि राजनयिक जनता के सामने आये बिना अपने काम कर सकते हैं। राजनयिकों द्वारा आधार भूमि तैयार हो जाने के बाद ही देशों के प्रमुखों की बैठक हो सकती है।

इसी प्रकार देशों के प्रमुखों का दूसरे देशों में जाना भी अवांछनीय है क्योंकि इसमें इस बात का डर रहता है कि कहीं उस देश में सरकार विरोधी दल उस मेहमान का अपमान न कर बैठे। क्योंकि उसमें उस व्यक्ति का ही अपमान नहीं है बल्कि उस राष्ट्र का भी अपमान है जिसका कि वह निवासी है। मेहमानों की बड़ी शानदार ढंग से आवभगत की जाती है और इस आवभगत की चकाचौंध में आकर वह अपने आप को महान व्यक्ति समझने लगता है जो लोकतन्त्रात्मक प्रणाली के विरुद्ध है। साथ ही उस मेहमान के प्रति अभ्यार्थी देश की जनता में गलतफहमी पैदा हो जाती है भले ही वह उतना उंचा व्यक्ति न हो जितना कि उसे सम्मान दिया जा रहा है।

अफ्रीकी एशियाई देशों के साम्राज्यवाद से अलग होने के कारण अब यह आवश्यक हो गया है कि उन्हें और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये और इसके लिये राष्ट्र संघ के स्वरूप में परिवर्तन किया जाये। किन्तु शांतिपूर्ण और ठंडे वातावरण में ही ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। सभी राष्ट्रों का कर्तव्य है कि वे इस संगठन के सम्मान को बढ़ायें और ऐसा कोई कार्य न करें, जिससे यह संगठन कमजोर हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघ में एक सबसे बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है और वह यह है कि वहां 'वीटो' नहीं होना चाहिये। दूसरे चीन को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिये। लेकिन यह कार्य भी शांतपूर्ण वातावरण में किया जा सकता है।

पंच तटस्थ शक्ति सम्बन्धी प्रस्ताव अच्छा था। इसका उद्देश्य भी अच्छा था। इसका उद्देश्य दो व्यक्तियों के बीच मेल मिलाप करने का था। लेकिन यह प्रस्ताव ही समाप्त हो गया। और एक अजीब स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। अतः ऐसा कोई भी क़दम उठाने से पहले सम्बद्ध पक्षों से विधिवत परामर्श कर लिया जाना चाहिये था।

इस सम्मेलन में एक अच्छी बात यह हुई कि साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक संकल्प पारित हो गया। हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन हमें एक अन्य प्रकार के साम्राज्यवाद के प्रति सतर्क रहना चाहिये, जो हाथ पैर फैला रहा है और अन्य देशों के राज्य क्षेत्रों पर कब्जा कर रहा है। भारत सब प्रकार के साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। लेकिन हमने राष्ट्र संघ में तिब्बत के मामले का समर्थन नहीं किया जो कि हमारा कर्त्तव्य था। हम अपने आदर्शवाद के बावजूद भी इस सम्बन्ध में अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाये।

भारत और चीन के प्रधान मंत्रियों के बीच अप्रैल में जो समझौता हुआ था उसके आधार पर की गई इस संयुक्त घोषणा के बावजूद भी ऐसा कोई काम नहीं किया जायेगा जिससे स्थिति और आगे खराब हो लेकिन इस घोषणा के बावजूद भी चीन की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां जारी हैं। पर इसके विपरीत हमारे प्रधान मंत्री उन गतिविधियों के महत्व को कम करते रहे हैं। प्रधान मंत्री के रवैये का हमारे शत्रुओं ने बराबर लाभ उठाया है। और उससे हमारे मित्रों के दिमाग में बराबर गलत फ़हमी पैदा होती रही है। इसलिये चीन द्वारा किये गये अतिक्रमण को हमें कम महत्व नहीं देना चाहिये। क्योंकि नेपाल, भूटान और सिक्किम में तथा हिमाचल क्षेत्र में इसका हतोत्साहक प्रभाव पड़ा है। इन मामलों को हल करने में सरकार को अपना दृढ़ निश्चय का रवैया जनता के सामने रखना चाहिये था।

[आचार्य कृपलानी]

प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश के उन व्यक्तियों लिये एक विशेष विधान बनाया जायेगा जो चीन के पक्ष में अपने देश में कार्य करते हैं। प्रधान मंत्री ने यह भी कहा था कि हमारी वैदेशिक नीति सुदृढ़ राह बनाने वाली और विरोधी राष्ट्रों को मिलाने वाली है। यदि हमारी नीति वस्तुतः ऐसी है तो इससे हमें तथा विश्व को लाभ होगा। लेकिन मुझे तो हमारी किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आता। काश्मीर, गोआ, लंका तथा अफ्रीका में भारतीयों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हम अगर चीन से सतर्क नहीं रहेंगे तो निश्चय ही हमारे सामने कठिनाइयां उत्पन्न हो जायेंगी क्योंकि चीन पंचशील में विश्वास रखते हुये भी सह-अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता। वह युद्ध को अपरिहार्य मानता है। वह उन सभी देशों से लड़ना चाहता है जो साम्यवादी नहीं हैं। उसकी लिप्सा बढ़ रही है। उसने रूस को भी नहीं छोड़ा है। उस पर भी आरोप लगाया है। अतः हमें चीन से सावधान रहना है। यदि हम अपनी स्वतन्त्रता और अपने जीवन के तौर तरीकों को चाहते हैं तो हमें देश में तथा देश के बाहर के शत्रुओं से सावधान रहना होगा।

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : प्रधान मंत्री ने यह इच्छा प्रगट की है कि मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में प्रकाश डालूं। भारत सरकार के निर्णय के फलस्वरूप मुझे संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला। कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालने के पूर्व मैं भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की एक्य भावना और सहयोग भावना पर प्रकाश डालना चाहता हूं, उनमें से कुछ इसी सभा के सदस्य हैं, कुछ दूसरी सभा के। वस्तुतः उनके सहयोग के फलस्वरूप ही हमसे वर्तमान कार्य संभव हुआ।

यह कहा गया है कि पांच राष्ट्रों की ओर से प्रधान मंत्री ने जो प्रस्ताव अक्टूबर के प्रारम्भ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था, वह समयोचित तथा उपयुक्त नहीं था। जहां तक, उस संकल्प को तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने का संबंध है, इसका दायित्व भारतीय प्रतिनिधि मंडल का है। साथ ही मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि सभा में सभी प्रस्ताव पारित हो जाया करें तो रिरोधी पक्ष का महत्व समझ में आयेगा ही नहीं।

इस संकल्प पर हमें उस समय न्यूयार्क में होने वाली घटनाओं के परिपृष्ठ पर विचार करना चाहिये। इसलिये यह आवश्यक था कि कोई राष्ट्र विद्वेश और घृणा के इस वातावरण को दूर करने के लिये कदम उठाता। अतः सभा मुझसे सहमत होगी कि मतदान के परिणाम के बावजूद भी सभा की भावना यह थी कि उन्हें इस संकल्प से काफी राहत मिली। अतः यह बात तुच्छ है कि उसे बहुमत प्राप्त हुआ या नहीं। उस संकल्प का मुख्य प्रयोजन बहुमत प्राप्त करना नहीं था, जो लोग सभा की प्रक्रिया से अवगत हैं, उन्हें यह ज्ञात है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा में किसी संकल्प के पारित होने या अस्वीकृत होने का उतना महत्व नहीं होता है, जितना अन्य सभाओं में; क्योंकि वहां के निर्णय किसी सभा या संस्था के लिये अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं। वे केवल सिफारिशें होती हैं न जाने उन्हें किस को किया जाता है। वहां के निर्णय केवल जनमत का प्रकाशन है, यद्यपि कई राष्ट्रों ने मतदान नहीं दिया या विरोध में मत दे दिया, तथापि लोग जानते थे कि उन की सहानुभूति किस ओर है। इस के अतिरिक्त इस का प्रभाव यह हुआ कि इस से उस प्रगति के लिये मार्ग प्रशस्त हो गया जो महासभा के कार्य में आगे हुई। वस्तुतः जो भी राष्ट्र इस संकल्प के समर्थक थे सभी को इस बात से प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार का प्रथम प्रयास किया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथ्यों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर कहा गया है कि इस से भविष्य में कठिनाई पैदा हो सकती है। यह कहा गया है कि इस संकल्प का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति आइजनहावर और ख्रुश्चेव को एक कमरे में बन्द किया जाय इत्यादि। वस्तुतः संकल्प की शब्दावलि बहुत सोच विचार कर लिखी गई थी तथा उस में केवल पुनः सम्पर्क स्थापित करने के सम्बन्ध में लिखा गया था। जहां तक यह प्रश्न है कि दोनों राष्ट्रों के स्थान पर दोनों अध्यक्षों का उल्लेख क्यों किया गया था, इस का कारण यह है कि अमेरिका तथा रूस के बीच अभी भी कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित है। उन के सामान्य सम्बन्धों के बीच किसी प्रकार की दरार नहीं पड़ी है। उन के आपसी सम्बन्ध टप्प होने का कारण यह था कि इन दोनों पक्षों के बीच होने वाला शीर्ष सम्मेलन असफल हो गया था। इसी कारण उन का उल्लेख किया गया। ऐसा दोनों देशों की सरकारों का स्वरूप भिन्न होने के कारण भी किया गया है। ये दोनों व्यक्ति अपनी अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कारण संकल्प की शब्दावलि न केवल उस अवसर के लिये उपयुक्त थी अपितु आवश्यक भी थी। जब जटिल प्रक्रिया द्वारा जिसे चर्चा में उपयुक्त कहा जा सकता है संकल्प का प्रयोजन बिल्कुल ही बदल जाये, उस का मंतव्य अपने प्रयोजन से बिल्कुल विपरीत हो जाये, ऐसी स्थिति में संकल्प के प्रस्तावक के लिये यही उचित है कि वह उसे वापस ले ले। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में एक नियम यह है कि जब संशोधन इस प्रकार प्रस्तावित या स्वीकार किये जायें कि संकल्प का प्रयोजन ही बदल जाये तो प्रस्तावक उसे परिषद् की अनुमति के बिना ही वापस ले सकता है।

कल इस बात का भी उल्लेख किया गया कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र की परिषदों के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों का विरोध किया। इस में सन्देह नहीं कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यह कहा था कि वे उस विशेष प्रस्ताव का जोकि समिति के समक्ष था समर्थन नहीं करेंगे। इस का यह तात्पर्य नहीं है कि वे उस सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते हैं। शायद यह ज्ञात नहीं है कि पिछले वर्ष सभा में एक संकल्प पारित किया गया था जिस में हम से कुछ बातें करने को कहा गया था, उस में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता था जब तक कि उसे दो तिहाई बहुमत से रद्द न कर दिया जाये। समिति के समक्ष यह प्रस्ताव था कि समिति एक ऐसा संकल्प पारित करे कि परिषद् का विस्तार इस प्रकार किया जाये कि बड़े राष्ट्रों पर कुछ दबाव पड़ सके। जब यह ज्ञात है कि इस प्रकार की प्रेरणा राष्ट्रों के उस गुट की ओर से आई है, जिसे पहिले ही बहुमत प्राप्त है और अब उन्हें भय है कि कहीं उन का जोरदार बहुमत समाप्त न हो जाये। ऐसी स्थिति में जो लोग परिषद का विस्तार चाहते हैं उन्हें इस प्रकार की चाल चलनी चाहिये कि परिषद् का वास्तविक विस्तार हो न कि उसे शीतयुद्ध का अखाड़ा बनाया जाये।

वास्तविकता यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी अंग में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है जब तक कि घोषणा पत्र में संशोधन न किया जाय। घोषणा पत्र में संशोधन तभी हो सकता है जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्यों में एक मत हो। जैसाकि प्रधान मंत्री ने कल कहा, इस सम्बन्ध में लगभग सभी एकमत थे कि संघ के इन अंगों का विस्तार और पुनर्गठन होना चाहिये। इस का कारण यह भी है कि सान-फ्रेन्सिसको में हुए सम्मेलन के समय संयुक्त राष्ट्र संघ के केवल ४५ सदस्य थे जबकि आज सदस्यों की संख्या बढ़ कर ९० हो गई है। अतः हमें अगले वर्ष इस सम्बन्ध में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने की आशा करनी चाहिये। पिछले वर्ष एक संकल्प द्वारा यह उल्लिखित किया गया था कि यदि इस सत्र में भी इस सम्बन्ध में कोई सहमति नहीं होगी तो एक समिति नियुक्त की जायेगी। अतः हम ने अभी संकल्प न रख कर यह सुझाव दिया है कि इन चार बड़े राष्ट्रों की एक समिति बनाई जाये जो परिषद् में अधिक राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में विचार करे। इन बातों का पिछले संकल्प के प्रस्तावक राष्ट्रों पर काफी प्रभाव हुआ है, और उनमें से कुछ

[श्री कृष्ण मेनन]

राष्ट्र अपना नाम पहिले प्रस्ताव से वापस ले कर हमारे द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव इस वर्ष के अन्त तक रख दिया जायेगा।

अभी हाल के वर्षों से संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण में जो व्यापक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है वह उपनिवेशवाद के सम्बन्ध में है। श्री आचार्य कृपालानी ने अभी कुछ देर पहले यह कहा कि हम ने साम्राज्यवाद को समाप्त करने सम्बन्धी कुछ संकल्पों का विरोध किया। मेरे विचार से साम्राज्यवाद को समाप्त करने सम्बन्धी कोई संकल्प महा सभा के समक्ष नहीं रखा गया। निःसन्देह कार्यसूची में उपनिवेशवाद संबंधी एक मद थी तथापि कार्य वहां तक नहीं हुआ। इस से कुछ अच्छे नतीजे प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इसी बीच, तत्सम्बन्धी छोटे छोटे विषयों में काफी प्रगति हुई है। हमारे समक्ष यह तथ्य भी मौजूद है कि जबकि दस वर्ष पूर्व भूतपूर्व अफ्रीकी देशों के केवल चार सदस्य राष्ट्र थे, आज अफ्रीका के २५ या २६ राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। आज अफ्रीका की २२ करोड़ २० लाख की आबादी में से १७ करोड़ २० लाख व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसी प्रकार पिछले वर्ष ब्रिटेन और फ्रान्स के अधीन ९०लाख वर्गमील के उपनिवेश थे आज अफ्रीका महाद्वीप में उन के उपनिवेशों का क्षेत्रफल घट कर केवल साढ़े तेरह लाख वर्ग मील रह गया है। इस में से ८ लाख वर्गमील का क्षेत्र पुर्तगाल के अधीन है। प्रधान मंत्री ने यह उचित ही कहा कि पुर्तगाल इस समय विश्व की सब से बड़ी उपनिवेशिक शक्ति है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान, उस की कार्यपद्धति और उस की शक्ति को देखते हुए कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम पुर्तगाल से उक्त क्षेत्रों को स्वाधीन कर सकें। इस सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की गई वह यह थी कि---न केवल सर्वसम्मति से अपितु पुर्तगाल को छोड़ कर बिना किसी विरोधी मत के---इस बात का निर्णय किया गया कि पुर्तगाल घोषणा पत्र के अधीन संयुक्त राष्ट्र संघ को अपने उपनिवेशों के सम्बन्ध में जानकारी देवे। यह महत्वपूर्ण बातें हैं कि पुर्तगाल को एक औपनिवेशिक राष्ट्र स्वीकार किया गया। अभी तक पुर्तगाल का दावा यह था कि वह एक औपनिवेशिक राष्ट्र नहीं है और उस की समुद्रपार की बस्तियां उपनिवेश नहीं अपितु पुर्तगाल के ही सूबे हैं। इस वर्ष जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र महा सभा के समक्ष प्रस्तुत हुआ तो जो राष्ट्र पहिले उस के समर्थक भी थे उन्होंने भी पुर्तगाल से जानकारी मांगने के प्रस्ताव का समर्थन किया। एक अन्य औपनिवेशिक राष्ट्र स्पेन ने भी पुर्तगाल का साथ छोड़ दिया और फल यह हुआ कि पुर्तगाल अकेला रह गया।

इसी प्रकार दक्षिणी अफ्रीका के कुछ देश जोकि वैधानिक अर्थों में उपनिवेश नहीं हैं, तथापि जहां संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र का गम्भीर उल्लंघन हो रहा है, के सम्बन्ध में लिबेरिया ने दक्षिण अफ्रीका का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष रखा है। इन अपीलों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा गम्भीर ध्यान दे रही है यहां तक कि प्रक्रिया सम्बन्धी सामान्य रियायतें जोकि विदेश मंत्रियों को मिला करती हैं वह भी वहां के विदेश मंत्री को समिति द्वारा नहीं दी जा रही हैं। उपनिवेशवाद के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में व्यापक प्रगति हुई है।

पिछले दो वर्षों में कुछ अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पिछले दो वर्षों में विश्व में निशस्त्रीकरण से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं तथा अविकसित देशों की स्थिति के सम्बन्ध में व्यापक ध्यान दिया जाने लगा है।

निशस्त्रीकरण के प्रश्न को लेने के पूर्व मैं सभा का ध्यान भारत द्वारा १९४८ से निशस्त्रीकरण की समस्या पर किये गये कार्य की ओर दिलाना चाहता हूं। १९४८ और १९५१ के पश्चात् से

निशस्त्रीकरण का तात्पर्य अणु शक्ति पर नियंत्रण और वारूक योजना से सम्बन्धित स्थिति से था। १९५२ से निश्शस्त्रीकरण ने वर्तमान विवाद का रूप धारण कर लिया।

इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान विदेश कार्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक छोटी सी पुस्तिका जिस पर संख्या एम० ई० ए० २६ पड़ा हुआ है तथा जो गोपनीय भी नहीं ज्ञात होती है की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. यदि माननीय सदस्य इस का अध्ययन करेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रतिवर्ष भारत निशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव रखता रहा है, जिन्हें या तो विचार के लिये स्वीकार किया जाता है यदि उन्हें संशोधनों के रूप में रखा जाता है तो वे संकल्पों में शामिल कर लिये जाते हैं और उन से संयुक्त राष्ट्र संघ के रुख का पता चलता है। यह एक दिलचस्प बात है कि सात या आठ वर्ष पूर्व रखे गये सुझाव आज पुनः रखे जा रहे हैं और वे उन महत्वपूर्ण विषयों में से हैं जिन पर चर्चायें हो रही हैं। निशस्त्रीकरण अब केवल एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं रह गया है अपितु वह विश्व की एक-मात्र समस्या बन गया है, इस का कारण यह है कि शस्त्रों के प्रकार तथा उन के स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। इस से युद्ध तथा उस के नतीजों में भी परिवर्तन आ गया है।

संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहिली बार भारत तथा सहसिद्धान्त वाले राष्ट्रों ने नैतिक और मानवता सम्बन्धी कारणों से यह अनुरोध किया है कि निश्शस्त्रीकरण का स्वीकृत अर्थ केवल यह नहीं है कि शस्त्रों की संख्या में इस प्रकार कमी की जाय कि दोनों गुटों की कमी में एक संतुलन रहे, भारत सरकार की ओर से सानफ्रान्सिसको में दसवीं वर्ष गांठ के समय यह कहा गया था कि निश्शस्त्रीकरण विश्व से युद्ध को हटाने की दिशा में एक कदम है, आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध को अवैध घोषित कर दिया जाय जिस से कि राष्ट्र एक ऐसे युग में रह सकें जहां युद्ध आपसी विवादों को सुलझाने का साधन न बने। इस बात को पिछले वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ न मान्यता प्रदान नहीं की।

पिछले वर्ष श्री ख्रुश्चेव के भाषण, जिस के बाद राष्ट्रपति आइजनहावर तथा अन्य नेताओ ने भी भाषण दिया था,पर्याप्त वाद-विवाद के पश्चात् यह स्वीकार कर लिया कि निश्शस्त्रीकरण का लक्ष्य युद्ध हीन विश्व की स्थापना करना है। तथापि लक्ष्य शब्द से कई कठिनाइयां पैदा हो गईं क्योंकि कभी-कभी लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं रखा जाता, इसके स्थान पर कुछ लोगों द्वारा भय प्रसार किया जाता है। इस प्रकार १९५९ से निश्शस्त्रीकरण संबंधी भावना से बहुत परिवर्तन आ गया और निश्शस्त्रीकरण का अर्थ, शस्त्रों में संतुलित कमी से आगे बढ़ कर यह हो गया कि हम युद्ध हीन विश्व की स्थापना करें। अर्थात् न केवल शस्त्रास्त्रों के आकार में कमी की जाय अपितु युद्ध सम्बन्धी उपकरणों, समस्त सेना-बलों, प्रतिरक्षा शासन तथा सैनिक प्रशिक्षण इत्यादि सभी बातों का उन्मूलन कर दिया जाय। कुछ ही वर्ष पूर्व ऐसी स्थिति को कोरी कल्पनामात्र कह कर टाल दिया जाता था।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये हमें विश्व के जनमत का समर्थन प्राप्त करना होगा। क्योंकि उन क्षेत्रों में जहां पर इस से आर्थिक तथा सेना संबंधी प्रभाव पड़ेगा, वहां इस बात की आशंका है कि इस से वहां की जनता के रोजगार तथा वाणिज्य इत्यादि में बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा इस कारण भी हो गया है कि शस्त्रों के स्वरूप में ही परिवर्तन हो गया है।

पिछले दस वर्षों के इतिहास में दोनों गुटों को एक दूसरे के निकट लाने में निश्चय ही तरक्की हुई है, तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने कोई कम काम नहीं किया है। मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि कल यह कहा गया था कि भारत ने या तो अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया है या एक या दूसरे गुट का समर्थन किया है। इस विषय पर बोलते हुये मैंने यह कहा था कि निश्शस्त्रीकरण के मामले में सफलता केवल सहमति से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिये सभा में बहुमत या

[श्री कृष्ण मेनन]

अल्पमत का समर्थन करने से कोई अन्तर नहीं होता है इससे केवल कठिनाइयां बढ़ती हैं भारत विवाद को बढ़ाने के पक्ष में कभी नहीं रहा है। इसलिये जब कभी किसी बात को बहुमत का समर्थन कर प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो हम मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं। ऐसा हम इस कारण नहीं करते हैं कि हमारा कोई मत नहीं है, अपितु हम इस कारण करते हैं कि बहुमत के समर्थन का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का मसला है इस प्रश्न के सम्बन्ध में भी हम प्रतिवर्ष अधिकाधिक मतों का समर्थन प्राप्त करते जा रहे हैं। और अब स्थिति यह है कि दक्षिण अफ्रीका को छोड़ कर हमें सभी देशों का समर्थन प्राप्त हो गया है आशा है कि हमें कभी दक्षिण अफ्रीका का भी समर्थन प्राप्त हो जायेगा।

दोनों गुटों के बीच कुछ प्रश्नों के सम्बन्ध में काफी विवाद भी उठ खड़ा हुआ है जैसा कि कल प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था, अर्थात् कि पहिले नियंत्रण होना चाहिये या निरीक्षण अथवा निश्शस्त्रीकरण को पहिले लिया जाये या अंश में। पिछले दस वर्षों के दौरान संयुक्त राष्ट्र के प्रयत्नों से दोनों गुटों के बीच कई प्रश्नों के सम्बन्ध में समझौता हो गया है। तथापि जब कभी समझौते की संभावना होने की आशा होती है तभी दूसरा पक्ष कुछ ऐसी बातें रख देता है जिसे पहिला पक्ष स्वीकार नहीं करता है। इसी कारण मैंने कहा है कि निश्शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में एक सामान्य आशंका है जिसे मैं एक अमरीकी क्षेत्र के शब्दों में उल्लिखित करना चाहता हूं। कारनेगी प्रतिष्ठान ने वर्तमान प्रस्तावों की जांच सम्बन्धी एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। उसमें कहा गया है कि "दोनों पक्षों ने ऐसी योजनायें रखी हैं जो कि जनता को प्रभावित कर सकें। प्रत्येक योजना में कम से कम एक पहलू ऐसा भी रखा गया था जो कि दूसरे पक्ष को मान्य नहीं हो सकता था, इस प्रकार प्रस्ताव रखने वाला पक्ष यह कह सका कि दूसरे पक्ष ने निश्शस्त्रीकरण की योजना पूर्ण रूपेण अस्वीकार कर दी है, इत्यादि।" इसे ही कूटनीतिज्ञता कहा गया है। यही बात लीग आफ नेशन्स में भी निशस्त्रीकरण की चर्चाओं के सम्बन्ध में थी। हमारा अनुभव यह है कि यदि एक वर्ष रूस किसी प्रस्ताव पर आपत्ति करता है तो दूसरे वर्ष रूस यह प्रस्ताव स्वीकृत कर लेता है, तब अमेरिका अथवा पश्चिमी गुट उसका विरोध करने लगता है। इस प्रकार आंख-मिचौली चलती रहती है। १९५२ में स्थिति यह हो गई कि यह मामला एक दम ठप्प पड़ गया। मुख्यतः हमारी प्रेरणा से महासभा ने आगामी कार्यक्रम के सम्बन्ध में निदेश दिये। अब हम इस स्थिति पर पहुंच गये हैं कि यदि हम युद्ध समाप्त नहीं करेंगे तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा, अर्थात् आणविक तथा हाइड्रोजन अस्त्रों का स्वरूप ऐसा हो गया है कि न केवल इससे व्यापक पैमाने पर तबाही होगी अपितु जरा सी दुर्घटना होने पर युद्ध भड़क सकता है। वस्तुतः राजनीतिज्ञ भी इस पहलू पर गम्भीर विचार नहीं कर रहे हैं। हम वस्तुतः आणविक युग में रह रहे हैं जहां न केवल जरा सी संकेत पर युद्ध हो सकता है अपितु भय अथवा दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। युद्ध उन छोटे राष्ट्रों के कारण भी भड़क सकता है जहां छोटे-छोटे राष्ट्र यह सोचें कि वे अपने स्वार्थ के कारण से बड़े राष्ट्रों को भी युद्ध में धकेल सकते हैं। यदि किसी दुर्घटना के वशीभूत किसी देश के समुद्र के भीतरी गर्भ से छोड़ा गया अस्त्र उसी देश में जा गिरे तो भी युद्ध उत्पन्न हो जायेगा। क्योंकि दूसरा राष्ट्र यह सोचेगा कि यह आक्रमण कार्यवाही है। पहिला राष्ट्र यह सोचेगा कि हमारे शस्त्रास्त्रों का पता लग गया है अतः हमें तत्काल युद्ध छेड़ देना चाहिये अन्यथा हमारा अस्तित्व समाप्त हो गायेगा। इसका नतीजा यह होगा कि युद्ध छिड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर आक्रान्त देश में ५ से ६ करोड़ तक व्यक्ति आहत हो सकते हैं। यह कहा गया है कि २६३ आणविक बम जिसकी कुल क्षमता १४७० मेगाटन होगी वह कुछ ही घंटों के दौरान अमेरिका की ९० प्रतिशत जनसंख्या को नष्ट कर सकता

है। यही बात दूसरे पक्ष पर भी लागू हो सकती है। तथापि मृत्यु और ध्वंस सम्बन्धी भयावह आंकड़ों से निश्शस्त्रीकरण सम्बन्धी समस्या का कोई हल नहीं होगा क्योंकि निश्शस्त्रीकरण की उत्पत्ति भय से हुई है और भय को भय से नहीं जीता जा सकता है।

अतः हमें इस आधार पर तर्क करना पड़ता है कि शस्त्रों का उपयोग मुख्यतः चार कारणों से होता है। पहिला, देश की सुरक्षा, दूसरे उपनिवेशों की प्राप्ति, तीसरे आर्थिक क्षेत्र में घुस कर अपने लिये बाजार कायम करना, चौथे सैद्धान्तिक संघर्ष में अपने मत को मनवाना। इस चर्चा के लिये हम पिछले तीन कारणों की उपेक्षा कर सकते हैं, केवल देश की सुरक्षा का प्रश्न बाकी रहता है, पिछले दो वर्षों से यह प्रश्न भी निरर्थक हो गया है, क्योंकि अब शस्त्रास्त्रों की शक्ति और उनकी मात्रा इतनी अधिक बढ़ गई है कि उससे दूसरे को भय नहीं होता है, क्योंकि यदि शस्त्रों का उपयोग किया जाये तो उसका अर्थ व्यापक विनाश होगा। वस्तुतः उनका रखना ही खतरे से खाली नहीं है। जहां तक इन शस्त्रों की निरोधक शक्ति का तात्पर्य है इनसे विरोधी युद्ध छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, इसका तात्पर्य यह है कि आप को विश्वास है कि आपका विरोधी अपने अस्त्रों का प्रयोग विश्व के विनाश के लिये ही करेगा। कठिनाई यह है कि हमें अपने विरोधी पक्ष पर विश्वास नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं, अतः यह सारी बात निरर्थक मालूम होती है क्योंकि अब अपने विरोधी से अधिक अच्छे शस्त्र रखने का सिद्धान्त ही निरर्थक हो गया है।

दूसरा प्रश्न अधिकाधिक युद्धास्त्र रखने संबंधी प्रतियोगिता का है, इस प्रकार की प्रतियोगिता बहुत खतरनाक है। आज स्थिति केवल यह नहीं है, आज प्रत्येक राष्ट्र में स्वयं प्रतियोगिता चल रही हैं क्योंकि आज जब तक एक अस्त्र बन कर तैयार होता है वह व्यर्थ सिद्ध हो जाता है और उससे अधिक अच्छा शस्त्र तैयार करना होता है। स्थिति यह हो गई है कि टैक्नीकल विशेषज्ञ सभी कुछ निर्माण कर सकते हैं और फलस्वरूप जो कुछ भी बनता है वह पुराना हो जाता है।

अंतरिक्ष सम्बन्धी अनसंधान से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि अमेरिका तथा रूस पर किसी प्रकार के नियंत्रण करने की आवश्यकता नहीं रही है। अंतरिक्ष के सम्बन्ध में होने वाली टैक्नीकल जानकारी के फलस्वरूप जब तक युद्ध अवैध घोषित नहीं कर दिया जायेगा तब तक नियंत्रण प्रभावहीन ही सिद्ध होगा।

निरीक्षण तथा नियंत्रण के सम्बन्ध में तर्कवितर्क दिये जाते हैं, हमारी सरकार का दृष्टिकोण यह है कि उचित निरीक्षण और नियंत्रण की व्यवस्था किये बिना, निश्शस्त्रीकरण संभव नहीं है, तथापि गैर-सरकारी बातचीत के दौरान यह स्वीकार कर लिया गया है कि नियंत्रण और निरीक्षण का कोई भी तरीका त्रुटिहीन नहीं हो सकता है। अर्थात् निरीक्षण और नियंत्रण का कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता है जो कि किसी विशेष शस्त्र के उपयोग के पूर्व अनिवार्य रूप से कार्य करे। इसका तात्पर्य यह है कि नियंत्रण की व्यवस्था को पहिले ही कार्य करना होगा, इसके लिये दोनों गुटों में समझौता होना आवश्यक है।

इसलिये हम संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये आवश्यक परिमाण में ही शस्त्र रखने के सिद्धान्त से आगे बढ़ गये हैं, क्योंकि आशंका प्रगट की गई है कि यदि राष्ट्रों के पास शस्त्र होंगे तो वे उन्हें बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे, इसी प्रकार यदि हम आणविक शस्त्रों पर प्रतिबंध स्थापित कर दें अथवा उन्हें विनष्ट कर दें, तो भी यदि युद्ध छिड़ेगा तो वे सभी शस्त्र पुनर्जीवित हो जायेंगे अर्थात् बड़े राष्ट्रों की शस्त्र क्षमता में यदि १८७० के स्तर पर कटौती की जाय

[श्री कृष्ण मेनन]

तो भी वे सारे शस्त्र पुनः प्रगट हो जायेंगे, क्योंकि उद्योग, टैक्नीकल शक्ति इत्यादि सभी कुछ वर्तमान हैं। अतः युद्धास्त्र वापस लेकर निशस्त्रीकरण करने के अब कोई माने नहीं रह गये हैं। इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहां कि युद्ध के अंत में भी उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग किया गया जो कि प्रारम्भ में किया गया। अब अंतरिक्ष अनुसंधान, आणविक अस्त्रों इत्यादि के परिणामस्वरूप इस पृष्ठभूमि में निशस्त्रीकरण की समस्या निरर्थक हो गई है, और क्रांतिकारी दृष्टिकोण रखना आवश्यक हो गया है।

इस समस्या का दूसरा पहलू तब पैदा हुआ जब कि दो या तीन वर्ष पूर्व ग्रेट ब्रिटेन ने अपना बम विस्फोट किया तत्पश्चात फ्रांस ने सहारा में अपने बम का विस्फोट करने के निश्चय पर दृढ़ रहा। इसलिये अब यह समस्या दो चार राष्ट्रों की नहीं अपितु सभी राष्ट्रों की समस्या बन गई है। पिछले वर्ष वैज्ञानिक डैविडसन की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक जांच की गई थी, उन्होंने अपने प्रतिवेदन में यह कहा कि इस समय दस ऐसे राष्ट्र हैं जो कि आणविक अनुसंधान में इतनी प्रगति कर चुके हैं या जिनके पास इतना आणविक ईंधन है कि वे आणविक बम बना सकें, इन में भारत भी एक है। अब यह संख्या २० हो गई है। वस्तुतः यह संभव है कि चीन, जापान, इटली जैसे राष्ट्र भी अणुबम बना सकते हैं, अतः आणविक शस्त्रों में नियंत्रण करना असंभव है।

इसलिये यदि इसी स्थिति पर इन शस्त्रों को विनष्ट करने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा तो भविष्य में कभी भी इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है। प्रधान मंत्री ने भी कल अपने भाषण के दौरान यही कहा था कि यदि हम अगले तीन या चार वर्षों के दौरान निशस्त्रीकरण नहीं कर लेंगे तो निशस्त्रीकरण असंभव हो जायेगा।

इसके साथ साथ इन अस्त्रों के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है, जर्मनी में ऐसे तरीके ईजाद हो गये हैं कि ये शस्त्र अधिक सस्ते और छोटे बनने लगेंगे। नागासाकी और हिरोशिमा में गिरा हुआ २० किलोटन के बम का इस्तेमाल अब केवल आग दिखाने के प्रयोजन से किया जाता है। इन बड़े मेगाटन बमों में इतनी शक्ति होती है कि वह विश्व के इतिहास में आज तक प्रयोग किये हुए सारे विस्फोटक पदार्थों की एकीकृत शक्ति से भी अधिक है। इस प्रकार यह एक भारी संकट है। तथापि आज कुछ राष्ट्र छोटे छोटे अस्त्र बनाने में समथे हो गये हैं। यह ज्ञात हुआ है कि वे ५० टन का बम बनाने में समर्थ हो गये हैं, अगले कुछ वर्षों में वे ५ टन का भी बनाने में समर्थ हो जायेंगे, अतः हमारे प्रतिनिधिमंडल ने दो या तीन वर्ष पूर्व जो आशंका प्रगट की थी कि अणु बम भी परम्परागत अस्त्रों का रूप धारण कर लेगा और सस्ता तथा हल्का हो जायेगा, अब सत्य प्रमाणित हो गई है। इससे स्पष्ट है कि या तो युद्ध समाप्त हो अन्यथा युद्ध हमें समाप्त कर देगा। इस बात को क्रमशः स्वीकार किया जा रहा है कि इन शस्त्रों पर नियंत्रण करने का एक मात्र तरीका उन का परित्याग करना है। संयुक्त राष्ट्र में इस प्रकार हम वर्तमान स्थिति पर पहुंचे हैं।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिस स्थिति से हमने इस प्रश्न को उठाया उसमें पहिले कोई प्रगति नहीं हुई। पिछले वर्ष के संकल्प में यह कहा गया था कि युद्ध का परित्याग किया जाय तथा इस उद्देश्य से दस राष्ट्र परस्पर वार्ता करें। ऐसी किसी वार्ता समिति पर समझौता नहीं हो सका जो कि दोनों पक्षों का विश्वास प्राप्त कर सके, अतः दस राष्ट्रों में वार्ता नहीं हो सकी। अतः हमारी प्रेरणा पर यह निश्चय किया गया कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे से वार्त्ता करें। अतः दस राष्ट्रों की समिति को बुलाया गया, यद्यपि यह वैधानिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के अधीन नहीं हुआ तथापि यह एक

प्रकार का समझौता था। परन्तु दुख है कि उनकी वार्त्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। उसका अंतिम पहलू वह था जब कि जेनेवा में शीर्ष सम्मेलन विफल हो गया। ऐसे समय महासभा की बैठक हुई। इस कारण न कोई प्रस्ताव रखा गया न कोई प्रगति हुई, अतः ऐसे समय वह प्रस्ताव रखा गया था, जिसका कुछ समय पूर्व उल्लेख किया गया, जिससे कि वे दो पक्ष जो एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते हैं एक दूसरे के करीब आ सकें। क्योंकि मामला बिल्कुल ठप्प हो गया था अतः कई तरीके अपनाये गये। अभी भी इन पर कार्य किया जा रहा है।

वस्तुतः इस समय वही स्थिति पैदा हो गयी है जैसी कि १९५२ में थी जब कि मामला बिल्कुल ठप्प हो गया था। अतः यह निर्णय किया गया कि हम सभा अथवा वार्त्ता करने वाले गुटों को निदेश जारी करें। अभी तक भी हम एक ऐसा वार्त्ता-दल नहीं बना पाये हैं जो कि दोनों पक्षों को मान्य हो। रूस एक ऐसा वार्त्ता-दल चाहता है जिसमें पांच उसके गुट के, पांच पश्चिम के और पांच तटस्थ राष्ट्रों के प्रतिनिधि हों। यह संभव है कि तटस्थ राष्ट्र तथा पश्चिमी राष्ट्र भी विश्व का तीन गुटों में बटवारा पसन्द न करें। इसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकती है। और वे लोग जो हमारी नीतियों की आलोचना करते हैं इससे कुछ अप्रत्यक्ष संकेत प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ राष्ट्रों की तटस्था की नीति और समस्याओं को वस्तुगत दृष्टिकोण से देखने का परिणाम यह हुआ कि अब पूर्व और पश्चिम दोनों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तटस्थ राष्ट्रों की ओर देखते हैं कि शायद वे समझौता कराने में समर्थ हों। इस प्रकार महासभा के सम्मुख कई प्रस्ताव हैं, इस संबंध में पूर्व तथा पश्चिमी राष्ट्रों की ओर से भी संकल्प रखे गये हैं। जब मैं न्यूयार्क से रवाना हुआ उस समय स्थिति यह थी कि इन सभी राष्ट्रों द्वारा ५ या ६ सप्ताह के विचार के बाद रखे गये परिणामों पर विचार हो रहा था और सामान्य रुख यह था कि यदि इस मामले में समझौता हो सका तो वह सर्वसम्मति से होगा। इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि कुछ निदेश जारी किये जायें, इन निदेशों में शस्त्रास्त्रों को विनष्ट करना, अड्डों को नष्ट करना, प्रशिक्षण सुविधाओं तथा कैरियर शस्त्रों को समाप्त करना है, उसमें यह भी व्यवस्था है कि आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में एक पुलिस बल रहेगा जो कि संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रहेगा। इसमें घोषणापत्र के भी संशोधन की भी मांग की गई है क्योंकि दोनों पक्ष यह महसूस करते हैं कि सेना, वायु बल और नौ सेना को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रखा जाय। इस पर भी विचार किया जा रहा है।

जैसा कि मैंने समिति में कहा कि हमें इस प्रश्न पर निर्विरोध मत प्राप्त करने की आशा नहीं है, यद्यपि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। एक दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र तथा रूस के प्रतिनिधियों ने समिति को यह बताया कि कुछ बातों के संबंध में वे सहमत हैं, उनके दृष्टिकोण से उसमें कुछ अंश ऐसे थे जो कि वे संतुलन व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें यह आशा थी—शायद हमारे प्रतिनिधमंडल से—कि शायद कोई उनमें समझौता करवा सके। इसी कारण इस प्रश्न पर चर्चा स्थगित कर दी गई। वस्तुतः इस समस्या पर अग्रेतर विचार होगा। वस्तुतः सभी क्षेत्रों में यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि जब अस्त्रों का स्वरूप और उनकी मात्रा इस कदर बढ़ चुकी है कि जब तक समझौता नहीं किया जायेगा तब तक शस्त्रास्त्रों में वृद्धि होती रहेगी। यह बात भी सर्वविदित है कि चीन की महान क्षमता, जापान में हुई टैक्नीकल जानकारी की प्रगति, छोटे देशों में परम्परागत अस्त्रों का अधिक उत्पादन तथा जर्मनी द्वारा इस क्षेत्र में की गई विशेष प्रगति को देखते हुए इस बात की आशंका है कि हम नियंत्रण करने में समर्थ नहीं होंगे। प्रत्येक पक्ष इस बात को भी स्वीकार कर रहा है कि अंतरिक्ष के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया जाय।

[श्रीकृष्ण मेनन]

कठिनाई यह है कि अमरीकी और पश्चिमी गुट इन बातों को स्वीकार करने में कोई आपत्ति न करते हुए भी जब इसका व्यावहारिक पहलू आता है तो वे यह आशा करते हैं कि हम कोई बड़ी बात करें हम सब उस बात पर सहमत हों, तब रूस भी ऐसा करेगा, तत्पश्चात् दूसरा कदम उठायेंगे इत्यादि। रूस तथा दोनों गुटों के बाहर के राष्ट्रों का यह मत है कि यह संकट दस या बारह वर्ष में समाप्त होने वाला नहीं है। इस संबंध में बड़ी शक्तियों द्वारा कोई निश्चित वचन दिया जाना चाहिये। सभा को भी इसे स्वीकार करना चाहिये तभी विश्व में पूरा निशस्त्रीकरण संभव हो सकता है।

वस्तुतः हम अपनी वार्त्ताओं में इतने अधिक बढ़ गये हैं कि यदि किसी तरीके से दोनों के दृष्टिकोण में कुछ अंशों तक भी समझौता हो सके तो, इन आंशिक बातों पर चर्चा हो सकती है, और उन्हें क्रियान्वित किया जा सकता है, यदि रूस इसे स्वीकार करे तो इस मामले में प्रगति की जा सकती है। रूस को इस बात की आशंका है कि यदि आप आंशिक बातों को अधिक महत्व देंगे तो पश्चिमी राष्ट्र उन्हीं आंशिक बातों का राग अलापते रहेंगे, इसी प्रकार अमरीकी यह कहते हैं कि यदि आप इस लक्ष्य से सहमत हो जायेंगे तो रूस यह कहेगा कि हमें सभी बातों को ताक में रख कर एक संधि कर लेनी चाहिये। वस्तुतः कठिनाई यहां पैदा होती है। इस समस्या का हल इन दोनों राष्ट्रों के विवेकबुद्धि और दूसरे राष्ट्रों की हल ढूंढ़ने की क्षमता पर निर्भर करता है। तभी प्रगति हो सकती है। निसंदेह हमें इस बात से सहायता मिल सकती है कि इस बारे में आंशिक समझौते हो चुके हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आंशिक समझौते पूर्ण होंगे या नहीं? इन्हीं आंशिक समझौतों में यह बात शामिल थी कि आणविक अस्त्रों के विस्फोट रोकने के लिये कदम उठाये जायें। इसे शस्त्र नियंत्रण की संज्ञा दी गई है। पश्चिम के सरकारी वैज्ञानिकों ने इस पर अपने सरकार का समर्थन किया है, उन्होंने इन विस्फोटकों के बारे में इस प्रकार अपनी राय व्यक्त की है जैसे कि वे मात्र वैज्ञानिक प्रयोग हों। तथापि कई प्रकाशनों के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर दिलाया गया है, कि जो राष्ट्र ऐसे विस्फोट करना चाहते थे उन्होंने स्वयं ही यह कहा था कि उनका उद्देश्य आणविक शस्त्रों के संबंध में पूर्णता प्राप्त करना है। जब तक इस प्रकार के विस्फोट होते रहेंगे तब तक युद्ध और ध्वंस की शक्तियों का रुख नहीं बदल सकता है।

जैनेवा में एक वर्ष तक उक्त विषयों में चर्चा हुई। लगभग दो तिहाई बातों में समझौता हो गया। जिस तिहाई बात में समझौता नहीं हो रहा है वही समस्या का कठिन पहलू है और उसके अधीन भूभौतिकीय और सर्वेक्षण निरीक्षण समिति आती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि निरीक्षण समिति में सहमत प्राप्त की जा सकती है, यदि पूर्ण ही निशस्त्रीकरण की ओर प्रयत्न किया जाय। यह दुख की बात है कि रूस और अमेरिका दोनों ही भगर्भ में किये जाने वाले विस्फोटों को जारी रखना चाहते हैं। इस संबंध में पश्चिमी राष्ट्र अपनी मांग पर अटल रहे, जिसे स्वीकार कर लिया गया। हमारी सामान्य नीति यह रही है कि जब अमेरिका तथा रूस किसी बात पर सहमत हो जाते हैं तो हम उसमें सुधार करने का प्रयत्न नहीं करते हैं। भूगर्भ में किये जाने वाले विस्फ टों को सभा के सम्मुख इस प्रकार रखा गया जैसे कि यह एक गढ़ा खोदने के समान कोई तुच्छ कार्य हो। अब यह ज्ञात हो गया है कि ये शस्त्रास्त्रों के क्षेत्र में गम्भीर मामला है। उदाहरणस्वरूप एक ऐसे सूराख का व्यय ३ करोड़ डालर होता है। इस प्रयोजन के लिये विशाल नमक की 'माइनस' का प्रयोग किया जाता है और उनको बनाये रखने में १० अरब (एक बिलियन) डालर खर्च बैठता है।

उक्त बातें मैं ने इस आशय से कही हैं कि जिससे आपको समस्या की गम्भीरता का पता चल जाय। इस बात की पूरी आशा है कि इस मामले में प्रगति होगी। यदि इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हुई तो आणविक विस्फोट पुनः प्रारम्भ हो जायेंगे। इसका फल यह होगा कि रेडियम धर्मिता में वृद्धि हो जायेगी केवल अमेरिका में ही जन्म से पैदा हुए अपंग बालकों की संख्या में ४ से ५ प्रति शत वृद्धि हो गयी है।

इसके अतिरिक्त छोटे अस्त्रों की भी समस्या है। फ्रांस के अध्यक्ष डीगाल ने आणविक शक्ति के पृथक्करण का सिद्धान्त रखा है। अर्थात् वे वर्तमान समझौतों में शामिल नहीं होना चाहते हैं। यदि ऐसा होगा तो अविकसित राष्ट्रों की यह आशंका है कि इनका उपयोग औपनिवेशिक युद्धों में किया जायेगा। क्योंकि रूस या अमेरिका किसी राष्ट्र को उसकी दमन नीति के लियें दंड देने जाकर विश्व युद्ध में उलझना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार यदि इन अस्त्रों का आकार छोटा होता गया और वे छोटे छोटे राष्ट्रों को भी प्राप्य हो गये तो स्थिति पर नियंत्रण रखना असंभव हो जायेगा। अतः निशस्त्रीकरण एक ऐसी समस्या है जिसका हम सभी से संबंध है, क्योंकि हमारा आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि विश्व का अस्तित्व भी खतरे में है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह बताया है कि आणविक युद्ध का २५ प्रतिशत खतरा है। अर्थात् यह खतरा बहुत करीब है। हमें इस बात से प्रसन्न होना चाहिये कि अपने सीमित साधनों, सीमित ज्ञान तथा विश्व में सीमित प्रभाव के बावजूद भी हम इस समस्या के संबंध में कुछ ठोस कार्य कर सके हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : संयुक्त राष्ट्र महासभा का वर्तमान अधिवेशन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था क्योंकि श्री ख्रुश्चेव के कारण संसार के अधिकांश देशों के प्रधान न्यूयार्क में इकट्ठे हुए थे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि सरकारों के प्रधानों के मिलने से अच्छे परिणाम निकलते हैं और यदि ऐसा होता है तो उससे संसार में शांति स्थापना की आशायें बढ़ जाती हैं। हमारे प्रधान मंत्री भी वहां गये और उन्होंने वहां पर एक शानदार भाषण दिया। परन्तु मेरे विचार से उन्होंने राष्ट्र संघ के ढांचे के बारे में जो बातें कहीं उनको वह नहीं कहनी चाहिए थीं। कांगो के बारे में श्री राजेश्वर दयाल ने बताया कि वहां पर प्रेजीडेंट और पार्लियामेंट दो प्राधिकार हैं और मैं समझता हूं कि कांगो के प्रतिनिधिमंडल को राष्ट्र संघ में जाना चाहिए था और विवाद में भाग लेना चाहिए था।

उपनिवेशवाद के बारे में मैं समझता हूं कि यदि हम गोआ के बारे में कोई कदम उठायेंगे तो उपनिवेशवाद के खिलाफ ही काम होगा। अल्जीरिया के बारे में भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। मैं समझता हूं कि राष्ट्र संघ में चीन को स्थान दिलाने के बारे में हमारी नीति ठीक है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि निश्शस्त्रीकरण के द्वारा ही विश्व में शांति हो सकती है। इसलिए बड़ी बड़ी शक्तियों को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि शस्त्र तो उन्हीं के पास हैं और उनको ही निश्शस्त्रीकरण करना है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि एक देश के विमान दूसरे पर अनधिकृत उड़ानें करें। ऐसे मामले में अनधिकार चेष्टा करने वाले विमानों को मार गिराया जाना चाहिए। निश्शस्त्रीकरण के साथ साथ पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों प्रकार के साम्राज्यवाद की समाप्ति भी होनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि चीन अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए कितना आतुर है। इस स्थिति में यही स्पष्ट हो जाता है कि निश्शस्त्रीकरण भी केवल बड़े राज्यों का ही हो। छोटे राज्यों का निश्शस्त्रीकरण हो जाने पर हमारे जैसे देश पर जो विमान उड़ते हैं उनको हम किस प्रकार गिरायेंगे।

[डा० राम सुभग सिंह]

चीन तथा भारत के प्रधान मंत्रियों की अप्रैल की बातचीत के बाद से चीन की ओर से भारत पर तीन हमले हुए । पहला कामेंग डिवीजन में ३ जून को हुआ । दूसरा २२ सितम्बर को हुआ और तीसरा १३ अक्तूबर को हुआ । इसके अतिरिक्त चीनी विमान ५२ बार भारतीय क्षेत्रों पर से उड़े । यह बड़ी ही खतरनाक बातें हैं ।

इसके अतिरिक्त १९५४ की सन्धि के अनुसार चीन को हमारे व्यापारियों तथा यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था । मैं यह बातें इसलिए सभा में बता रहा हूं कि चीन ने १९५४ की सन्धि का कभी भी पालन नहीं किया । यात्रियों को कैलाश और मानसरोवर पर नहीं जाने दिया ।

इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार को कोई ऐसा कठोर क़दम उठाना चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनायें न हों ।

कल श्री मुकर्जी ने पंजाब, आसाम आदि के गोलीकांड के बारे में बताया । उन्होंने नागालैंड में भारतीय विमान को गिराने का उल्लेख किया । मैं भी इसके बारे में यही कहना चाहता हूं कि सरकार को विमान में बैठे हुए पांच व्यक्तियों के छूट आने पर शेष व्यक्तियों को बचाने का प्रयत्न भी करना चाहिए था क्योंकि यह पांचों व्यक्ति साधारण व्यक्ति थे और विमानचालकों को नागाओं ने अभी नहीं छोड़ा है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

पंजाब आदि की घटनाओं के साथ साथ मैं श्री मुकर्जी का ध्यान तिब्बत की घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने पंजाब के गोलीकांड का ज़िक्र किया है । मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि मैं गोलीकांड का समर्थन करता हूं परन्तु मैं श्री मुकर्जी को बताना चाहता हूं कि वह तिब्बत में हो रही बर्बरता को देखें । कृपा करके कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में जायें और देखें कि कितने लोग अपना घरबार, बन्धुओं की हानि उठाकर वहां पर आये हैं ।

मेरा सुझाव है कि तिब्बत में हमें अपने व्यापार अभिकरणों को बन्द कर देना चाहिए क्योंकि जब उनका कोई लाभ नहीं है तब उनको रखने से क्या लाभ है ।

दूसरे यदि पेकिंग में हमारे प्रतिनिधि के साथ कोई दुर्व्यवहार किया जाता है तो हमें भी यहां पर उनके प्रतिनिधि के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए । तीसरे हमें चीन को बताना चाहिए कि हमारा विचार तिब्बत पर उनके स्वामित्व का वैसा नहीं था जैसा कि उन्होंने अब बना लिया है और हम इस प्रकार की बर्बरता रोकने के लिए तिब्बतियों का साथ देंगे ।

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अकवाम मुतहद्दा का या जनरल असेम्बली का मौजूदा इजलास जो अभी जारी है, इस लिहाज से निहायत तारीखी और अहम है कि इस में दुनियां के बड़े बड़े रहनुमाओं ने शिरकत की । उस में हमारे वजीर आजम भी शरीक हुए और इसलिये कि दुनियां में अमन पैदा हो, उन्होंने इतने मुतबाजे उमूर का, ऐसे मसायल का वहां हल ढूंढा । उन्होंने कांगो के बारे में, अल्जीरिया के बारे में और दूसरे मुल्कों के बारे में जो नुकात पेश रक्खे वह सिरफ इसीलिये कि हम दुनियां में अमन चाहते हैं । हम नहीं चाहते, हमारी यह पालिसी नहीं है कि दुनियां मौजूदा अमन की पालिसी को छोड़ कर जंग की पालिसी अख्त्यार करे । अकवाम मुतहद्दा के बारे में कल यहां चन्द बुजुर्गों ने इशारा किया और यह कहा कि मि० ख्रुश्चेव का जो रवैया था वह काबिल ऐतराज था । इस में कोई शक नहीं कि उन्होंने

बहुत सी बातें ऐसी कहीं जिन में अपनी रवायात के मुताबिक हम शरीक नहीं हो सकते । लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि खुद अकवाम मुतहद्दा में दूसरे मुल्कों के नुमाइन्दों के साथ, जो कि अपने यहां के जायज नुमाइन्दे थे, क्या सुलूक हुआ । हमारे सामने मिसाल है क्यूबा के डा० कैस्ट्रो की । उन को होटल से निकलना पड़ा । उन को निकाल दिया गया और उन की तौहीन की गई । मेरे दोस्त श्री वाजपेयी ने जब कल तकरीर की तो उन्होंने मि० ख्रुश्चेव के बारे में भी कहा । लेकिन श्री ख्रुश्चेव के साथ वहां पर जो नाजेबा सुलूक किया गया, उस का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : क्या उन को घूंसा दिखलाना चाहिये था ?

श्री अ० मु० तारिक : जी हां, अगर कोई जरूरत पेश आ जाय । हमारा महावरा है, हमारा मकूला है कि अगर बातों से कोई फैसला न हो तो उस का दूसरा इलाज करना चाहिये । हमारा मकूला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते । अगर ऐसी कोई सूरत पेश हो तो यकीनन दुनियां के लोगों को यह भी करना चाहिये । यह ठीक है कि उनकी ऐसी हरकतों में, उन के ऐसे तरीकेकार में हम शरीक नहीं हो सकते, लेकिन हम को दूसरी बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । जब हमारे वजीर आजम वहां गये तो वहां उन्होंने तकरीर की । उस तकरीर से अमरीका के लोगों में, अमरीका के सयासतदानों में, एक किस्म की परेशानी हुई, अफरा तफरी हुई । वह इस हद तक चले गये कि जब हमारे वजीर आजम ने डा० कैस्ट्रो को दावत में बुलाया तो अमरीका के सयासतदानों को नागवार गुजरा । उन्होंने अपने दोस्तों के जरिये हमारे वजीर आजम को अपनी नाराजगी का पैगाम भिजाया । मैं नहीं समझता कि अमरीका के सयासतदानों को या वहां के हुक्कामों को क्या हक पहुंचता है कि वह हमारे वजीर आजम पर इस किस्म की पाबन्दियां आयद करें । यही नहीं बल्कि वहां के रहनुमाओं ने प्राइवेट मीटिंग्स में यह भी कहा कि हम नेहरू को उस के कद के मुताबिक काट देंगे और उस स्पीच पर इमिडिएटली यूनाइटेड नेशन्स में इस किस्म की बातें हुईं कि उन के फौरन बाद जनरल अय्यूब ने स्टेटमेंट दिया जिस में उन्होंने धमकी दी कि हिन्दुस्तान की सरहदों पर हमारी फौजें हैं । इस ऐवान के मेम्बरान को शायद यह नहीं भूला होगा कि हिन्दुस्तान के वजीर आजम मुहब्बत और अमन का पैगाम ले कर पाकिस्तान गये थे । अभी वह पाकिस्तान से लौटे ही थे कि वह यूनाइटेड नेशन्स असेम्बली में गये । उस के बाद हिन्दुस्तान के किसी रहनुमा ने कांग्रेस पार्टी के किसी रहनुमा ने, दूसरी जमातों के किसी रहनुमा ने, यहां तक कि हिन्दू महा सभा के किसी रहनुमा ने, कोई ऐसी इश्त्यालअंगेज तकरीर नहीं की जिस का जवाब फील्ड मार्शल अय्यूब यह देते कि काश्मीर का मसला पाकिस्तान की फौज हल करेगी । असल में वह यह शरारत थी जो न्यूयार्क में हमारे वजीर आजम को परेशानी में डालना चाहती थी, और उस परेशानी का इजहार कराची से किया गया, उस साजिश का इजहार कराची से किया गया । मैं उन लोगों में से हूं, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हो, हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, लेकिन हम फौजी धमकियों से डरना नहीं चाहते, हम फौजी धमकियों से मरऊब होने वाले नहीं हैं ।

यह हमारे हिन्दुस्तान की फौज की शान है, यह हमारे वजीर आजम और दूसरे रहनुमाओं की सखावत है कि आज मुजफ्फराबाद और काश्मीर के दूसरे इलाके पाकिस्तान के कब्जे में हैं । जब हमारी फौजें बढ़ रही थीं, हम ने अपनी शराफत का सबूत दिया और हम ने उन को बढ़ने से रोक दिया, वर्ना खुद पाकिस्तान के अफसर यह हकीकत जानते हैं कि आज रावलपिंडी शायद पाकिस्तान के कब्जे में न होता, बल्कि हिन्दुस्तान का हिस्सा होता । इस में हमें सिर्फ यह देखना है कि जो धमकियां आती हैं, उन का असली मकसद क्या है । उन का मकसद यह है कि जिस वक्त आप कश्मीर की तारीख देखें, जब आप उन को वाकयात की जंजीर में जोड़ें तो पता चलेगा कि जिस वक्त हम

[अ० मु० तारिक]

चाहते हैं कि मशरिक और मगरिब के लोगों में अमन का फैसला हो, किसी फैसले पर वह पहुंचें तो पाकिस्तान से या कहीं और से हम को फौजी धमकियां दी जाती हैं। मैं जानता हूं। मैं पाकिस्तान के अन्दरूनी हालात से बखूबी वाकिफ हूं। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में जो जनरल हैं। मैं हिन्दुस्तान के जनरल्स को भी जानता हूं। जनरल अय्यूब खां को इस बात को फरामोश नहीं करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में भी फौज है और निहायत अजीमुश्शान फौज है और उसमें उनसे बेहतर जनरल हैं। यह ठीक है कि हमारे यहां कोई नाम निहाद फ़ील्ड मारशल नहीं हैं, लेकिन हम बखूबी जानते हैं कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। जब जंग का वक्त आयेगा तो यकीनन हिन्दुस्तानी सेना इस बात को साबित कर देगी।

मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक चीन का सवाल है, हम चीन के साथ इस झगड़े को निहायत अमन के साथ और निहायत दोस्ताना तरीके से तै करना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : किस झगड़े को ?

श्री अ० मु० तारिक : जो हमारे और चीन के दरम्यान है। इस फैसले को हमारी दोनों हुकूमतें तै करेंगी। ये फैसले अफराद और सियासी जमाअतों के मंशुर पर तै नहीं होंगे। ये फैसले यकीनन हम अपने मुल्क के हाल, माजी और मुस्तकबिल को मद्दे नजर रख कर तै करेंगे।

चीन के बारे में शोर किया गया कि साहब उनके हवाई जहाज आये हैं। यकीनन आये हैं। हम उनका तदारुख करेंगे। लेकिन इस चीज़ को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए कि चीनी हुकूमत ने खुद हमारे सामने यह बात रख दी है कि अगर आप हमारा हवाई जहाज देखें तो उसे गिरा लें। उन्होंने कहा है कि और भी हमारे हमसाए मुल्क हैं जहां से हवाई जहाज आ सकते हैं। उसका एक सबूत हमारे सामने है। वह अमरीकी हवाई जहाज जिसको रूस ने गिराया उसके बारे में यह साफ साबित हुआ कि वह अमरीकी हवाई जहाज पाकिस्तान से उड़ा था। हमारे पड़ौसी पाकिस्तान में गैर मुल्की हवाई अड्डे हैं इसको हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिये। जनाबवाला, मैं इस सिलसिले में अमरीकी सेवेंथ फ्लीट के रियर एडमिरल एंड्रू जैक्सन का एक बयान ऐवान के सामने रखना चाहता हूं जो कि उन्होंने ६ अक्तूबर को चिटागांग में दिया था। इस बयान में उन्होंने तीन चार मोटी मोटी बातें कही हैं जिनको मैं मेम्बरान ऐवान के सामने रखना चाहता हूं और मैं उनसे तवक्को रखता हूं और हिन्दुस्तान की हुकूमत से तवक्को रखता हूं कि वह इस बयान पर गौर करेगी। उन्होंने कहा है :

> "प्रशान्त में यू० एस० का सैवेंथ फ्लीट खतरा होने पर बंगाल की खाड़ी और चिटगांव आने को तैयार है।"

आगे उन्होंने कहा है :

> "स्वतंत्र विश्व की प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वी पाकिस्तान का बहुत महत्व है।"

उन्होंने आगे यह भी कहा है :

> "चिटगांव बन्दरगाह पर शक्तिशाली नौसेना बनाये रखना नितान्त आवश्यक है।"

यह एक नैवल कमांडर हैं अमरीका के सेवेंथ फ्लीट के--यह जानते हुए कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, हमें इस किस्म की धमकियां दी जाती हैं कि चिटागांव का एक बहुत बड़ा समुन्दरी अड्डा बनेगा, और सेवेंथ फ्लीट थोड़े से नोटिस पर बे आफ बंगाल में

आ सकता है। यह कहना हिन्दुस्तान की आजादी पर हमला है। हिन्दुस्तान की हुकूमत को इस हमले को मंजूर करना होगा। वह सभी मुल्क जो जाबिर हैं जो हमलावर हैं उनको जाबिर और हमलावर मानना होगा, चाहे वह पाकिस्तान हो और चाहे वह चीन हो। उसे हिन्दुस्तान के इलाके को खाली करना पड़ेगा।

चीन ने हमारी सरहदों पर हमला किया है और हम उसका बहुत वावैला करते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के उस हमले को भी नहीं भूलना चाहिये जो कि दस साल से चला आ रहा है और जिसकी वजह से लाखों आदमियों का कत्ल हुआ। मैं अपने दोस्तों से यह अर्ज करना चाहता हूं कि उनको यह बात छोड़ कर कि हमारी सियासी जमाअतें क्या कहती हैं, एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से यह देखना चाहिए कि आज उन बेगुनाह काश्मीरियों की क्या हालत है जो कई साल से पाकिस्तान के गुलाम हैं। आप उनकी हालत को देखें, उनकी औरतों और उनके बच्चों की हालत को देखें कि रोज-मर्रा पाकिस्तान उनके साथ क्या करता है। आप यह देखें कि कितनी बार पाकिस्तान ने हमारी सरहद पर पूंछ में हमले किये हैं, कितने हमारे फौजी मारे गए। इसके बावजूद भी आप देखें कि हमने हमेशा कोशिश की हर वक्त पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मेम्बर साहब को पता है कि स्पीकर साहब ने दस मिनट की हद मुकर्रर की है।

श्री अ० मु० तारिक : मैं ने अभी शायद आठ मिनट ही लिए हैं।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि अपनी तकरीर में मिस्टर ख्रुश्चेव ने यूनाइटेड नेशन्स में जो कहा उसकी तशरीह करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अकवाम मुतहिदा चन्द लोगों की मनापी बन चुकी है। मैं एक हिन्दुस्तानी और एक काश्मीरी की हैसियत से .....

श्री ब्रजराज सिंह : क्या काश्मीर हिन्दुस्तान से अलग है ?

श्री अ० मु० तारिक : जनाब वाला काश्मीर पूरी तरह हिन्दुस्तान का हिस्सा है, वह हिन्दुस्तान का एक सूबा है जैसे कि और सूबे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : तो फिर हिन्दुस्तान कहना ही काफी था।

श्री अ० मु० तारिक : जनाब वाला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि किस तरह अकवाम मुतहिदा में हमारी जायज शिकायत को पावर पालिटिक्स की वजह से अभी तक तै नहीं किया गया। यह जानते हुए भी कि काश्मीर हिन्दुस्तान का हिस्सा है, और यह जानते हुए भी कि काश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया है, पावर पालिटिक्स का गठ होने की वजह से आज तक उसका फैसला नहीं किया गया। सिर्फ पावर पालिटिक्स की वजह से काश्मीर के मसले को दस साल तक लटकाए रखा गया है। यह अकवाम मुतहिदा में उन लोगों की साजिस से हो रहा है जिनकी वहां अक्सरियत है।

हमने यह भी देखा कि कांगों में आज क्या हो रहा है। वहां के लोगों के नुमायन्दों के लिए वहां की पार्लियामेंट के दरवाजों पर फौजी पहरा बिठा दिया गया है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि पाकिस्तान में हुआ। वहां की पार्यिलामेंट के मेम्बरों को जेल में ठूंस दिया गया और एक ऐसे शख्स को सिर्फ जिसका वहां वजूद है, उसके पीछे वहां की अवाम की शख्सियत नहीं है, कोई अवाम की राय नहीं है, तमाम मुहज्जिब मुल्कों के प्रोटेस्ट के बावजूद, वहां के लोगों पर ठूंसा जा रहा है। वैस्टर्न ब्लाक की हमेशा यह ख्वाहिश रही है कि जब एक अजीम फर्द हो तो उसके मुकाबले पर अपनी

[श्री अ० मु० तारिक]

मन्शा और मकसद के मुताबिक दूसरा आदमी पैदा करें। हिन्दुस्तान में भी इस किस्म की कोशिश की गयी लेकिन हिन्दुस्तानी लोगों के इस अटल फैसले की वजह से कि हमारी लीडरशिप श्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में मजबूत है, वह इसमें कामयाब नहीं होने पाए।

हमारे मुल्क में बहुत सी फिरकेवाराना जमाअतें काम कर रही हैं जिनके पीछे बाहरी मुल्कों का हाथ है। आपको शायद यह इल्म न होगा कि अभी दिल्ली में जमाअत इस्लामी का एक जल्सा हुआ। यह जमाअत खालिस फिरका परस्त जमात है और इसके पीछे यकीनन गैर मुल्की ताकतें हैं। जिस शान शौकत से उसका जल्सा हुआ उससे साबित होता है कि गैर मुल्की ताकतें उसके पीछे हैं और हमारे मुल्क को परेशानी में डालना चाहती हैं।

मैं हुकूमते हिन्द से दरखास्त करूंगा, मैं दरखास्त करूंगा वजीर आजम से और डिफेंस मिनिस्टर साहब से कि हमारी सरहदों की बाकायदा हिफाजत होनी चाहिए, चाहे वह चीन की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से हो। हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सरहदों पर दुश्मन बैठा हुआ है। हमारी सरहद पर हमारे हमशाए मुल्कों में बाहरी ताकतों के फौजी अड्डे हैं। हमें इस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए।

जनाब डिफेंस मिनिस्टर साहब पर बहुत से ऐतराजात किए गए। बाजपेयी साहब ने किए और लोगों ने भी किए। लेकिन कोई मजबूत चीज हवाई बातों से गिर नहीं सकती। मैं इस सिलसिले में लन्दन के मशहूर अखबार ईवनिंग टेंडर्ड के चन्द अल्फाज इस ऐवान के सामने रखना चाहता हूं। जब उन्होंने देखा कि हमारा हिन्दुस्तानी डेलीगेशन, उसके मेम्बर और उसके लीडर किस तरह अफ्रीकी और एशियायी मुल्कों की आवाज की वहां नुमायन्दगी करते हैं तो उन्होंने कहा कि ——कृष्ण मेनन अल्फाज के धनी हैं। श्री कृष्ण मेनन एशियायी, अफ्रीकी मुल्कों के मकबूल लीडर हैं और उनकी नुमायन्दगी करते हैं। मैं इस बारे में अपने डेलीगेशन और उसके लीडर को मुबारकबाद देता हूं।

†श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि रूस का राष्ट्र संघ के तीन महा सचिव रखने का प्रस्ताव हमारे अधिक हित में है। रूस समझ गया है कि अफ्रेशियाई देशों पर रूस के बजाये चीन का असर अधिक पड़ सकता है और इस लिए यदि अफ्रेशियाई महा सचिव नियुक्त किया गया तो वह लोकतंत्र का अधिक पक्षपाती होगा जो चीन की नेतागिरी नहीं बढ़ने देगा। दूसरे साम्यवादी देशों का महा सचिव रूस का होगा जो अफ्रेशियाई महा सचिव से मिला रहगा और इस प्रकार एक ओर अमरीका की मनमानी रुकने के साथ साथ रूस ने चीन की नेतागिरी को भी खत्म करने की कोशिश की है।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने कांगो के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है और ऐसा करना आवश्यक भी है। क्योंकि ज्यूं ज्यूं साम्यवाद की वृद्धि होगी त्यूं त्यूं तोड़ फोड़ बढ़ेगी और इसको केवल राष्ट्र संघ के द्वारा ही रोका जा सकता है। परन्तु इसको रोकने के लिए देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करना होगा और इस हस्तक्षेप करने के अधिकार केवल पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थित एक महा सचिव को देना मैं ठीक नहीं समझता हूं।

जिस प्रकार बेल्जियन कांगोमें घुस आये यदि रूसी भी क्यूबा में घुस गये होते तो रूस और अमरीका में युद्ध होना निश्चित था। ऐसा मालूम होता है कि बेल्जियम के पीछे और किसी पश्चिमी शक्ति का हाथ भी है जो अफ्रेशियाई देशों को सबक सिखाना चाहता है और यह चाहता है कि यदि

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्र संघ पर से उसका प्रभुत्व समाप्त होता है तो राष्ट्र संघ को ही खत्म कर देना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो बड़ी ही खतरनाक बात होगी।

मैं समझता हूं कि यदि तीन महा सचिव नियुक्त कर दिए जायें तो तीनों अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं का ध्यान रखेंगे। रूस और अमरीका में शीत युद्ध में अफ्रेशियाई देशों का महा सचिव सन्तुलन रखेगा। इसलिए यदि रूस द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रस्ताव कि तीन महा सचिव हों और राष्ट्र संघ में देशों के प्रधान आया करें, मान भी लिया जाये तो मैं समझता हूं कि संसार की बहुत सी समस्यायें स्वयमेव हल हो जायें।

हमारे प्रधान मंत्री ने श्री कैस्ट्रो को क्यूबा से न्यूयार्क बुला कर बड़ा अच्छा काम किया है। अमरीका वाले चाहे वह कैनेडी हो या निक्सन यही करना चाहते हैं जो रूस और चीन ने पूर्वी योरप और तिब्बत में किया है। इसलिए हमने अमरीका का समर्थन क्यूबा के बारे में न करके ठीक ही किया।

यदि अमरीका चाहता है कि पूर्वी योरप के देशों को रूस से छुटा ले तो उसी प्रकार रूस भी चाहता है कि अमरीका की दासता से लैटिन अमरीका को छुटकारा दिला दे। इसलिए इस प्रकार के सभी मामलों में हमें रूस का साथ देना चाहिए।

मैं अल्जीरिया को सैनिक तथा शस्त्र भेजे जाने का समर्थन करता हूं। आज भी कई देश अल्जीरिया की कई प्रकार से सहायता कर रहे हैं। हमें अरब तथा अफ्रीका दोनों की दोस्ती बनाये रखना है और ध्यान रखना है कि उनसे दोस्ती समाप्त न हो जाये। और इसीलिए प्रयत्न करना है कि अमरीकी राज्यों के समान ही अफ्रेशियाई देशों का एक संगठन बन जाये जिससे उपनिवेशवाद का अन्त हो जाये।

मैं तो यह चाहता हूं कि राष्ट्रसंघ को प्रतिरक्षा तथा वैदेशिक कार्यों के अधिकार दिये जाने चाहिए जिससे वह आक्रामक देशों के कार्यों को रोक सके। यदि ऐसा हो गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ एक संसार की सरकार का रूप ले लेगा।

अन्त में, मैं एक बात यह बताना चाहता हूं कि जब तक फार्मूसा राष्ट्र संघ का सदस्य रहेगा तब तक चीन कभी भी राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बनेगा। इसलिए आवश्यक है कि राष्ट्र संघ में एक संकल्प प्रस्तुत किया जाये जिसके द्वारा फार्मूसा पर से अमरीका का प्रभुत्व हटा लिया जाये। मैं समझता हूं कि ऐसा हो जाने से चीन अपनी गलती समझ जायेगा और भारत पर आक्रमण नहीं करेगा।

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस का स्वागत करता हूं। इस बहस से दुनिया में विश्व सरकार बनाने के प्रयत्नों को बल मिलेगा और राष्ट्र संघ को भी बल मिलेगा और हिन्दुस्तान में उसके प्रति आदर पैदा होगा। लेकिन मुझे दुख है कि हिन्दुस्तान के प्रतिनिधिमंडल का जो रोल राष्ट्र संघ में रहा उसकी पूर्ण रूप से प्रशंसा नहीं की जा सकी। राष्ट्र संघ में और कल से जो यहां भाषण हुए हैं और उनमें प्रधान मंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय के जो भाषण हुए हैं उनसे साफ प्रकट होता है कि हिन्दुस्तान का ज्यादा जोर निश्शस्त्रीकरण पर है, उपनिवेशवाद के खात्मे पर उतना नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि निश्शस्त्रीकरण हिन्दुस्तान की आत्मा में है, निश्शस्त्रीकरण हम चाहते हैं। उससे कोई इन्कार नहीं करता है। वह दुनिया के भले के लिए है, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। लेकिन निश्शस्त्रीकरण और उपनिवेशवाद के खात्मे

[श्री ब्रजराज सिंह]

में से अगर किसी को चुनना हो तो हिन्दुस्तान की जनता सब से पहले उपनिवेशवाद के खात्मे को चुनेगी, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये । मुझे लगता है कि हिन्दुस्तान की सरकार ने इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपनाया है जिसमें वह यह कहती कि हम सब से पहले उपनिवेशवाद का खात्मा चाहते हैं और फिर उसके बाद निश्शस्त्रीकरण की बात होगी । जो प्रधान मंत्री जी का राष्ट्र संघ में भाषण हुआ उससे पता चलता है कि वह उपनिवेशवाद का खात्मा तो चाहते हैं, वह चाहते हैं कि वह खत्म होना चाहिये लेकिन उपनिवेशवाद से भी जरूरी वह निश्शस्त्रीकरण समझते हैं । इस तरह के उनके शब्द थे । मैं कहना चाहता हूं कि निश्शस्त्रीकरण का महत्व दुनिया की उस ९० करोड़ जनता के लिए है जिस के पास कुछ है और दुनिया की १६० करोड़ उस जनता के लिए उतना नहीं है, जिसके पास कुछ नहीं है । इसलिए १६० करोड़ जनता के लिए उपनिवेशवाद का खात्मा और निर्धनता का खात्मा, यही दो महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर सब से पहले ध्यान दिया जाना चाहिये ।

जब मैं उपनिवेशवाद की बात कहता हूं तो मुझे अल्जीरिया के फरहत अब्बास का ही नाम याद नहीं आता, मुझे केनिया के जोमो केनियाटा की भी याद आती है जो अफ्रीकन राष्ट्रवाद के एक आदर्श बन चुके हैं । मुझे दुख है कि केनिया को आज़ाद कराने में, वहां से उपनिवेशवाद का खात्मा कराने में, टांगानीका से उपनिवेशवाद का खात्मा कराने में हिन्दुस्तान की सरकार कोई पहल नहीं ले रही है और उसने यह पहल क्यूबा के डा० कास्ट्रो और रूस के श्री ख्रुश्चेव के हाथ में दे कर दुनिया की जनता के सामने यह साबित कर दिया है कि कम्युनिज्म शायद जनतंत्र से अच्छा हो सकता है । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान क्योंकि उपनिवेशवाद के अन्तर्गत रह चुका है, हिन्दुस्तान वे खतरे मोल ले चुका है जो आज़ाद होने के लिए लिये जाते हैं, इसलिए यहां की सरकार और उसका प्रतिनिधिमंडल सब से पहला रहा होता जिसने सब से ज्यादा जोर इस बात पर दिया होता कि एक टाइम लिमिट निश्चित कर देनी चाहिये, सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये जिसके बाद की दुनिया का कोई भी मुल्क गुलाम नहीं रहेगा ।

दुनिया से गुलामी का खात्मा तीन सालों के अन्दर जरूर हो जायेगा । इस वास्ते मैं स्वागत करता हूं प्रधान मंत्री महोदय की इस आशंका का कि अगर तीन चार साल के अन्दर दुनिया से शस्त्रों का खात्मा नहीं होता, निरस्त्रीकरण पूरी तरह से कामयाब नहीं होता है तो दुनिया का खात्मा हो जायेगा । इसी तरह से निश्चित रूप से इस प्रकार की घोषणा की जानी चाहिये थी कि दुनियां से गुलामी का खात्मा, उपनिवेशवाद का खात्मा अगले तीन या चार सालों के अन्दर जरूर हो जाना चाहिये । जो मुल्क आज भी दुनिया में गुलाम हैं, उन की आजादी में देरी होने पर भी, हम अपनी शुभकामनायें भेजते हैं और आशा करते हैं, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट आशा करती है कि जितनी जल्दी हो सके वे उतनी जल्दी आजाद हों, और हम अपने प्रतिनिधिमंडल से आशा करेंगे कि जब कभी इस तरह के प्रश्न राष्ट्रसंघ में आयें तो उस को अधिक से अधिक जोर दे कर यह कोशिश करनी चाहिये कि दुनिया से जल्दी से जल्दी गुलामी का खात्मा हो ।

इसी के साथ साथ जुड़ा हुआ जो मसला है वह गोवा का है । कहा गया कि दुनिया के जिन हिस्सों पर पुर्तगाल के उपनिवेश कायम हैं उन को वह अपने सूबे बतलाता है । आज की दुनिया में यह कितने आश्चर्य की बात है । इस तरह से तो गोवा भी पुर्तगाल का सूबा हो सकता है, अंगोला हो सकता है, मोजम्बिक हो सकता है । मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्र संघ में जोर दे इस बात के लिये कि इस तरह की बात कहने का हक पुर्तगाल को नहीं होना चाहिये । मुझे खुशी है कि पुर्तगाल दुनिया में अकेला पड़ता जा रहा है और भविष्य में और भी अकेला पड़ता जायेगा,

और वे उपनिवेश भी जो आज पुर्तगाल के कब्जे में हैं, जल्दी आजाद होंगे, और गोवा भी जो कि हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग है, वास्तव में हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बना लिया जायेगा ।

जब दादर और नगर हवेली की बात आती है तो मुझे अफसोस होता है कि किस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार इस के बारे में अपने विचार रखती है । दादर और नगर हवेली की जनता ने ऐसे साहस और वीरता से अपनी आजादी हासिल की, विदेशियों को मार भगाया, उसके बाद जब नगर हवेली और दादर की जनता हिन्दुस्तान से अपने को मिलाना चाहती है, वास्तव में एक होना चाहती है, तो हिन्दुस्तान की सरकार इस तरह की बातें हमारे सामने रखती है कि कुछ वास्तविकतायें इस तरह की हैं, कुछ कठिनाइयां इस तरह की हैं जिन से हम ऐसा नहीं कर सकते । यह बड़े अफसोस की बात है । जल्दी ही हिन्दुस्तान की सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहियें जिन से कि दादर और नगर हवेली हिन्दुस्तान का अभिन्न अंग बन सकें ।

जब विदेशी मामलों पर बहस हो रही है तो हमें बरबस याद आती है उन चीजों की जो हमारी सीमाओं पर हो रही हैं । अभी हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहरी पानी समझौता हुआ है । मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान से समझौता नहीं होना चाहिये । आवश्यक है कि हमारे जितने पड़ोसी हैं उन से समझौता हो, उन से हम घनी दोस्ती कायम कर सकें, लेकिन समझौते से पहले हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को विश्वास में ले कर यह प्रयत्न करना चाहिये था कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जरिये हिन्दुस्तान की जनता जाने कि किन शर्तों पर हम समझौता करने जा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि भारतवर्ष की सरकार इस बात का खयाल रक्खे कि जब भी कोई इस तरह का महत्वपूर्ण काम हो तो हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट को विश्वास में लिया जाय और उसके जरिये से हिन्दुस्तान की जनता को विश्वास में लिया जाय । आज हम ने एक बात अखबारों में देखी, पता नहीं वह कहां तक सत्य है, कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक रेल समझौता हो रहा है । पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को जाने के लिये कुछ रेल के डब्बे पाकिस्तान के लगेंगे और उन में माल और सवारियां दोनों ही पाकिस्तान के एक हिस्से से दूसरे हिस्से को जायेंगे । इसी तरह से पश्चिमी बंगाल से मणिपुर और त्रिपुरा को हमारा माल और सवारियां जायेंगी । क्या उस की शर्तें हों, इस तरह का कोई समझौता होता है तो उस से पहले उस पर पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिये । यह खयाल रखना चाहिये कि हमें पाकिस्तान की जनता से मुहब्बत है, हम कल तक भाई भाई की तरह रहे हैं, हमारा उन का खून एक है, लेकिन आज दुनियां की जो स्थिति है उस में पाकिस्तान कुछ दूसरी ताकतों के चक्कर में आ कर कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो कभी हिन्दुस्तान के खिलाफ भी हो सकते हैं । इस लिये ऐसे समझौते होने से पहले हमें उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और अगर इस तरह का कोई खतरा हो तो सम्भवतः इस तरह के समझौते होने की आवश्यकता न हो ।

हमारी जो उत्तरी सीमा है, उस पर भी बहुत कुछ हुआ है, पिछली दफा जो बहस हुई, उस के बाद । मुझे अफसोस है कि प्रधान मंत्री जी भी अपना भाषण दे चुके, रक्षा मंत्री भी अपना भाषण दे चुके, जिन पर जिम्मेदारी है देश की एक एक इंच भूमि की रक्षा करने की, लेकिन उन में से किसी ने इस पर कोई चर्चा नहीं की कि उत्तरी सीमा की रक्षा करने के लिये वे क्या कर रहे हैं । हो सकता है कि यह बहाना बनाया जाय कि चूंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेम्बली में बात हो रही है और इस पर चर्चा चल रही है, इसलिये हम ने कुछ नहीं कहा । लेकिन चूंकि विदेशी मामलों की बहस के बाद और कोई मौका इस अधिवेशन में नहीं मिलेगा इस के लिये, इस लिये आवश्यक था कि हिन्दुस्तान की सरकार देश की जनता को आश्वस्त करती कि बावजूद इस के कि चीन की तरफ से हमारी एअर स्पेस का वायोलेशन हो रहा है और दूसरी कार्रवाइयां हो रही हैं, हमारे नागरिकों की बेइज्जती की

[श्री ब्रजराज सिंह]

जा रही है तिब्बत में, हम सशक्त हैं और हम कोई ऐसा कदम छोड़ नहीं रक्खेंगे जिस से देश के ऊपर कभी कोई खतरा आ सके, और जो भूमि उन्होंने अनधिकृत रूप से अपने कब्जे में कर ली है, उसे जल्दी वापस लेंगे। मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान की सरकार की तरफ से इस तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। इसलिये और अफसोस होता है कि हिन्दुस्तान के रक्षा मंत्री एक या पौन घंटे तक भाषण देते हैं, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में दे रहे हों, या यूनाइटेड नेशन्स असेम्बली में दे रहे हों, न कि हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में, कि यह एक टेकनिकल चीज है पर वास्तविकता से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमें याद रखना चाहिये . . . . .

श्री अन्सार हरवानी (फतेहपुर) : आप भी पढ़े लिखे हैं।

श्री ब्रजराज सिंह : मैं जानता हूं कि श्री अन्सार हरवानी क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जो बात वे कहना चाहते हैं वह अगर डिफेन्स मिनिस्टर साहब से ही कह लें तो अच्छा होगा। मैं पढ़ा लिखा हूं, आप पढ़े लिखे हैं, इस का सवाल नहीं है। हम देश की रक्षा करने के लिये यहां बैठे हैं, हम देश का राज काज चलाने के लिये यहां बैठे हैं, हमें सिर्फ यह नहीं देखना है कि यहां कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं। हम टेकनिकल मामलों पर कोई बहस नहीं कर रहे हैं, वह टेकनिकल एक्स्पर्ट ही कर सकते हैं। हमें नीतियों को निर्धारित करना है। मुझे अफसोस है कि हमारे देश के रक्षा मंत्री शायद उस पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, जितना कि उन को देना चाहिये, और मैं आशा करूंगा कि देश की सरकार पर और अधिक ध्यान देगी।

अब मैं फिर यूनाइटेड नेशन्स असेम्बली की तरफ आता हूं। उसका यह बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन चल रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हालांकि उसके इस अधिवेशन से पहले पार्लियामेंट का पिछला अधिवेशन चल रहा था और हमने प्रधान मंत्री से यह जानने की कोशिश की एक सवाल द्वारा, किन्तु दुर्भाग्यवश उसका जवाब नहीं दिया गया कि क्या वे यूनाइटेड नेशन्स असेम्बली में जाना चाहते हैं। उस समय तो कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पार्लियामेंट का अधिवेशन खत्म होने के बाद उन्होंने एलान किया कि वे जाना चाहते हैं। लेकिन आखिर बात क्या थी? वे देख रहे थे कि दुनिया के देशों के और अधिपतियों की तरफ, डा० कैस्ट्रो की तरफ, मैकमिलन साहब की तरफ, कि वे जाना चाहते हैं या नहीं, फलाने साहब जाना चाहते हैं या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें पिछलग्गू नीति को छोड़ देना चाहिये। मैकमिलन साहब क्या करेंगे, हमारे देश के प्रधान मंत्री को उसकी कोई नकल नहीं करनी चाहिये। चूंकि वहां पर मैकमिलन साहब आ गये, दूसरे ल ग आ गये, इसलिये इस देश के प्रधान मंत्री भी गये। बड़ी खुशी की बात है हमारे प्रधान मंत्री का वहां जाना, जिस तरह से कि श्री ख्रुश्चेव ने वहां कहा था, और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री भी शायद सहमत हों, मैं भी सहमत हूं, कि इस तरह की दुनिया की असेम्बलियों का इजलास हर साल हो, और हर साल उसमें दुनिया के अधिनायक, प्रधान मंत्री या राष्ट्रपति, जो भी हेड हों, वह उनमें जरूर जायें क्योंकि इससे दुनियां में टेंशन अथवा तनाव कम हो सकता है और दुनिया की समस्याओं को हल करने में हम उनसे सहायता ले सकेंगे। लेकिन हमें अफसोस है कि हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से, हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि को देखते हुये, हिन्दुस्तान के इतिहास और उसकी परम्पराओं को देखते हुए, जो आशा की जाती थी, वह पूरी नहीं हुई। दुर्भाग्य से हमने इनिशिएटिव क्रुश्चेव और कैस्ट्रो के हाथ में दे दिया, उस इनिशिएटिव की वजह से शायद अफ्रीकी राष्ट्र और दुनिया के दूसरे पददलित राष्ट्र, जिनके सामने सब से बड़ी समस्या भूख की है, घर बार की है, दवाओं की है, कपड़े की है, वे यह समझने लगे हैं कि कम्यूनिस्ट राष्ट्र उनके सेवियर अथवा रक्षक हो कर आयेंगे।

इस तरह की भावना दुनिया में पैदा होने देना ठीक नहीं है। हम कम्यूनिज्म के असली माने को भूल जाते हैं क्योंकि कम्यूनिज्म से इस तरह की आशा कभी हो ही नहीं सकती। अगर हम चाहते हैं कि निशा में कम्यूनिज्म का फैलाव न हो तो जो काम हमें करना चाहिये था उसकी लीड हमें क्रुश्चेव और कैस्ट्रो के हाथों में नहीं दे देनी चाहिये थी। मुझे दुःख है कि हमारे प्रधान मंत्री ने वहां पर लीड नहीं ली जो कि वे ले सकते थे। उन्होंने इस पर जोर दिया है कि अल्जीरिया के प्रश्न को उठा कर हम जो बात कहते हैं उससे कौन नाराज होता है। आज वक्त आ गया है कि देश की सरकार को यह सोचना चाहिये कि अल्जीरिया में छः सालों से लड़ाई हो रही है, लाखों राष्ट्रवादी वहां मारे जा चुके हैं। लेकिन चूंकि फ्रांस नाराज होता है इसलिये हम फरहत अब्बास की सरकार को मान्यता न दें, रिकग्निशन न दें, यह हिन्दुस्तान की परम्पराओं के विरुद्ध जाता है। मैं देश की सरकार से कहूंगा कि अब वक्त आ गया है जब अल्जीरिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुये फरहत अब्बास की सरकार को हमें मान्यता देनी चाहिये। इसी तरह से अफ्रीका के दूसरे राष्ट्रों में, जहां उपनिवेशवाद कायम है, उसे खत्म होना चाहिये और हिन्दुस्तान के प्रतिनिधिमण्डल को यूनाइटेड नेशन्स असेंबली में इसके लिये सब से पहले लीड लेनी चाहिये थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर वह तो थियोरेटिकल बातों में जाना चाहते हैं, और आज संभवतः इसी लिये कहा जाता है कि चीन और हिन्दुस्तान की सीमा पर जो विवाद है वह थियोरेटिकल कंट्रोवर्सी है। यह हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री या रक्षा मंत्री कहें यह सुन्दर बात नहीं। यह हिन्दुस्तान के लिये दुर्भाग्य की बात है। जब हिन्दुस्तान की जनता यह कहती है कि हमारे हजारों वर्गमील क्षेत्र पर विदेशी ने कब्जा कर रखा है, तब इस तरह की बात कहना कहां तक ठीक है। आप विदेशी को न हटा पायें या किसी नीति के कारण न हटाना चाहें, यह अलग बात है, लेकिन यह कहना कि यह एक कंट्रोवर्सी है, यह उचित बात नहीं है। यह हिन्दुस्तान के सम्मान को धक्का पहुंचाना है, हिन्दुस्तान की जनता की भावनाओं का निरादर करना है। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की सरकार, हिन्दुस्तान का प्रतिनिधिमंडल देश में या विदेश में कभी भी इस तरह की बात आगे नहीं कहेगा।

डिसआर्मामेंट पर जोर दिया जाता है। हम चाहते हैं कि निःशस्त्रीकरण हो। लेकिन हमको सोचना चाहिये कि इससे किसकी हानि और नुक्सान होने वाला है। हमारे पास तो कुछ है नहीं। हमें तो सैकिंड हैंड राइफिलें और रिजेक्टेड हथियार खरीदने के लिए दूसरे देशों के सामने जाना पड़ता है। लेकिन हम निःशस्त्रीकरण पर बहुत जोर दे रहे हैं। हमारी तो परम्परा और पृष्ठभूमि ही इस तरह की है कि हम निःशस्त्रीकरण चाहते हैं। लेकिन इस तरह निःशस्त्रीकरण की समस्या पर जोर देकर हम दुनिया की जो मुख्य समस्यायें हैं उनसे दुनिया का ध्यान हटाते हैं, और यही गेम है जो रूस और अमरीका खेलना चाहते हैं। वे दुनिया की मुख्य समस्याओं को हल नहीं करना चाहते। श्री ख्रुश्चेव ने जनरल असेम्बली में कहा कि अफ्रीका पूरी तरह आजाद होना चाहिये। यह खुशी की बात है लेकिन ऐसा करके हमारे हाथ से इस मामले में उन्होंने लीड ले ली और हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री इस बात को न कह सके। यह बड़े दुःख की बात है। हम यह मानते हैं कि निःशस्त्रीकरण एक जरूरी समस्या है, लेकिन आप देखें कि आज दुनिया की ९० करोड़ जनता ही ऐसी है जिसके पास कुछ है, दुनियां की दो तिहाई जनता ऐसी है जिसके पास कुछ नहीं है। उसके पास खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है। ऐसी जनता के लिये जिन चीजों की सब से पहले जरूरत है उनकी पूर्ति न कर के जब हम दूसरे झगड़ों में फंस जाते हैं तो दुनिया की मुख्य समस्या हल नहीं हो सकती।

हम निःशस्त्रीकरण की बात करते हैं, लेकिन अगर दुनिया में उपनिवेशवाद बना रहा तो निःशस्त्रीकरण की बात करने के मानी यह होंगे कि अल्जीरिया में राष्ट्रवादी जो संघर्ष कर रहे हैं

[श्री अजराज सिंह]

हम उसका समर्थन नहीं करते, या कीनिया में, टेंगेनिका में, अंगोला में, मुजम्बिक में या दूसरे उपनिवेशों में जो हो रहा है उसका हम समर्थन नहीं करते। जब तक दुनिया से उपनिवेशवाद का खातमा नहीं होता तब तक निःशस्त्रीकरण की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे जरूरी चीज है दुनिया से उपनिवेशवाद का खातमा करना। हिन्दुस्तान की सरकार और हिन्दुस्तान के प्रतिनिधिमंडल को संयुक्त राष्ट्र संघ में सब से अधिक जोर इस बात पर देना चाहिये कि दुनिया से उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए। उसके बाद निःशस्त्रीकरण की बात आती है।

निःशस्त्रीकरण की बात बहुत कही जाती है। अभी रक्षा मंत्री ने पौन घंटे निःशस्त्रीकरण पर बहुत सुन्दर भाषण दे दिया। कौन नहीं चाहता कि निःशस्त्रीकरण हो। लेकिन हमारे कहने मात्र से क्या हो सकता है। जब तक हम अपने को शक्तिशाली नहीं बनाते तब तक हमारी बात को कौन सुनने वाला है। वह हमारी बात को सुन कर सोचेंगे और जब उनकी मर्जी होगी और जो चीज उनके हित में होगी उसको वह मान लेंगे। और हम खुश हो जायेंगे कि हमारी बात मान ली गई और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। लेकिन इस तरह की शक्तिहीन प्रतिष्ठा से काम चलने वाला नहीं है। हमें पहले शक्ति अर्जित करनी होगी और तभी हमारी बात को आदर से सुना जा सकता है। मुझे दुःख है कि यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली में जो कुछ कहा गया उससे हमारी प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं हुई।

यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली के सामने जो मुख्य समस्यायें हैं, उनके बारे में मैं आपकी अनुमति से कुछ कहना चाहता हूं। उसके सामने यह समस्या है कि उसका पुनर्गठन होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि उसका पुनर्गठन हो। यह बात इतना महत्व नहीं रखती कि तीन सेक्रेटरी जनरल हों, या एक सेक्रेटरी जनरल हो और दो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हों और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हो। लेकिन असल सवाल तो यह है कि आज यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेम्बली दुनिया की जनता का प्रतिनिधित्व करे। उसमें दुनिया की समस्याएं प्रतिबिम्बित हों, दुनिया की जनता सोच सके कि हम अपनी समस्याओं को यूनाइटेड नेशन्स के द्वारा हल करा सकते हैं। आज यूनाइटेड नेशन्स को ऐसा नहीं समझा जाता। आज वह पावर ब्लाक्स के चक्कर में फंसी हुई है। हंगरी का सवाल आता है तो रूस यह मान लेता है कि हम यूनाइटेड नेशन्स को तोड़ देंगे। तिब्बत के सवाल पर भी इस तरह सोचा जा सकता है। इसी तरह से जब कांगो का सवाल आता है तो दूसरा ब्लाक उठ सकता है उसको तोड़ने के लिए। आज जो दोनों पावर ब्लाक्स हैं वे यह कोशिश करते रहते हैं कि यूनाइटेड नेशन्स मजबूत न होने पाए और उनके हित में काम करता रहे। मैं कहता हूं कि जब तक यूनाइटेड नेशन्स आरगेनाइजेशन का पुनर्गठन नहीं होता और वह इस तरह से पावर ब्लाक्स में फंसा रहता है, तब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। वह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब कि वह सही मानों में दुनिया की जनता का प्रतिनिधित्व करे। और जब दुनिया की जनता के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो हिन्दुस्तान की सरकार कहती है कि हम कोई थर्ड फोर्स नहीं चाहते। थर्ड फोर्स कोई लड़ाई करने के लिये नहीं होगी। वह किसी पर हमला करने के लिये नहीं होगी। वह तो दुनिया में शान्ति कायम रखने के लिये होगी। और ये जो पावर ब्लाक हैं उनकी ताकत को कम करने के लिये लड़ेगी। इस तरह की थर्ड फोर्स एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों द्वारा बहुत आसानी से बनायी जा सकती है। उसका मुख्य उद्देश्य यह होगा कि दुनिया में लड़ाई न होने दे और शान्ति की बात करे, और जो पावर ब्लाक लड़ाई की बात करेगा उसका वह फोर्स समर्थन नहीं करेगी। मैं चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार अपनी वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करे और थर्ड फोर्स की बात को मान कर एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को मिला कर थर्ड फोर्स कायम करने की कोशिश करें।

और जहां तक संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन का सवाल है, उसकी बड़ी आवश्यकता है। तभी वह सही मानों में दुनिया का प्रतिनिधित्व कर सकेगा और विश्व सरकार की ओर बढ़ सकेगा। जब तक दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं बनती जो कि विभिन्न राष्ट्रों की रक्षा की गारंटी कर सके, तब तक दुनिया में चाहे जितना निःशस्त्रीकरण हो, शान्ति कायम नहीं हो सकती। जब तक दुनिया में ऐसी विश्व सरकार नहीं बनती जो कि विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक सहायता और टेक्निकल सहायता अपने जरिए देने का प्रबन्ध करती है तब तक दुनिया में शान्ति कायम नहीं हो सकेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि विश्व असेम्बली इस तरह की बने कि जिसमें दुनिया के राष्ट्रों को आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व मिले और जिन देशों की कम आबादी है उनको वेटेज मिले। अगर हम इस तरह की यूनाइटेड नेशन्स असेम्बली बना सकते हैं तो दुनिया से हमेशा के लिए लड़ाई का खात्मा हो सकता है, निःशस्त्रीकरण सफल हो सकता है और दुनिया में हमेशा शान्ति बनी रह सकती है। साथ ही साथ जो दुनिया के अनडेवेलप्ड और अंडर डेवेलप्ड राष्ट्र हैं उनके लिए इकानामिक एड का चैनलिंग इसी संस्था के द्वारा हो तभी दुनिया का पूरा विकास हो सकेगा।

†श्री बासप्पा (तिपतुर) : मैंने श्री राम सुभग सिंह का भाषण बड़े ध्यान से सुना है। मैं उनसे सहमत हूं कि हमें देश की प्रतिरक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिये और उसे उचित स्वरूप देना चाहिये। यह तो ठीक है परन्तु प्रधान मन्त्री और प्रतिरक्षा मंत्री की नीयत पर सन्देह करने वाली बात मुझे अच्छी नहीं लगी। आचार्य कृपालानी तथा प्रजा समाजवादी दल के एक और वक्ता ने भी इसी प्रकार के भाव व्यक्त किये हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में जब कि हम एक खतरे का मुकाबला कर रहे हैं यह कहना कि संयुक्त राष्ट्र में प्रतिरक्षा मंत्री की गतिविधियां ठीक नहीं हैं, उचित बात दिखाई नहीं देती।

मेरे राज्य से स्वतन्त्र दल के सदस्य श्री मोहम्मद इमाम ने भी प्रधान मन्त्री की तटस्थ नीति की आलोचना की है, हालांकि प्रधान मन्त्री ने इस बारे में अपेक्षित स्पष्टीकरण कर दिया है। उनका विचार शायद यह मालूम होता है कि हमारे प्रधान मन्त्री को अमरीका अथवा पश्चिमी राष्ट्रों का साथ देना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने हमारी विदेश नीति को अभी तक ठीक से समझा ही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की गतिविधियों के सम्बन्ध में भी श्री मोहम्मद इमाम ने कहा है वह युक्तियुक्त नहीं है। जब हम यह कहते कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन किया जाये तो इसका अर्थ केवल इतना ही है कि नये वातावरण में इसका और अधिक महत्व बढ़ सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में जाकर भी हमारे प्रधान मंत्री ने उचित पग ही उठाया है। क्योंकि यह जरूरी था कि उस विश्व संगठन में हम अधिक से अधिक लाभदायक ढंग से भाग लें। हम भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करें लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है उसके कारण उसके महत्व से इन्कार नहीं कर सकते।

छोटे छोटे राष्ट्रों का मिलना और शक्तिशाली राष्ट्रों के सामने अपनी बात रखना भी एक महत्व पूर्ण सफलता है। कभी छोटे राष्ट्र भी बड़े बन सकते हैं कुछ मित्रों का कहना है कि इस तटस्थ नीति से हमें कुछ लाभ नहीं हुआ। पता नहीं लाभ से उनका क्या तात्पर्य है। अपने अल्प साधनों के बावजूद जो भी सफलता हमें प्राप्त हुई है यह कुछ कम नहीं है। आज संसार भर की सरकारों के मुखिया हमारे देश में आ रहे हैं, इस से पता चलता है कि अन्य देशों में हमारा प्रभ व बढ़ रहा है। हमारी नीति का गलत अर्थ लगाया जाता है प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि हमारी नीति कोई कमज़ोर नीति नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि यह नीति कमजोरी नहीं बल्कि एक उच्च आदर्श को व्यक्त करती

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासप्पा]

है । निस्शस्त्री करण हमारी नीति और सिद्धान्तों का एक अंग है । यह कहना भी नितान्त असत्य है कि हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हमारे प्रधान मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्री चीन के आक्रमण के बारे में आत्मतुष्ट हैं । यह बात भी यथार्थता से मेल नहीं खाती और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ । वे इसके प्रति जागरूक है और उचित ढंग से उसे हल करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं । हमें अपनी रक्षा के लिये साधन बनाने होंगे सीमा की रक्षा करनी होगी ताकि चीनी आक्रमण न कर सकें । हमने संसार की समस्याओं को हल करने के लिये एक सिद्धान्त विश्व के समक्ष रखा है । हम स्वयं ही उस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जा सकते । यह ठीक है कि चीन ने अतिक्रमण करके बुरा किया है और इसका उचित ढंग से मुकाबला करने के लिये हमें प्रतिरक्षा मंत्री का पूरा समर्थन करना चाहिये । लेकिन इतना आवश्य सत्य है कि हम अपनी मूल नीति से अलग नहीं जा सकते ।

†श्री अन्सार हरवानी : भारत में हुए दो आम चुनावों में देश के मतदाता भारत की विदेश नीति का हृदय से समर्थन कर चुके हैं । मुझे आशा है कि तीसरे चुनाव में भी जनमत पूरी तरह इस नीति का समर्थन करेगी । इसके लिये हमारे राष्ट्र के महान् सपूत श्री जवाहरलाल नेहरू बधाई के पात्र हैं । श्री जवाहरलाल नेहरू और हमारे प्रतिरक्षा मन्त्री श्रीकृष्ण मेनन ने विश्व के समक्ष इस नीति के आधार पर अपनी समस्याओं को हल करने की बात खुले आम कही है । उनके प्रभाव से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न एशियाई अफ्रीकी देशों को नया विश्वास और भारी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है ।

कांगों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है । हमें याद रखना चाहिये कि हमारे देश में भी ब्रिटिश साम्र ज्यशाही ने देश से चले जाने के बावजूद भी एक भयानक तोड़ फोड़ और साम्प्रदायिक दंगों की स्थिति पैदा कर दी थी । आज हमारे समक्ष काश्मीर की स्थिति भी है । किस प्रकार वहां कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं । इसी प्रकार परिस्थितियों ने बैलजीयम को कांगो से निकल जाने पर मजबूर कर दिया है, परन्तु वह वहां तोड़ फोड़ करने की नीति अपना रहा है । इन हालात में भारत की इस नीति का पूरा समर्थन किया जाना चाहिये कि कांग की निर्वाचित संसद् की बैठक होनी चाहिये । भारत की इस कांग नीति का सर्वत्र समर्थन किया गया है दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय नागरिकों का ही यह दुर्भाग्य है बल्कि समस्त विश्व के निवासियों का यह दुर्भाग्य है कि वहां की सरकार संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को पूर्ण रूप में स्वीकार नह करती । परन्तु यह स्थिति अधिक देर नहीं चल सकती । देश जाग रहे हैं और विश्व में जागृति की लहर फैल रही है समय आयेगा जबकि वहां रहने वाले हमारे बन्धुओं को पूर्ण रूप से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान रचना के बारे में भी कुछ बातें सदन में कही गयी हैं । गत विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ था । इसकी गतिविधियों में अब तक कुछ ही प्रमुख राष्ट्रों का मुख्यतः हाथ रहा है । अब व्यवस्था यह बन रही है कि अधिकांश अफ्रीकी और एशियाई देश मुक्त हो गये हैं और हो रहे हैं । उनमें नया जीवन और जागृति पैदा हो रही है । इस परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठन में परिवर्तन करना जरूरी है ।

अल्जीरिया के लोगों के लिये भी हमारे हृदयों में काफी सहानुभूति है । हम चाहते हैं कि इस समस्या का भी सन्तोषजनक हल शीघ्र ही निकलना चाहिये । यद्यपि कुछ कारणवश हमने वहां की सरकार को मान्यता नहीं दी परन्तु फिर हम दिल से चाहते हैं कि अल्जीरिया के लोग स्वतन्त्र हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी प्रकार काश्मीर की समस्या भी बहुत दिनों से संयुक्त राष्ट्र संघ में लटक रही है। काश्मीर के एक तिहाई भाग पर पाकिस्तान का अनधिकृत कब्जा है। पाकिस्तान के लौह शासन के अधीन पीसी जा रही अधिकृत-काश्मीर की जनता के कष्टों की कल्पना करके हृदय तड़प उठता है। इस सब का अन्त करने के लिये काश्मीर की समस्या का यथाशीघ्र ही कोई हल निकाला जाना चाहिये। काश्मीर का हर भाग भारत का है।

†श्री खांडिलकर (अहमदनगर): आज की भयावह परिस्थिति में हम अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे जैसे तटस्थ राष्ट्र भी संयुक्त राष्ट्र संघ में रहते हुए यह अनुभव कर रहे हैं कि वहां उनका दम घुट रहा है। मैं श्री ख्रुश्चेव की इस बात से सहमत हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व की समस्याओं का सामना करने में समर्थ बनाने के लिये उसके वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करना बड़ा ही आवश्यक है। सुरक्षा परिषद् और संयुक्त राष्ट्र संघ के आकार में यदि परिवर्तन न किया गया तो कांगो जैसी समस्यायें सुलझाना सरल कार्य नहीं रहेगा।

गत महायुद्ध के बाद विजयी शक्तियों ने मिल कर संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी और विश्व कल्याण और विश्व शान्ति के अग्रदूत बनने का प्रयत्न किया। उन्हें क्या पता था कि आने वाले १५ वर्षों में संसार में ऐसी शक्तियों का प्रादुर्भाव होगा, स्वतन्त्रता की ऐसी लहरें चलेंगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र निरर्थक होकर रह जायेगा। आज जबकि हर जगह उपनिवेशवाद लड़खड़ाने लगा है और देश स्वतन्त्रता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना कार्य बड़े उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से करना है। भारत को भी इस विकट परिस्थिति में बड़े साहस और निष्ठा से अपने कर्तव्य का पालन करना है। उसे विश्व में आगे बढ़ रही आजादी की शक्तियों की सहायता के लिये और सक्रिय होना है। गोआ को स्वतन्त्र कराने के लिये भी अपेक्षित उपाय करने में पीछे नहीं रहना है। कई बार अवसर चूक जाने पर पुनः वह हाथ नहीं आता। इसलिये गोआ के स्वतन्त्र कराने के लिये हमें भरसक प्रयत्न करना चाहिये और एक निश्चित रुख अपनाकर काम शुरू कर देना चाहिये।

एक समय था जब चीन हमारा मित्र था, आज उसने हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करने का साहस किया है। मेरा निवेदन है कि हमारी सीमा में चीनियों के अनधिकृत प्रवेश की घटनाओं को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये। चीन को यह स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जाना चाहिये कि उसने आक्रमण किया है। जब तक उस आक्रमण-ग्रस्त क्षेत्र को खाली नहीं किया जाता तब तक आत्म सम्मान रखने वाला कोई भी देश ऐतिहासिक प्रमाणों के बावजूद, चाहे वे कैसे भी क्यों न हों, सीमांकन करने के लिये राजी नहीं हो सकता। चीन तो आज स्पष्ट कहने का साहस कर रहा है कि युद्ध के बिना साम्राज्यवाद समाप्त नहीं हो सकता।

आज की अवस्था में हम सहअस्तित्व और विश्व शान्ति के चाहवान हैं, परन्तु हमारे ही देश में ऐसे मित्र हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं में बात करते हैं। उनके दृष्टिकोण में परस्पर विरोध स्पष्ट दिखाई देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सीमा समस्या के मामले में देश उनकी इस बहुमुखी नीति से प्रभावित नहीं हुआ। इस दिशा में हमारी सरकार की कूटनीतिक विचारधारा भी काफी कमजोर रही है। इस बात को मानते हुए भी कि चीन ने हमारी भूमि पर आक्रमण किया है परन्तु फिर भी वह कहे चले जा रहे हैं कि यह मामूली बातें हैं। अभी हाल बर्मा के प्रधान मन्त्री हमारे देश पधारे थे। आपने भारत में और भारत के बाहर जाकर भी कहा कि श्री चाऊ-एन लाई ईमानदारी से झगड़े का फैसला करना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम इस मामल में बेईमान हैं। स्पष्ट है कि हमें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खांडिलकर]

धीरे धीरे बदनाम करके हालात इस प्रकार बनाये जा रहे हैं कि अन्त में हम चीन की हर बात मानने पर मजबूर हो जाय ।

रूस और चीन का संघर्ष भी संसार की राजनीति पर बड़ा भारी प्रभाव डालने वाला होगा । यदि चीन को यह अवसर मिल गया कि वह अपनी नीति को पूरी तरह कार्यान्वित करे तो तटस्थ राष्ट्रों का कोई भविष्य नहीं । परन्तु तटस्थ राष्ट्र यह चाहते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाय तो उन्हें कदम मिला कर चलना होगा और एशिया और अफ्रीका में चल रही आजादी की लहर का समर्थन करना होगा । और अफ्रीका वालों को बताना होगा कि हम हर तरह से उनके साथ हैं । तब ही उनकी आवाज संयुक्त राष्ट्र संघ में क्रियात्मक रूप में सुनी जायेगी और उसका स्थायी प्रभाव होगा ।

†श्री आचार (मंगलौर) : संयुक्त राष्ट्र संघ के १४ वर्षों के इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब कि इसके अधिवेशन में राष्ट्रों के मुखियाओं ने स्वयं भाग लिया । यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है । संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व संगठन को सब ने समुचित मान्यता दी । लीग आफ नेशन्ज़ को भी इतनी मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी और न उसका इतना प्रभाव ही था । यह गौरव की बात है कि दो महान गुटों के बीच मेल कराने का प्रयास कर संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति का वातावरण तैयार करने के लिए पांच ऐसे राष्ट्रों ने, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, यथाशक्ति अपना पूरा प्रयास किया ।

इस दिशा में हमारे प्रधान मंत्री का अंशदान बहुत ही अधिक है । उन्होंने इन दो गुटों को एक दूसरे के निकट लाने में पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया । हम सब इस पर गौरव कर सकते हैं । इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोआ को पुर्तगालों की गुलामी से निकालने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न किया जाना चाहिए । हम सब चाहते हैं कि भारत का यह अंग शीघ्र ही भारत के साथ मिलाया जाय । साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरा यह मत कदापि नहीं कि हम अपनी सेना को वहां भेजें जैसा कि कई एक माननीय सदस्यों ने कहा है । मेरा मत तो यह है कि गोआ को अधिक से अधिक राजनीतिक प्रभाव डाल कर मुक्त करवाया जाय । लेकिन मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि यह कार्य वहां सेना भेजकर किया जाये ।

†श्री सूपकार (सम्बलपुर) : संयुक्त राष्ट्र संघ में अपने प्रयास की असफलता से यदि हमें कोई सबक लेना है तो वह यह है कि तटस्थावादी देशों को और भी निकट आकर संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना एक ठोस गुट बना लेना चाहिए । हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि शीतयुद्ध के क्षेत्र को यथा सम्भव सीमित बना दिया जाये । यदि पूरा प्रयत्न करने पर भी हमारा यह लक्ष्य पूरा न हो तो हमें उन राष्ट्रों को संगठित करने का प्रयत्न करना चाहिए जो अभी तक किसी गुट में सम्मिलित नहीं । यदि वह एक साथ आ जाय तो युद्ध के लिए ललकारने वाले देशों के विरुद्ध ठोस जनमत तैयार किया जाना चाहिए । मेरा यह निश्चित मत है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ में ऐसा कोई गुट संगठित होता तो कांगों के मामले में जो जटिलतायें पैदा हो गयी हैं वे न पैदा हुई होतीं । यह दुर्भाग्य की बात है कि इस मामले में भारत ने कुछ नहीं किया है । इस मामले में पं० नेहरू का कहना है कि हमें तटस्थ देशों के प्रयत्नों के मार्ग में रुकावट नहीं बनना चाहिए । हमें इस बात में अटल रहना चाहिए कि किसी गुट में सम्मिलित न होकर तटस्थ राष्ट्रों का गुट बनाया जाय ।]

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पांच देशों के संकल्प से क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता था। शायद वह उस पक्ष को नंगा करना चाहते हों जोकि अन्न में सम्पर्कों को ताजा करने से इन्कार कर देता। यह तो सर्वविदित था कि कुछ मास पूर्व का शिखर सम्मेलन किन कारणों से असफल हो गया था। यह भी सब को पता था कि दोनों गुटों की नीति क्या है। यह भी समझ में आना कठिन है कि क्यों श्री मैंजीज़ के संशोधन को वाहियात और छद्र कह कर पंडित नेहरू द्वारा परे कर दिया गया। यदि उसे पेश करने के तरीके में थोड़ी सी युक्ति से काम लिया जाता तो संकल्प की असफलता को सफलता में बदला जा सकता था। पश्चिमी राष्ट्रों को यह सन्देह हो गया था कि इस संकल्प के पीछे साम्यवादियों का हाथ है। लेकिन हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि तटस्थता की नीति को सफलता मिले।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें चीनी आक्रमण के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। हमारी नीति चाहे कितनी शांति प्रिय क्यों न हो चीनी आक्रमण के प्रति हमें जागरूक नीति अपनानी होगी। चीनी युद्ध और पंचशील दोनों तरह की भाषाओं में बात करते हैं। हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए। आक्रान्त भूमि को खाली कराने के लिए हमें सक्रिय पग उठा कर राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। यदि हमने ऐसा न किया, और चीन की चुनौती को स्वीकार न किया तो हमारी अवस्था पूरे आक्रमण के समय हम बिल्कुल असमर्थ हो जायेंगे।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : हमारे प्रधान मंत्री बहुत अच्छे हैं। देश भक्त भी हैं और ईमानदार भी। परन्तु वह प्रत्येक समय भूलें करते हैं। एक बात हमें बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि चाहे संसार के किसी भी देश की समस्या हो, उसके हमेशा दो पक्ष होंगे। एक पक्ष अमरीका का होगा और एक रूस का। इन दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है और दोनों ही विश्व पर अपना प्रभुत्व जमाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

उपरोक्त दोनों देशों में चल रहा संघर्ष केवल विचारधाराओं का संघर्ष होता तो भी अलग बात थी परन्तु वास्तव में यह जातीय संघर्ष है। इन हालात में हमें भी अपनी विचारधारा में सम्पूर्ण परिवर्तन करना होगा। उदाहरण के लिए, जब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं तो हमें यह समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि यह वास्तव में है क्या। उपनिवेशवाद एक बहुत बुरी चीज़ है। उपनिवेश मानवीय प्रवाह के कारण बनते हैं। मानवीय प्रवाह को अन्य जातीय वर्गों में प्रवाहित होकर नयी जाति उत्पन्न करनी होती है। इस लिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध कुछ कहने के स्थान पर जैसा हम पिछले कुछ दशकों से कहते चले आ रहे हैं, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि जब कुछ जातीय समूह अन्य जाति-समूहों में प्रवाहित हों तो उन्हें आन्तरिक रूप से एक दूसरे में सम्मिलित हो जाना चाहिए। यदि फ्रांसीसी लोग अल्जीरिया में, अरबों में मिश्रित हो सकें, तो बड़ा अच्छा होगा, इससे दोनों को काफी लाभ मिल सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमें इनके बारे में विचारधारा का दूसरा ही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

मेरा मत तो यह है कि समस्त दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा, सम्पूर्ण विचारधारा में परिवर्तन करना होगा। संसार भर में एक विश्व सरकार की स्थापना की जानी चाहिए। सारे संसार की एक सेना और एक ही न्याय अदालत होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था की जाय कि समाज में रोटी और रोजगार के बिना कोई न रहे। अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में अच्छा काम किया, परन्तु मेरी प्रार्थना है कि उन्हें इस बात की ओर भी ध्यान देना

---

†मूल अंग्रेजी में

[राजा महेन्द्र प्रताप]

चाहिए कि पंजाब में क्या हो रहा है । अकाली महात्मा गांधी के ढंग पर चल रहे हैं परन्तु धीरज की भी सीमा होती है । यदि पंजाब में हालात खराब हो गये तो आप वहां स्थिति को सम्भालने में असमर्थ हो जायेंगे ।

†डा० सुशीला नायर (झांसी) : मेरा मत है कि हमारी तटस्थता की नीति का सर्वत्र स्वागत हुआ है, अतः इस संसद् में उस नीति की आलोचना सुन कर मुझे काफी आश्चर्य हुआ है । हमारी नीति का अन्य राष्ट्रों पर धीरे धीरे स्थायी प्रभाव हो रहा है । जो देश किसी गुट में शामिल होने के लिये वचनबद्ध नहीं हैं उन की विचारधारा और नीति ने संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों को काफी प्रभावित किया है । पूर्ण निःशस्त्रीकरण और युद्ध को अवैध घोषित किये जाने के लक्ष्य की स्वीकृति इस दिशा में असाधारण उदाहरण है ।

उपनिवेशवाद और कुछ नहीं, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा शोषित किया जाना है । अतः हम इस के विरोधी हैं । आज तो कोई भी मंच पर खड़ा होकर खुले आम उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं कर सकता । संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों पर प्रभाव डालने वाला दूसरा उदाहरण अफ्रीका की रंगभेद की नीति के विषय में है । यह भी हमारी ही नीति का चमत्कार है । जातीय श्रेष्ठता की नीति का अब एक भी समर्थक दिखाई नहीं देता । परन्तु यह खेद की बात है कि हमारी सरकार अपने पड़ौसी देश तिब्बत के पक्ष में बोलने में नितान्त असफल रही है । विश्व के अन्य स्थानों पर होने वाले अन्यायों से दुःखी होने पर भी हम चीन की यह कह कर हिमायत करते हैं कि गत १०० वर्षों से तिब्बत पर चीन का प्रभुत्व है । क्या प्रभुत्व की पवित्रता इतनी हो सकती है कि यह किसी राष्ट्र को किसी राष्ट्र पर चिरकाल पर्यन्त अपना शासन कायम रखने का अधिकार दे देती है ? क्या हम भी २०० वर्षों से तिब्बत के आधीन नहीं थे ? स्वयं प्रधान मंत्री तक ने इस बात को स्वीकार किया है कि तिब्बत चीन का नहीं है । इस पर भी तिब्बत को नक्शों में चीन का अंग ही दिखाया जाता है । एक बात हमें स्पष्ट समझ लेनी चाहिये कि यदि तिब्बत का अन्त हो गया तो हमारी सीमा से शान्ति और सुरक्षा का सदा के लिये अन्त हो जायेगा । हमें चीन को स्पष्ट शब्दों में बताना चाहिये कि हमारी सीमा के साथ साथ तिब्बत में भी उस ने आक्रमण किया है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि शस्त्र की ताकत से कलम की ताकत अधिक होती है । मुझे विश्वास है कि अन्ततोगत्वा चीन को भी हमारी विचारधारा के आगे नतमस्तक हो, चल रहे विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से निर्णय करना ही होगा । उन की राजनीति को संसार स्वीकार नहीं कर सकता । चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थान मिले इस नीति का समर्थन कर के भारत ठीक ही कर रहा है ।

आज संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति में वृद्धि हो रही है । मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं यदि हम वास्तविक अर्थों में संयुक्त राष्ट्र संघ को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उस के घोषणा पत्र में ऐसे परिवर्तन किये जायें कि निःशस्त्रीकरण के प्रश्न पर सक्रिय रूप में कार्य करने की उस में क्षमता पैदा हो जाय । राजा महेन्द्र प्रताप का विश्व सरकार का स्वप्न भी तब ही पूरा हो सकता है और ऐसा वातावरण बन सकता है कि कोई देश दूसरे देश का शोषण नहीं कर सकेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया है और इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर रोशनी डाली है उन का मैं आभारी हूं। सबसे पहले मैं राजा महेन्द्र प्रताप ने जो कहा उस का ज़िक्र करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ने अपने कुछ निश्चित विचार बना लिये हैं। मैं इस आरोप को स्वीकार करता हूं। मैं खाली मस्तिष्क के बजाये कोई विचार रखना अच्छा समझता हूं। मैं सदा विचारों को ग्रहण करने और उन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का प्रयत्न करता रहता हूं। उस में कहां तक सफल होता हूं यह दूसरे लोग ही निर्णय कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रयत्न अवश्य करता रहता हूं। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने दिमाग को चारों ओर से बन्द कर लेते हैं और विकासशील परिस्थितियों का विचार न कर हर समय पुरानी बातें ही दुहराते रहते हैं। वास्तव में हम एक परिवर्तनशील संसार में रह रहे हैं जिस में प्रत्येक वस्तु प्रतिदिन बदलती रहती है। भौतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। अतः हमें अपने दिमागों को भी खुला रखना चाहिये ताकि हम समयानुकूल बन सकें। मनुष्य के दिमाग में क्या है और वह कैसे काम करता है यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसाकि मैं ने कल कहा था यूनेस्को के संविधान की प्रस्तावना में यह कहा गया है कि 'युद्ध का प्रारम्भ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है।" मैं समझता हूं यह बात काफ़ी ठीक है। तो यह चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम क्या सोचते हैं और हमारे दिमाग़ों में क्या है, वरना हम उस ज़माने की ही बातें करते रहेंगे जो ख़त्म हो चुका है।

मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत ने पिछले बारह वर्षों में विश्व की बड़ी बड़ी समस्याओं पर जिस दृष्टिकोण से विचार किया है वह आदर्शवादी तथा यथार्थवादी दोनों रहा है। दूसरे शब्दों में हमारा उद्देश्य अथवा लक्ष्य तो आदर्श रहा है परन्तु चूंकि आदर्श प्राप्त नहीं किया जा सकता इसलिये हम ने परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन करने का प्रयत्न किया है। इन सब बातों से हम ने राष्ट्र संघ और विश्व की विचारधारा को प्रभावित किया है और यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह प्रभाव कितना भी कम क्यों न हो पर यह सफलता कम नहीं कही जा सकतीं। बड़ी चीजें किसी के कहने से नहीं होती वरन् परिवर्तनशील घटनाओं के परिणामस्वरूप होती हैं और जब इस प्रकार की घटनायें घटित होती हैं तो लोगों को सोचने के लिये अन्ततः विवश होना ही पड़ता है। आधुनिक विश्व में कोई भी व्यक्ति सर्वथा पृथक नहीं रह सकता। यदि संसार के किसी एक भाग में कुछ होता है तो उस से सभी प्रभावित होते हैं। हम ने जो नीति अपनाई है उस के परिणामस्वरूप समस्त विश्व की विचारधारा में परिवर्तन आया है। यह साधारण बात नहीं कही जा सकती है।

हमारी नीति के सम्बन्ध में दो प्रकार की आलोचनायें की गई हैं। एक आलोचना यह है कि यदि दूसरे देशों में कुछ होता है तो हम उस में उलझ जाते हैं। हमारे अपने देश में ही बहुत सी समस्यायें हैं, फिर हम दूसरों के झंझटों में क्यों उलझते हैं? दूसरी आलोचना इस के बिल्कुल विपरीत है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि कीनिया में ऐसा करना चाहिये और अन्यत्र वैसा करना चाहिये। उन्होंने कहा कि हम संसार की चुनौती को स्वीकार नहीं करते हैं। संभवतः श्री खाडिलकर ने वैसा कहा था। इस प्रकार दो परस्पर विरोधी आलोचनायें की गई हैं।

वास्तव में तथ्य यह है कि हम देश के बाहर कुछ भी करें परन्तु महत्व उसी बात का होता है जो हम अपने ही देश में करते हैं। अभी हम विदेश कार्यों की चर्चा कर रहे हैं परन्तु वास्तव में विदेशों में हमारी जो प्रतिष्ठा है वह अपने घरेलू कार्यों के कारण ही है। हम अपने देश में जैसी राजनैतिक तथा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आर्थिक नीति अपना रहे हैं उसी के आधार पर दूसरे देशों का यह विश्वास होता जा रहा है कि भविष्य में भारत का महत्व बढ़ेगा। हम ने देश की समस्याओं को जिस हिम्मत से, धीरे धीरे कर के हल किया है उसी के कारण हमारा महत्व स्थापित हुआ है। यदि देश की आन्तरिक स्थिति का कोई महत्व न होता तो हमारे प्रतिनिधियों के कहने भर से कुछ न होता। अतः हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि भारत का आज संसार में जो भी महत्व है उस का कारण हमारी आन्तरिक स्थिति ही है।

कहा जाता है कि हम विश्वमत को प्रभावित करने वाले निश्शस्त्रीकरण तथा अन्य मामलों में क्यों फंसते हैं? मुझे इस प्रकार की संकीर्ण मनोवृत्ति पर बहुत दुःख होता है। उन्हें यह समझना चाहिये कि निश्शस्त्रीकरण पर ही मनुष्य जाति का अस्तित्व निर्भर है। अतः वह हमारे जीवन का प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि निश्शस्त्रीकरण के सम्बन्ध में गंभीरतापूर्वक विचार किया जाये। हम भारत के लोग शान्ति की बातें काफी करते हैं और शान्ति में विश्वास भी रखते हैं परन्तु हम ने युद्ध की विभीषिकाओं को नहीं देखा है क्योंकि हम युद्ध से बचे रहे हैं। संसार के अधिकांश भाग को युद्ध का अनुभव है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं मिलेगा जिस को युद्ध का अनुभव न हो। इसलिये वे युद्ध की विभीषिकाओं से अधिक निकटतया परिचित हैं। वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध के परिणाम और भी भयंकर हो गये हैं। आज संसार में दो बड़ी शक्तियां हैं तथा उन में से प्रत्येक संसार के रूप को बदलने में समर्थ है। यह कहना सर्वथा गलत है कि निश्शस्त्रीकरण से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि हमारे पास एटम बम अथवा बड़ी सेनायें नहीं हैं। यदि वे युद्ध की ठान भी लें तो हम अपनी समस्त बुद्धि के बावजूद उन्हें रोक नहीं सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने इस बात का संकेत किया कि हमें अपनी ही प्रतिरक्षा की बात सोचनी चाहिये और हमें दूसरी बातों की चिन्ता नहीं करनी चाहिये। निश्शस्त्रीकरण से हमारे अपने प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपायों पर प्रभाव पड़ेगा। यह बात भी असाधारण है और इस से प्रकट होता है कि समस्या के सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार नहीं किया जाता। यदि सारी दुनिया में निश्शस्त्रीकरण होगा तो हम अब की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। निस्सन्देह दुनिया में निश्शस्त्रीकरण तभी हो सकता है जबकि कोई भी बड़ा देश हथियारबन्द न रहे। यदि रूस, अमेरिका, फ्रांस तथा इंगलैंड निश्शस्त्रीकरण के लिये सहमत हों और चीन न हो तो यह निश्शस्त्रीकरण नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकेगा कि कुछ देश निश्शस्त्रीकरण करे और कुछ न करें। जब हम निश्शस्त्रीकरण की बात करते हैं तो इस का अभिप्राय यह है कि यह हर देश पर लागू होगी।

निश्शस्त्रीकरण आज का सब से महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसी कारण मैं ने इस का उल्लेख किया है। सैद्धान्तिक रूप से हम इस का समर्थन करते हैं। हम इस विचार को पसन्द करते हैं किन्तु इस का वास्तविक महत्व जैसाकि हमें समझना चाहिये हम नहीं समझ पाते; वास्तव में हम भारतीयों का जीवन ही इस चीज पर निर्भर करता है। यदि हम या आज की दुनियां एक विशेष समय तक इस काम को न कर सकी तो फिर स्थिति किसी के बस में न रहेगी और यदि अनेक देशों के पास परमाणु बम हो गये तो यह समस्या कदापि न सुलझेगी ——फिर यदि हम कथायें भी लिखेंगे तो उन का पढ़ने वाला भी कोई न होगा।

यदि मेरा यह विश्लेषण सही है तो मैं कहूंगा कि निश्शस्त्रीकरण का प्रश्न, अन्य सभी राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं से अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन का प्रश्न है। इसे क्रियान्वित

करने में बड़े देशों पर प्रभाव पड़ता है परन्तु यदि हम किसी प्रकार से इसे हल करने में सहायक हो सकते हैं तो हमें यह सहायता अवश्य करनी चाहिये । परन्तु इन विषयों के बारे में अभी तक वैसी ही स्थिर विचारधारा है ।

हम अपने सीमान्त की रक्षा की बात करते हैं और कभी कभी काफी वीरता की भाषा का भी, उस का परिणाम सोचे बिना, प्रयोग कर डालते हैं । कभी कभी तो ऐसी बातें ठीक रहती हैं । मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु इस परिवर्तनशील संसार में हमें हर चीज के बारे में सोचना चाहिये और हर एक घटना पर यों ही बौखला कर हमें बिगड़ना नहीं चाहिये ।

जो प्रस्ताव मैं ने रखा था उसका उद्देश्य यह था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ हुआ है या हो रहा है हम उस पर चर्चा करें। इसी कारण पहले पहल मैंने उन सब बातों का उल्लेख किया था । यद्यिप अन्तर्राष्ट्रीय विषय व्यापक होता है तथापि अच्छा यही है कि हम एक या दो विषयों पर ही पूरा ध्यान दें । अन्य देशों की संसदों में भी इसी प्रकार से चर्चा होती है । इस सम्बन्ध में आप स्वयं ही निर्णय कर सकते हैं ; मैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही लेना ठीक समझता हूं । यह मैं इस कारण कह रहा हूं कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस चीज़ का बुरा माना कि मैंने अन्य महत्वपूर्ण बातों का ज़िक्र नहीं किया। चीन का विषय निस्संदेह महत्वपूर्ण है । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । परन्तु इस विषय पर हमें काफी सोच समझकर बोलना होता है ; हम भावकता से काम नहीं ले सकते । यदि कोई नई बात होती तो मैं उसका उल्लेख अवश्य करता । मने मुख्यत: उन बातों की चर्चा की, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आये थे ।

मैं ने सामान्य रूप से निश्शस्त्रीकरण तथा इसके प्रभावों का उल्लेख किया । मेरे विचार में इस प्रश्न के आगे अन्य सभी प्रश्न कम महत्व के हैं । परन्तु इसका यह अभिप्राय भी नहीं कि निश्शस्त्रीकरण के प्रश्न पर ही हम हर समय सोचें और किसी बात को महत्व ही न दें । परन्तु हमें इस का महत्व अवश्य समझ लेना चाहिये ।

मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साथी प्रतिरक्षा मंत्री ने निश्शस्त्रीकरण के बारे में सभा को बताया । हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य व्यौरे में रुचि न रखते हों । किन्तु मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों को इस विषय में दिलचस्पी होगी । अखबारी खबरों से वास्तव में पूरी बातों का ज्ञान नहीं होता ।

मैं ने कांगो पर भी काफी कुछ कहा । किन्तु उसके बाद भी वहां काफी कुछ नयी घटनायें हो चुकी हैं । वहां पर घाना के एक राजदूत की रक्षा के लिय कांगो की तथाकथित सेना तथा संयुक्त राष्ट्र सेना के बीच युद्ध हुआ है । हताहतों की संख्या भी ७, ८ या १०/१२ है । यह बड़ी गंभीर घटना है ।

दूसरा प्रश्न था , संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा कांगो के प्रतिनिधि मंडल को सभा में मान्यता दिये जाने का । उस विषय पर विभिन्न राय रही हैं । यह सुझाव दिया गया था कि इस प्रश्न को तब तक स्थगित कर दिया जाय जब तक सदभवना आयोग न लौट आये । सदभावना आयोग को ठीक ढंग से संयुक्त राष्ट्रीय शिष्टमंडल कहा जाता है । चूंकि अब जनरल असेम्बली ने बहुमत से यह निर्णय कर दिया है कि राष्ट्रपति कासाबूबू द्वारा मनोनीत सदस्य कांगो का प्रतिनिधित्व करने के लिये सभा में स्थान ग्रहण करें, इस कारण कांगो के एशियाई -अफ़्रीकी शिष्टमंडल के दो सदस्य यानी गिनी तथा माली के प्रतिनिधियों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया है । उन्होंने अपना जाना फिलहाल स्थगित कर दिया है, यह मैं नहीं कह सकता कि वे कब तक जायें हो सकता है वे दो तीन

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

दिन में जायें, पर कहा नहीं जा सकता। खैर, पर इससे कांगो की स्थिति और ज्यादा गड़बड़ हो गयी है। कांगो की राजधानी में ही गड़बड़ है। इस तरह की बातों से एक असाधारण स्थिति पैदा हो गयी है कि कांगो में संयुक्त राष्ट्रीय सेना किस प्रकार का आचरण करे और विशेषकर उस हालत में जब कि उसे अपने आदमियों तथा राजदूतों की जान की हिफाजत करनी है। और जब कि कांगो की तथाकथित सेना दंगे फिसाद पर ही उतारू रहती है। मैं तथाकथित सेना इस लिये कह रहा हूं क्योंकि वह कोई प्रशिक्षित सेना नहीं है ; लियो पोल्डविल में उस सेना ने लूटमार मचाई और दंगा किया। यह सब हालात रिपोर्ट में दर्ज हैं। अब वे संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगो पर ही आक्रमण कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वहां क्या होगा और क्या होना चाहिये। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि या तो राष्ट्र संघ वहां काम कर सकता है या नहीं। इस तरह अपने ऊपर हमलों को *सहता हुआ* वहां नहीं रह सकता। इस बात पर विचार करना होगा क्योंकि वहां की संघीय सेना को *यही हिदायतें* हैं कि वह सावधानी से काम करें और किसी पर आक्रमण न करे। इस समय कांगो कि स्थिति भयंकर है। इन बातों का संयुक्त राष्ट्र संघ में भी असर पड़ा है ; आपने देखा कि कुछ अफ्रीकियों ने शिष्टमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। अतः कांगो की स्थिति न केवल अफ्रीका अपितु संयुक्त राष्ट्र संघ के लिये भी महत्वपूर्ण है। यदि संघ को कांगो में असफलता मिली तो कहीं और इसे सफलता मिलना बहुत मुश्किल होगा ।

†श्री त्यागी (देहरादून) : क्या कांगो में हमारी सेना भी है और वे क्या सुरक्षित हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : हमारी सेनायें तो वहां नहीं परन्तु हमारे डाक्टर जरूर हैं कुल मिला कर हमारे ८५० आदमी वहां हैं। वे पूर्णरूप से सुरक्षित हैं। हमें उन के बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिये। ज्यादातर वे संभरण और अस्पताल का ही काम करते हैं। हमारे बहुत से वायु सैनिक और नर्सें वगैरा वहां पर हैं। वे सभी सक्षम व्यक्ति हैं। खतरे की बात तो कांगो का विभाजन है। शुरू से संघ महासभा तथा सुरक्षा परिषद में कांगो की एकता पर काफी जोर दिया है। क्योंकि यदि कांगो का बटवारा हो गया तो यों समझिये कि सदा के लिये झगड़े का बीज बोया गया । इन्हीं बातों की चर्चा में संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष पांच देशों के संकल्प की और जो कुछ मैं ने वहां कहा उसकी बात भी आयी। विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने उस संकल्प में श्री मेंजीज के संशोधन की बात भी कही। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इतने प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों में से केवल पांच या छः ने ही उस के पक्ष में मत दिया। श्री मेंजीज के घनिष्ठ साथियों ने भी इसका पक्ष नहीं लिया। इसलिये या तो उस संशोधन में ही कोई खराबी थी या इसे पेश करने का कोई मौका नहीं था। यह बड़ी अजीब चीज थी कि केवल चार पांच देश ही एक चीज का समर्थन करें। इस का आखिर कोई तो कारण था ।

माननीय सदस्य ने कहा कि मुझे वहां आवेश में नहीं आना चाहिये था। दुर्भाग्य से मेरी यह शोहरत हो गयी है कि मैं आवेश में आ जाता हूं और इस कारण चाहे मैं आवेश में आता हूं या नहीं मुझ पर यह आरोप लगा दिया जाता है क्योंकि मैं यहां जरा बात पर जोर देकर बोलता हूं इस कारण माननीय सदस्य समझते हैं कि मैं आवेश में आ जाता हूं। परन्तु यु-यार्क में संयुक्त राष्ट्र संघ में इतनी शांति से मैं ने भाषण दिया उतनी शांति से शायद कभी भी मैं कहीं नहीं बोला। बाद में मैं ने जो भाषण दिया संकल्प प्रस्तुत करते समय, वह काफी जोर दार था क्योंकि उस वक्त ऐसा करना जरूरी था। श्री मेंजीज का भाषण मुझे उचित नहीं लगा। यह बाधक संशोधन प्रतीत हुआ मुझे ।

†मूल अंग्रेजी में

अब हमें यह देखना है कि पांच देशों का प्रस्ताव था क्या। आज सवेरे प्रतिरक्षा मंत्री ने बताया कि यह बात किसी ने नहीं कही कि श्री आइजनहावर को ख्रुश्चेव से मिलना चाहिये। हम ने केवल यहीं कहा था कि उन्हें फिर से संपर्क स्थापित करने चाहियें। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? संयुक्त राष्ट्र संघ में यह देखना बड़ा असाधारण सा लग रहा था कि न केवल लोग वहां एक दूसरे से बचने का प्रयास कर रहे थे बल्कि सामान्य शिष्ट च र का परिचय भी नहीं दे रहे थे यह हम सभी जानते थे कि अमरीकी निर्वाचनों के कारण कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकता था। परन्तु सारी बात यही थी कि हम लोग यही अनुभव करते थे कि निर्वाचनों के बाद स्थिति इतनी कठोर न हो जाय कि फिर इसे ठीक ही न किया जा सके। होना तो सभी कुछ बाद में था परन्तु उस समय तो उद्देश्य केवल इतना ही था कि चाहे श्री निक्सन जी या श्री केनेडी--स्थिति ऐसी नहीं पैदा कर देनी चाहिये कि वे आगे चल कर कोई काम ही न कर सकें और पहली बातों को ले कर वैसे ही चुप न बैठे रहें। इस लिये यह संकल्प सभा का और जनता का ध्यान इस स्थिति की ओर आकर्षित करने के लिये था। यदि दोनो औपचारिक रूप से भी मिल लेते तो भी अच्छा था। यह तो हमारा उद्देश्य नहीं था कि इस समय श्री ख्रुश्चेव तथा आइजनहावर दुनिया की समस्याओं का हल ढूंढें।

वास्तव में श्री मेंजीज अपने सशोधनों पर इसी विषय में बोले; उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल दो ही देश क्यों ढूंढें चार क्यों नहीं। स्वभावतः उत्तर था कि फिर चार देश ही क्यों सारे क्यों न ढूंडें। मैं ने कहा कि हल ढूंडने में सभी का सहयोग होगा लेकिन क्योंकि ये दो देश इस स्थिति में हैं कि उनके फैसलों का कुछ और हीं असर होगा।

हम चाहते थे कि वे मिलकर स्थिति को फिर से लचीली बना दें ताकि बाद में समस्याओं का हल निकालना आसान हो। वस्तुत: शिखर सम्मेलन में जो घटनायें हुईं थीं उस से अमरीकी नाराज थे और उधर कुछ बातों पर रूसी भी नाराज थे तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता थी ऐसी स्थिति में जब जन सांधारण की भावनायें इतनी दृढ़ हों तो बड़े बड़े नेताओं की भी शक्ति के बाहर मामला हो जाता है।

तो संकल्प का वास्तविक उद्देश्य यही था; इस बात की हमें चिन्ता न थी कि इसे पारित किया जाता है या नहीं। इस संकल्प ने कुछ हद तक अपना काम किया और जनता ने इस बात को समझा। जिन लोगों ने इस संकल्प को सभा में रखा उन्होंने यही सोच कर रखा था कि हम सब दो दिन पहले या दो दिन बाद में यहां से चले जायेंगे, इसलिये वर्तमान कठिन परिस्थिति को नर्म बनाने के लिये कुछ किया जा सकता हो तो किया जाना चाहिये वरना यह बिगड़ती चली जायेगी। इसके बाद हम ने अपने विचारों को संकल्प में प्रस्तुत किया। हम इसे विवादास्पद भी नहीं मानते थे और न ही बहुत से देशों ने इसे ऐसा माना।

सबसे महत्व की बात यह है कि महा-सभा में अधिकांश मत इस संकल्प के पक्ष में पड़े; यह अलग बात है कि इसे दो-तिहाई मत प्राप्त नहीं हुए और तो और अमरीकी पत्रों में भी यह बात निकली कि जिन लोगों ने इस संकल्प का विरोध किया है उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं दिया।

आचार्य कृपलानी ने हमारी समस्याओं को हल करने की नीति को पराजयवादी मनोवृत्ति पर आधारित बताया। शायद यह चीन की समस्या को दृष्टि में रख कर यह बात कह रहे थे।

पहली बात तो यह है कि हमें इस विचार को भी बढ़ावा नहीं देना चाहिये कि हम इस जैसे महत्व-पूर्ण प्रश्न को हिंसा की भाषा और गुस्से से हल कर सकते हैं। आचार्य कृपालानी भी इसी बात से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सहमत होंगे क्योंकि उन्हें स्वयं उस वातावरण का अनुभव है। जहां यह सिखाया जाता था कि कड़ी से कड़ी स्थिति में भी विनम्र भाषा ही प्रयुक्त करनी चाहिये।

भारत और चीन की समस्या सामान्य प्रकार का सीमान्त विवाद नहीं; मैं यहां फिर कहता हूं कि एकाध घुड़सवार के इधर आ जाने या कुछ थोड़े से आदमियों के इधर घुस आने को मैं अधिक महत्व नहीं देता। हमें वास्तविकता का ध्यान रखना चाहिये। क्या उन व्यक्तियों को इधर आने का आदेश पीकिंग से मिलता है? ऐसी छोटी शरारतें स्थानीय लोग या कमान्डर ही करते हैं; परन्तु यह भी बुरी चीज है और हम ने इस पर आपत्ति की है। परन्तु हमें भी ऐसी बातों पर उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): ऐसी एक घटना नहीं अनेक घटनायें होती हैं।

†आचार्य कृपालानी: चीन की व्यवस्था ही असाधारण है। १३,००० फीट की ऊंचाई पर बांस उगें वह असंभव है। अतः प्रश्न नीति का है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: आखिर माननीय सदस्य को भी सरकारी सूत्रों से ही जानकारी मिलती है। हमें सब पता है मान लीजिये चीन सरकार कमजोर बहाने बनाती है तो इस से उनकी विचारधारा या तर्क को श्रेयस्कर नहीं माना जा सकता। कुल मिला कर ऐसी तीन घटनायें हुईं। और चाहे तीन से ज्यादा भी होतीं मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिये।

†आचार्य कृपालानी: किन्तु श्वेत पत्र में उसे खतरनाक बताया गया है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: मुझे इसका पता है। वह भी मेरे सामने से ही बना है।

†आचार्य कृपालानी: तब आप इसे ठीक कर देते।

†श्री जवाहरलाल नेहरू: यह अलग बात है। वास्तव में माननीय सदस्य दो बातों में फर्क नहीं कर रहे। सीमा पर एक गलत बात होती है; हम विरोध प्रदर्शित करते हैं और यह ठीक भी है किन्तु उसे अनावश्यक रूप से महत्व देना गलत है। यह चीज मैं मानता हूं बहुत बुरी है और हम सामान्य कार्यवाही करते हैं।

†श्री हेम बरूआ (गोहाटी): क्या उनके विमानों का आना और सीमा का उल्लंघन करना भी छोटी बात है?

†श्री जवाहरलाल नहरू: मैं पहले बता चुका हूं कि यह बुरी चीज है; हमने विरोध भी किया है; वस्तुतः विमानों की घटनायें चीनी सीमा के पास हुईं थीं लेकिन हमें पक्का पता नहीं कि सारे विमान चीन ही के थे। हम निश्चयपूर्वक यह बात नहीं कह सकते। हम मानते हैं कि यह बुरी चीज है।

†श्री हेम बरूआ: आप इसे यों ही छोटी चीज नहीं कह सकते। जहाज ७½ मील भीतर तक आये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हां, यह मामला गम्भीर है। विमानों का हमारे देश में उड़ान करना गम्भीर मामला है परन्तु हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि कुल विमान ५२ थे; क्योंकि एक ही विमान कई बार दीख जाता है। चीनी सीमा वहां से निकट है इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई सबूत नहीं है कि ये सब चीन के ही विमान थे। यही कठिनाई है। अब हमें न केवल उन्हें गोला मार कर गिराने की ही छुट्टी है परन्तु हमारा इरादा ऐसे विमानों को, जहां हो सकेगा, गोली मार कर गिरा देने का है।

लेकिन भारत और चीन के बीच का जो असल सवाल है, वह इन सब बातों से, इन सभी मसलों से कहीं ज्यादा गम्भीर है। वह एक ऐसा बुनियादी सवाल है जिसका भारत की सुरक्षा और भारत के भविष्य से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग छोटी-मोटी बातों को ज्यादा अहमियत देने लगते हैं और भारत-चीन के बीच के असल सवाल को, उसकी इतनी बड़ी अहमियत और उसकी गम्भीरता को भूल जाते हैं। जाहिर है कि हमें उस बुनियादी सवाल की ही सब से ज्यादा फिक्र है।

कुछ माननीय सदस्य इस सब से असंतुष्ट हैं। वे पूछते हैं कि हमने ऐसा या वैसा क्यों किया। मैं दो-तीन साल पहले की बातों पर नहीं जाता। हम इस मसले के बारे में कई बार बहस कर चुके हैं। लेकिन सभा से मेरी इतनी अर्ज जरूर है कि वह सोचे कि ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिये। माननीय सदस्य इस पर सोचें और हमें बतायें। इसलिये कि हम जितना सब कर सकते थे, हमें जो भी मुमकिन दिखा, हमने किया है और कर रहे हैं। और, हमने जो भी किया, उससे मुझे पूर्ण संतोष है।

†**आचार्य कृपालानी** : लेकिन देश संतुष्ट नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे मालूम है। माननीय सदस्य ने उसके बारे में सोच-विचार नहीं किया, इसीलिये।

†**आचार्य कृपालानी** : शायद देश की जनता ने भी सोच-विचार नहीं किया। इसीलिये कि देश की जनता का दिमाग उसकी वजह से परेशान है, कांग्रेसियों का दिमाग भी परेशान है। मैं ऐसा सिर्फ इसी लिये नहीं कह रहा हूं कि मैं विरोधी दल में हूं . . .

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिये कि माननीय सदस्य देश को गुमराह करते हैं।

†**आचार्य कृपालानी** : मैं गुमराह नहीं करता। मैं तो बोलता ही कम हूं। लेकिन प्रधान मंत्री शायद जनता में विश्वास पैदा नहीं कर पाते।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य कम चाहे बोलें, पर उनके शब्दों को जनता अहमियत देती है।

यह बहुत ही गम्भीर और अहम मामला है। हर देश के लिये ऐसे ही मसलों की अहमियत सब से ज्यादा होती है। यह हमें खूब समझ लेना चाहिये। डा० राम सुभग सिंह ने व्यापार आयुक्त के कार्यों और श्रीमती कपूर के बारे में कुछ कहा। मैं मानता हूं कि ऐसी चीजें बड़ी उलझन पैदा कर देती हैं दिमाग में, उन पर गुस्सा आता है, लेकिन असल मामला इन सब से कहीं ज्यादा गम्भीर है। समझ नहीं पाया कि डा० राम सुभग क्या चाहते हैं कि हम क्या करें अपने व्यापार आयोग वगैरह के बारे में।

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० राम सुभग सिंह : मैं ने तो सुझाव दिया था कि अगर उनको काम करने ही नहीं दिया जाता, तो उनको बन्द कर दिया जाना चाहिये ।

†श्री ब्रज राज सिंह : भारत में उसी स्थिति वाले चीनियों के विरुद्ध भी ठीक उसी तरह की कार्यवाही की जा सकती है ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पता नहीं कि भारत में उसी स्थिति के चीनी लोग कौन हैं और वे किस ढंग से काम करते हैं । लेकिन इतना मैं आपको साफ बता दूं कि हम इस तरह की नीति में विश्वास नहीं करते, हम बदले की भावना से कुछ गैर-कसूरवार लोगों को सजा देने में यकीन नहीं करते । न तो यह हमारी नीति है और न हमारी नैतिकता ।

मैं फिर दोहराता हूं कि यह मसला उससे कहीं ज्यादा अहम है, जितना कि आचार्य कृपालानी या श्री ब्रज राज सिंह इसे समझते हैं । यह एक ऐसी चीज़ है जिसका सामना करने के लिये हमें अपनी सारी ताकत, अपने सारे इरादों को एक जूट करना पड़ेगा । चूंकि तिब्बत में किसी चीनी ने हमारे एक किसी आदमी के साथ बदसलकी की है, इसलिये यहां हम किसी चीनी के साथ बदसलूकी करने लगें—इस तरह से तो इस गम्भीर मसले का हल नहीं किया जा सकता ।

†आचार्य कृपालानी : प्रधान मंत्री स्वयं कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका फायदा देश के भीतरी और बाहरी शत्रु उठाते हैं ।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं चाहता कि मेरे भाषण के बीच में इस तरह अन्तर्बाधायें की जायें । माननीय सदस्य कुछ धैर्य रखें । मुश्किल तो यह है कि माननीय सदस्य को इस विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं । मझे जानकारी है, इसीलिये मैं यकीन के साथ कह रहा हूं । मैं पूछता हूं कि ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार को करना क्या चाहिये । माननीय सदस्य सीधे-सीधे इसका जवाब दें । इसके जवाब के लिये वह मुझ से मिल सकते हैं, या मुझे लिख सकते हैं । गुस्से और खीझ भरे फिकरों को छोड़ दीजिये, और बताइये कि भारत सरकार को ठीक-ठीक क्या कार्यवाही करने के लिये आप कहते हैं । मेरा मतलब है बड़े मसले के, बुनियादी मसले के बारे में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये । मैं छोटे-मोटे झमेलों की बात नहीं कर रहा हूं । बताइये कि देश की मुकाबला करने की ताकत बढ़ाने के लिये हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिये । जो भी कदम उठाये जा सकते हैं, उठाये जाने चाहिय । हमें पूरी तौर से मुकाबला करने के लिये अपने मोर्चे मजबूत करने चाहियें । वहां तक सड़कों और डाक-तार वगैरह की पूरी व्यवस्था करनी चाहिये । लेकिन इन चीजों में वक्त लगता है । यह एक काफी बड़ा और मुश्किल काम है । हमारी सीमा का इलाका काफी लम्बा-चौड़ा है; इसलिये उस पूरे इलाके में इस तरह की सहूलियतें जुटाना आसान नहीं है । काम बड़ा भी है और काफी खर्चे का भी । फिर भी हम उसे बड़ी तेजी से कर रहे हैं । एक मोटे तौर पर अगर कहा जाये तो हम उसे एक-तिहाई वक्त में पूरा कर रहे हैं । हमने जब पी० डब्ल्यू० डी० से उस काम के बारे में कहा, तब उसने पूरे काम के लिये जितना वक्त बताया था, उसके एक-तिहाई वक्त में हमने उसे पूरा करने का फैसला किया था, और हमारा काम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा है ।

मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि इन छोटे-छोटे मामलों के बारे में बहस करना मुझे अच्छा नहीं लगता । मैं इन मामलों को छोटा-मोटा इसीलिये कहता हूं कि भारत और चीन के बीच जो बुनियादी मसला है, वह बहुत बड़ा, गहरा और अहम है । उसे देखते हुए, ये मामले छोटे-मोटे ही

---

†मूल अंग्रेजी में

लगते हैं। आज के हालात और आगे की मुमकिनात को देखते हुए, हमारा बुनियादी मसला इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा है। हम उसे तब तक हल नहीं कर सकते, जब तक कि हम पूरी समस्या को अच्छी तरह समझ न लें और उसके लिये अपने को तैयार न कर लें। जब तक आप किसी काम को पूरा करने के लिये अपने को तैयार न कर लें, तब तक उसके बारे में कोई कदम उठाना या कदम उठाने का शोर मचाना अक्लमंदी नहीं है। जब तक आप कोई कारगर कदम उठाने के लिये अपने को तैयार न कर लें और समस्या हल करने के दूसरे सभी उपाय कर के न देख लें, तब तक कदम उठाने की बातें करना अक्लमंदी नहीं होगी। भारत का ही नहीं, अन्य देशों के भी काम का सामान्य तरीका यही है। और फिर भारत तो शान्तिपूर्ण ढंग में ही विश्वास रखता है। संसार के बड़े से बड़े, ताकतवर से ताकतवर देश भी इसी तरीके से काम करते हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाया है कि फौजें भेज दी जायें, लड़ाई शुरू कर दी जाये, बड़े या छोटे पैमाने पर। इस तरीके से तो दुनिया का कोई भी देश नहीं चलता। बड़े से बड़े दुश्मन भी इस तौर-तरीके पर नहीं चलते।

बात बिलकुल साफ है कि अगर बदकिस्मती से भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी, तो वह एक बड़ी भयानक जंग होगी। न तो चीन हमारे देश पर काबिज़ हो सकता है, और न हमारा देश चीन पर। दोनों बहुत बड़े-बड़े देश हैं, और दोनों में से कोई भी इतना कमजोर नहीं। और अगर जंग होती है, तो उसके लिये तैयारी भी होगी; आखिर झंडियां हिला कर या जुलूस निकाल कर, या ऐसे ही और काम करके तो तैयारी नहीं की जाती। वह जंग एक ऐसी जंग होगी, जिसका असर दुनिया भर में दूर-दूर तक हो सकता है—यकीनन होगा। वह जंग एक पूरी पीढ़ी तक, दसियों साल तक भी चल सकती है। कोई छोटी-मोटी चीज नहीं होगी कि पुलिस के दस्तों को भेज कर यहां-वहां कुछ दबा दिया जाये। वह जंग हमारे देश की उन सभी चीज़ों को तहस-नहस कर सकती है जो हम अपने यहां खड़ी करने, बनाने की कोशिश कर रहे हैं; कम से कम उन पर एक बड़ा असर तो डालेगी ही।

हमें इन सभी बातों पर गौर करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा है कि इस मसले के बारे में सब से बुनियादी बात यह है कि चीन क्या रुख अपनाता है, चीन सरकार आज के हालात में और आगे चल कर भी क्या करने की सोच रही है इसके बारे में। मैं तो समझता हूं कि चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना हमारे लिये बड़ी अहमियत की बात है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि किसी ताकतवर देश के आगे घुटने टेककर उससे दोस्ती की जा सकती है। दोस्ताना ताल्लुकात बनाने का यह तरीका नहीं होता कि लाठी के आगे झुका जाये। अगर आप अपनी इज्जत नहीं कर सकते, अपनी हिफाज़त खुद नहीं कर सकते, तो दूसरे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। हमारा आत्म-सम्मान इसी में है कि हम इस मामले में नरमी का रुख अख्तियार न करें। फिर भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि चीन और भारत जैसे दो इतने बड़े और ताकतवर देशों का एक लम्बे अर्से तक एक-दूसरे से जूझते रहना ठीक नहीं होगा आज के हालात में। यही सब से अहम चीज है। इन दोनों का आपस में जूझते रहना पूरे एशिया ही नहीं समूचे संसार के लिये बड़ा मानी रखता है। अगर इन दोनों में जंग छिड़ गई, तो किसी भी दिन वह सारे संसार की जंग बन सकती है।

अफसोसनाक बात तो यह है कि जंग और अमन के इस इतने अहम मसले के बारे में भी हमारे कुछ माननीय सदस्य बड़ी सरसरी तौर पर सोचते हैं। उनको इसका तजुर्बा नहीं है, इसीलिये वे इन सभी नतीजों को नहीं देख पाते।

आइये, अब इसके कुछ दूसरे पहलुओं पर, थोड़ी और दूर तक नजर डालिये। श्री ही० ना० मुकर्जी को इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा, ऐसी उम्मीद है। कुछ अखबारों में, और भी कई हल्कों में, कहा जा रहा है कि कम्युनिस्ट दुनिया में, कम्युनिस्ट देशों में भी आपस में एक काफी बड़ा टकराव

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हो रहा है—विचारधारा, या कहिये उसूलों को लेकर । जो भी हो, मतलब यह कि अलग-अलग कम्युनिस्ट देशों का अपना अलग-अलग तरीका हो रहा है, सोचने का । वे अपनी-अपनी तरफ खींचा-तानी कर रहे हैं । मैं नहीं कहता कि वे एक-दूसरे के खिलाफ़ खड़े हो रहे हैं, या अपना नाता तोड़ रहे हैं । लेकिन, उनमें रस्साकशी चल रही है, इसमें शक नहीं ।

मुझे भी उससे दिलचस्पी है, यह दिलचस्पी नहीं कि किसकी विचारधारा, या नजरिया ठीक है और किसकी ग़लत । मुझे दिलचस्पी इस बात से है कि उनकी इस रस्साकशी का समूचे संसार और उसकी समस्याओं पर क्या असर पड़ता है । उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता । इसलिये नहीं कि हमारे देश में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी मौजूद है । वह तो एक छोटी सी बात है; बड़ी चीज़, काफी बड़ी अहमियत का मसला तो यह है कि कम्युनिस्ट देशों की इस रस्साकशी का दुनिया पर क्या असर पड़ता है । अगर यह बात वाकई सही है कि चीन सरकार बुनियादी तौर पर सह-अस्तित्व के उसूल को नहीं मानती, अगर वह पूंजीवादी दुनिया और समाजवादी दुनिया में टक्कर होना अनिवार्य समझती है, तो उससे काफी खतरनाक नतीजे निकलते हैं । तब एक बड़ी भयानक तसवीर हमारे सामने आ जाती है । अगर पूंजीवाद या समाजवाद, या कहिये कम्युनिज्म का मसला जरूरी तौर पर जंग के जरिये ही तय होना है, तो उसका मतलब यही होता है कि समूची दुनिया को जंग के से हालात में रहना पड़ेगा, शीत युद्ध और वह भी बड़ी तेजी से चलता ही रहेगा जो कभी भी जंग की शक्ल ले सकता है । सोवियत सरकार इसे नहीं मानती, मैं तो यही समझा हूं । दोनों के सोचने के तरीके में यही फ़र्क़ है, और जाहिर है कि इसकी बड़ी अहमियत है ।

अभी एक दो दिन हुए प्रोफेसर मुकर्जी ने मुझ से पूछा था, या चुनौती दी थी, उस पर मैं ने दो या तीन लोगों की स्पीचों की रिपोर्टें पढ़ कर सुनाई थीं । उन में से एक पश्चिमी बंगाल विधान सभा के सदस्य भी हैं । उन्होंने मेरे पास उस पर ऐतराज करते हुए तार भेजा है कि उन्होंने वैसी स्पीच नहीं दी । लेकिन बात इतनी ही नहीं है कि उन्होंने खुद क्या कहा या क्या नहीं । मैं तो कहता हूं कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल शाखा ने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है, जिस में करीब-करीब वही बातें कही गई हैं । सवाल किसी की जाती राय का नहीं है । कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल शाखा अपनी पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी के खिलाफ़ चल रही है । सभी जानते हैं । बंगाल शाखा के प्रस्ताव में एक मोटे तौर पर केन्द्रीय कार्यकारिणी के चीन सम्बन्धी प्रस्ताव की बड़ी कड़ी आलोचना की गई है ।

†**श्री मुहम्मद इलियास** (हावड़ा) : मैं खुद बंगाल पार्टी का सदस्य हूं । कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल परिषद् ने ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया । परिषद् ने केन्द्रीय कार्यकारिणी के कुछ कामों की आलोचना जरूर की है, पर उस तरह नहीं जैसा आप बता रहे हैं कि बंगाल विधान सभा के एक सदस्य ने ऐसा कहा था ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने यह तो नहीं कहा कि उन माननीय सदस्य और उस प्रस्ताव के अल्फाज़ बिलकुल एक ही हैं । मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने बड़े सोच-विचार के बाद एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें भारत-चीन सीमा पर होने वाले हमले, वगैरह के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी की नीति पेश की गई थी; और उसमें पहली बार एक ज्यादा साफ तौर पर चीन की आलोचना की गई थी । उसके बाद, कम्युनिस्ट पार्टी की बंगाल शाखा ने उस प्रस्ताव की आलोचना की है, और (**अन्तर्बाधायें**) . . .

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : केन्द्रीय कार्यकारिणी के प्रस्ताव में कई मसलों को लिया गया है, मुख्यतया कुछ सैद्धान्तिक प्रश्नों को उसमें लिया गया है, खास तौर से यह कि आज की परिस्थिति में शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के विचार को अमल में कैसे लाया जाये। पश्चिमी बंगाल समिति ने उससे कुछ बातों पर असहमति प्रकट की है। लेकिन पूरी कम्युनिस्ट पार्टी का रुख भारत-चीन के प्रश्न पर क्या हो, यह तो पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के प्रस्ताव से ही तय होगा। बंगाल शाखा मेरठ में पास हुए प्रस्ताव के विरुद्ध न गई है और न जा सकती है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं उन प्रस्तावों पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तो वही कह रहा हूं जो आम जानकारी की बात है। खैर, यह एक बुनियादी मसला है कि दुनिया में जंग हो या नहीं। और इस के बारे में चीन सरकार ने जो रुख अख्तियार किया है, मेरी समझ में तो वह बड़ा ही खतरनाक है। एक बड़ा ही खतरनाक नज़रिया अपनाया है चीन सरकार ने; और चीन के लिये उसका नज़रिया और उसका अमल दोनों एक ही चीज़ें। होना तो हर देश में ऐसा ही चाहिए; लेकिन चीन में नज़रिया और अमल आपस में कुछ ज्यादा गुंथे हुए हैं। इसीलिए, अब यह एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई है और हमें हर कीमत पर उसका मुकाबला करने के लिये तैयार रहना चाहिये।

कल सभा में बरमा के प्रधान मंत्री के भारत में आगमन के बारे में कुछ कहा गया था। खेद की बात है कि प्रधान मंत्री ऊ नू का नाम भी इस में घसीट लिया गया है। हमारे देश के कई अखबारों ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रधान मंत्री ऊ नू चीन और भारत के बीच पंच बन कर आये हैं और चीन का संदेश लाये हैं। बिलकुल बेबुनियाद बात है, इस मनगढ़न्त कहानी में सचाई की झलक तक नहीं। ऊ नू ने पहले कभी भारत-चीन की समस्या के बारे में हमें कुछ नहीं लिखा था; इस सम्बन्ध में तो कभी कुछ लिखा ही नहीं था। मैं एक-डेढ़ साल पहले की बात नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कभी-कभी परिस्थिति के बारे में मेरे ख्यालात पूछे थे। हमारे बीच पत्र-व्यवहार होता रहा है। मैं ने उनको अपने ख्यालात बता दिये थे। उन्होंने भारत आने का फैसला बहुत अर्से पहले किया था। वह भारत में कुछ बौद्ध तीर्थ-स्थानों की यात्रा के लिये आये हैं; करीब-करीब हर साल आते हैं। यहां आने पर उन्होंने मुझ से सिर्फ इतना कहा था कि वह चीन सरकार के साथ हुई बरमा की सन्धि के बारे में मुझे बताना चाहते हैं, इसलिये कि पिछले ३-४ साल से उस मामले से मेरा काफी ताल्लुक रहा है। मैं उस के बारे में लिखा-पढ़ी करता रहा हूं। उसके बारे में मैं ने प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई को भी लिखा था। इसीलिये उसके बारे में मुझे बताना उन्होंने जरूरी समझा कि सीमा की अपनी समस्या को उन्होंने किस तरह हल किया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। भारत-चीन की समस्या के बारे में उन्होंने संदेश देना तो दूर, किसी बात का इशारा तक नहीं किया।

कुछ माननीय सदस्यों ने उनकी आलोचना की है। इसलिये कि उन्होंने अखबार के लोगों से सवाल-जवाब के वक्त कहा था कि उनकी राय में प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई सद्भावी हैं। उनके इस कथन का यह मतलब निकाला गया कि हम सद्भावना से काम नहीं कर रहे हैं। क्या सभा का कोई भी माननीय सदस्य स्वीकार करता है कि उस कथन का यह मतलब हो सकता है ? क्या प्रधान मंत्री ऊ नू उसके अलावा कुछ और भी कह सकते थे ? क्या जिम्मेदार आदमी इसी ढंग से काम करते हैं ? दुनिया में इतने सारे झगड़े चल रहे हैं, लेकिन उसकी वजह यह नहीं है कि कुछ सद्भावी आदमी कुछ दूसरे आदमियों के खिलाफ़ जो सद्भावी नहीं हैं लड़ रहे हैं। झगड़ों की वजह यह है कि दोनों तरफ बराबर के सद्भावी लोग हैं। उनको सही या ग़लत कहा जा सकता है, पर आप

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

उनको यह नहीं कह सकते कि वे सद्भावी नहीं। दोनों तरफ के लोग बड़ी ईमानदारी से अपनी-अपनी बात को सही समझते हैं। यही तो मुश्किल हैं। ऐसे आदमियों को तो जो ईमानदार नहीं, बदला भी जा सकता है, लेकिन जब दो ईमानदार आदमी एक दूसरे के खिलाफ़ खड़े हों, तो उनको बदलना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों ही अपने जमे-जमाये विश्वासों और समझे-बूझे नज़रियों पर ईमानदारी से डटे रहते हैं। उसी से टकराव पैदा होता हैं। ऐसे आदमियों से तो, जो ईमानदार न हों, समझौता हो भी सकता है, लेकिन जो आदमी ईमानदारी से किसी उसूल पर डटा हो, या किसी चीज पर यकीन करता हो, उसे डिगाना मुश्किल होता है। ऊन हमारे बड़े अजीज दोस्त हैं। हमारी दोस्ती कई साल की है। इसलिये ऐसा सोचना या नतीजा निकालना बिलकुल ग़लत है, बेबुनियाद है कि उन्होंने जो उस तरह से चाऊ एन लाई को ईमानदार बताया तो इसका यह मतलब हुआ कि हम ईमानदार नहीं।

मैं ने सभा का कुछ ज्यादा वक्त ले लिया है। फिर भी मुझे एक बात और कहनी है। इसलिये कि कांगो हो, या कोई दूसरा देश, गड़बड़ी होने की सब से बड़ी वजह यही है कि बड़ी बड़ी ताकतों में टकराव है, और उसके कारण छोटे-छोटे देश भी शीत युद्ध की लपेट में आ जाते हैं। इण्डो-चीन राज्यों की मिसाल देखिये; लाओस को लीजिये। आज से पांच-छै साल पहले जब जिनेवा सम्मेलन में समझौता हुआ था, तब यह बात बिलकुल साफ ढंग से उभर कर हमारे सामने आ गई थी कि उन राज्यों का अस्तित्व तभी बना रह सकता हैं जब कि वे शीत-युद्ध में शामिल न हों; मतलब यह कि बड़ी-बड़ी फौजी ताकतों के गुट वहां दखलंदाजी न करें, क्योंकि अगर एक गुट दखलंदाजी करेगा तो दूसरे गुट के देश भी उसमें जरूरी तौर पर दखलंदाज़ी करेंगे। और, उसका नतीजा यही हो सकता है कि दोनों में टक्कर हो। लाओस, वियतनाम और कुछ दूसरे तरीके से कम्बोडिया के लिये भी, जिनेवा समझौते में यही तय किया गया था। अब वहां अन्दरूनी गड़बड़ियां चल रही हैं। लाओस के प्रधान मंत्री श्री सोवन्ना फौम अभी इस वक्त एक 'तटस्थ' सरकार बनाने की कोशिश में हैं--उसके लिये कोई बेहतर लफ्ज़ नहीं मिल रहा है। उनको थोड़ी-बहुत सफलता भी मिल रही है लेकिन उनके रास्ते में बड़ी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, इसलिये कि अगर एक पार्टी उसे एक ओर खींचती है तो दूसरी पार्टी दूसरी तरफ। लाओस और दक्षिण-पूर्व एशिया के सभी देशों को बचाने का एक यही तरीका है कि उनको शीत-युद्ध से दूर रखा जाये। तब अलग-अलग पार्टियां देश को अलग-अलग दिशाओं में घसीटने की कोशिश नहीं करेंगी।

कहने की ज़रूरत नहीं, कि मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता। इन में से ज्यादातर संशोधन तो लम्बे-लम्बे निबन्धों के रूप में हैं। वे इतने लम्बे-लम्बे हैं कि वैसे भी उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सभा द्वारा विचार और अनुमोदन के लिये श्री दी० चं० शर्मा का संशोधन रखता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम संशोधनों को लेंगे।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता।

स्थानापन्न प्रस्ताव, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री वाजपेयी और श्री कामले उपस्थित नहीं हैं। उनके संशोधन अस्वीकृत माने जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर, यह रखा जाये, अर्थात् :—

"कि यह सभा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर, विशेष रूप से उन विषयों के बारे में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू अधिवेशन में उसके सामने आये हैं, विचार करने के पश्चात् भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति का अनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् लोक-सभा, गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

{ बुधवार, २३ नवम्बर, १९६० / २ अग्रहायण, १८८२ (शक) }

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	८९१—९१७
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३६४	भूख के खिलाफ आन्दोलन . . .	८९१—९४
३६६	डाक तथा तार मुख्य कार्यालय, भुवनेश्वर . .	८९४–९५
३६८	डीजल इंजन .	८९५—९७
३६९	इन्टीग्रल कोच फैक्टरी में फर्निशिंग यूनिट .	८९७–९८
३७०	खंडवा–हिंगोली रेल मार्ग .	८९९
३७१	आम के लिये रेल भाड़ा की दरें . . .	८९९–९००
३७२	आसाम के उपद्रवों में रेलवे सम्पत्ति की हानि	९००—०२
३७३	उड़ीसा की बाढ़ में रेलवे सम्पत्ति की हानि	९०३—०५
३७४	तार के संदेश	९०५—०७
३७५	भागलपुर में रेल दुर्घटना . . .	९०७–०८
३७७	पोलेंड से जहाज . .	९०९
३७८	पी० एल० ४८० के अधीन गेहूं का आयात . .	९१०–११
३७९	टेल्को	९११–१२
३८०	विमान–यात्रा पर प्रतिबन्ध . .	९१३–१४
३८१	नागार्जुन सागर परियोजना . . .	९१४–१५
३८२	उड़ीसा में बाढ़	९१५—१७
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	९१७—७२
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३६३	बोइंग ७०७ जेट विमान	९१७–१८
३६५	कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा सामान की खरीद . .	९१८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६७	सहकारिता विकास	९१८
३७६	सड़क परिवहन में डीजल का प्रयोग	९१८–१९
३८३	राजस्थान में भाखड़ा नहर	९१९
३८४	बम्बई–कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजपथ	९१९
३८५	कूअम नदी योजना	९२०
३८६	रेलवे की नियोजन शक्ति	९२०–२१
३८७	बहुप्रयोजनीय खाद्य	९२१
३८८	पर्यटकों के लिये शराब के परमिट	९२१
३८९	दिल्ली में बिजली की रेलें	९२२
३९१	दिल्ली–मद्रास जनता एक्सप्रैस से चांदी की सिल्लियों का लूटा जाना	९२२–२३
३९२	गन्ने का मूल्य	९२३
३९३	खाद्य उपमंत्री का अमरीका और कनाडा का दौरा	९२३–२४
३९४	दिल्ली में स्कूटर	९२४
३९५	पथरकन्डी–धरमनगर लाइन	९२५
३९६	उड़ीसा में अनाज के लिये राजसहायता	९२५
३९७	रेलवे वर्दी समिति	९२६
३९८	विजयवाड़ा–गुडुर सेक्शन	९२६
३९९	सहकारी ढंग से खेती	९२६–२७
४००	परिवार नियोजन	९२७–२८
४०१	कटक में बेतार के तार का स्टेशन	९२८–२९
४०२	उर्वरक	९२९
४०३	दिल्ली में भूमि का अर्जन	९२९–३०
४०४	पैकेज प्रोग्राम	९३०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५८२	उड़ीसा में सड़कें	९३०–३१
५८३	औषध नियन्त्रण अधिनियम	९३१
५८४	उत्तर रेलवे के असिस्टेंट सर्जनों के लिये क्वार्टर	९३१
५८५	चित्तरंजन का इंजन बनाने का कारखाना	९३१–३२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

५८६ रेलवे कर्मचारियों की नौकरी की समाप्ति . ९३२
५८७ पश्चिम रेलवे के स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्ष . ९३२
५८८ तटीय नौवहन ९३२-३३
५८९ समुद्रपार नौवहन ९३३
५९० पत्तनों पर यातायात . . ९३३
५९१ डाकघर ९३४-३५
५९२ टेलीफोन कार्यालय . ९३५
५९३ टेलीफोन ९३५-३६
५९४ डाकघर ९३६
५९५ अलीगंज रेलवे स्टेशन ९३६-३७
५९६ लाहौल घाटी में शाखा डाकघर . . . ९३७
५९७ महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजपथ ९३७
५९८ टेलीफोन के कनेक्शन . . . ९३७-३८
५९९ उत्तर रेलवे में शौकिया नाटक क्लब . ९३८
६०० पठानकोट स्टेशन ९३८-३९
६०१ पंजाब में कृषि विकास . . ९३९
६०२ गेहूं की प्रति-व्यक्ति वर्तमान खपत ९३९
६०३ पंजाब में स्वास्थ्य परियोजनायें . . ९३९-४०
६०४ नज़फगढ़ का गन्दा नाला ९४०
६०५ दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें . ९४०
६०६ उत्तर रेलवे में विभागीय भोजन व्यवस्था . ९४०-४१
६०७ दिल्ली राज्य में वन–महोत्सव . . . ९४१
६०८ शोरानूर में ऊपरी पुल . . . ९४१
६०९ तीसरे दर्जे के सोने की व्यवस्था वाले नये डिब्बे ९४२
६१० दिल्ली दुग्ध योजना ९४२
६११ दिल्ली में रेलों का विस्तार . . ९४२
६१२ कुनैन के इंजेक्शन ९४३
६१३ उत्तर प्रदेश में सड़कें . . ९४३
६१४ सफदरजंग–कुतुबमीनार सड़क पर रोशनी . . . ९४३-४४
६१५ बाढ़ सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति . ९४४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६१६	सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं के लिये उड़ीसा की योजनायें	६४४-४५
६१७	भुवनेश्वर स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल .	६४५
६१८	गोखले समिति	६४५-४६
६१९	उड़ीसा में चिकित्सा शिक्षा योजनायें . . .	६४६
६२०	अन्तर्राष्ट्रीय भूमि विज्ञान कांग्रेस	६४६-४७
६२१	यात्री बसों के लिये परमिट	६४७
६२२	रेलवे में सामयिक मजदूर	६४७
६२३	केन्द्रीय मानसिक स्वास्थ्य परिषद् . . .	६४७-४८
६२४	स्टेशनों का नवनिर्माण	६४८-४९
६२५	मैड्रिड में विश्व विद्युत् सम्मेलन . . .	६४९-५०
६२६	केरल इंजीनियरी अनुसन्धान संस्था . . .	६५०
६२७	नदी घाटी परियोजनाओं के लिये भूमि—परीक्षण प्रयोगशाला .	६५०
६२८	मनमाड-नरदाना-इन्दौर रेलवे परियोजना .	६५१
६२९	खेतड़ी को जाने वाली रेलवे लाइन . . .	६५१
६३०	फर्रुखाबाद के निकट रेलवे दुर्घटना . .	६५१-५२
६३१	भारतीय नौवहन सेवा में विदेशी .	६५२
६३२	रेडियो-टेलीफोन सेवा . .	६५२-५३
६३३	दिल्ली में सहकारी समितियों को ऋण . .	६५३
६३४	बालासोर स्टेशन पर पीने का पानी . . .	६५४
६३५	लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज में विद्यार्थियों का प्रवेश .	६५४-५५
६३६	मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलना . . .	६५५-५६
६३७	स्टेशनों का विद्युतीकरण . . .	६५६
६३८	दिल्ली मेल का देर से चलना . . .	६५६
६३९	मेहसाना स्टेशन का सहायक स्टेशन मास्टर .	६५६-५७
६४०	विलम्ब शुल्क . . .	६५७
६४१	नलकूप	६५७
६४२	ओइरिया स्टेशन	६५८
६४३	हिमाचल प्रदेश में फलों के पोधे लगाना . .	६५८
६४४	डिब्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर अप्रेंटिस के विरुद्ध कार्रवाई .	६५८

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६४५	वन-विकास	९५९-६०
६४६	चीनी की फैक्टरियां	९६०
६४७	पंजाब में भूमिहीन खेतिहर मजदूर	९६०-६१
६४८	रेवाड़ी–फुलेरा मार्ग पर नया स्टेशन	९६१
६४९	खाद्य उत्पादन व्यवस्था का पुनर्गठन	९६१
६५०	डूमबूर जल–विद्युत् परियोजना	९६१
६५१	अन्वेषणात्मक नल-कूप	९६१-६२
६५२	रतलाम और इन्दौर के बीच छोटे रेलवे स्टेशन	९६३
६५३	रेलवे हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल	९६३
६५४	स्टेशनों पर प्रतीक्षालय	९६३-६४
६५५	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें	९६४
६५६	जंगली जानवर	९६४-६५
६५७	खंभात पत्तन	९६५-६६
६५८	गाड़ी में उपद्रवी	९६६
६५९	डाक टिकट	९६७
६६०	रेलवे स्लीपर	९६७
६६१	उड़ीसा में पर्यटक सूचना केन्द्र	९६७
६६२	उड़ीसा में मध्यम सिंचाई परियोजनायें	९६८
६६३	सलिया परियोजना	९६८
६६४	गार्हस्थ्य विज्ञान केन्द्र	९६८
६६५	केन्द्रीय तम्बाकू समिति	९६९
६६६	बंगलौर–पूना मेल और बंगलौर–पूना एक्सप्रैस	९६९
६६७	तार तथा टेलीफोन सम्बन्धी सुविधायें	९६९-७०
६६८	सार्वजनिक स्वास्थ्य के समन्वित कोर्स में नर्सों के लिये प्रशिक्षण	९७०
६६९	उदयपुर–हिम्मतनगर लाइन	९७०
६७०	दिल्ली दुग्ध योजना	९७०-७१
६७१	शारदा सागर बांध	९७१
६७२	चपरमुख स्टेशन पर गाड़ी का पटड़ी से उतर जाना	९७१
६७३	महाराष्ट्र में चीनी के सरकारी कारखाने	९७१-७२

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९७२--७५

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५१ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, १९६० ।

(दो) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान तथा चावल (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(तीन) दिनांक १० सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०५३ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(चार) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०७९ में प्रकाशित चावल तथा धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

(पांच) दिनांक १६ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०९१ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

(छै) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११२ ।

(सात) दिल्ली (अतिथि नियंत्रण) आदेश, १९५९ को रद्द करने वाली दिनांक २५ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११३ ।

(आठ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११४ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमांत पर लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६० ।

(नौ) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११५ में प्रकाशित बम्बई गेहूं (लाने ले जाने पर नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(दस) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११६ में प्रकाशित बम्बई चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(ग्यारह) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १११७ में प्रकाशित गेहूं को एक दूसरे ज़ोन में ले जाने पर नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः)

(बारह) दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या १११८ में प्रकाशित बम्बई रोलर आटा मिलें (गेहूं के प्रयोग का विनियमन) संशोधन आदेश, १९६० ।

(तेरह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११५७ में प्रकाशित दिल्ली रोलर आटा मिलें (गेहूं उत्पाद) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(चौदह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६० में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(पन्द्रह) दिनांक २८ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६१ में प्रकाशित चावल तथा धान (आसाम) तीसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(सोलह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६८ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(सतरह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६९ में प्रकाशित चावल तथा धान (आन्ध्र प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश, १९६० ।

(अठारह) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७० में प्रकाशित दिल्ली चावल (निर्यात नियंत्रण) संशोधन आदेश, १९६० ।

(उन्नीस) दिनांक १ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११७१ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं तथा गेहूं उत्पाद (निर्यात नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६० ।

(बीस) दिनांक ८ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११९७ ।

(इक्कीस) दिनांक १० अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२०२ में प्रकाशित चीनी नियंत्रण (पाण्डिचेरी राज्य) आदेश, १९६० ।

(बाईस) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२६ ।

(तेईस) दिनांक १६ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२२८ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमश :)

(चौबीस) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२४९ में प्रकाशित मनीपुर खाद्यान्न (लाना ले जाना) नियंत्रण दूसरा संशोधन आदेश, १९६० ।

(पच्चीस) दिनांक २९ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७२ में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा पार लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, १९६० ।

(छब्बीस) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७६ में प्रकाशित चावल (पंजाब) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

(सत्ताईस) दिनांक २७ अक्तूबर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७७ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

(अठाईस) दिनांक ५ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३०८ ।

(उन्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३६ में प्रकाशित दिल्ली चावल (निर्यात नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, १९६० ।

(तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३७ में प्रकाशित दिल्ली गेहूं और गेहूं की चीजें (निर्यात नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, १९६० ।

(इकत्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३८ में प्रकाशित चावल (दक्षिणी खंड) लाना ले जाना नियंत्रण संशोधन आदेश, १९६० ।

(बत्तीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३३९ में प्रकाशित राजस्थान खाद्यान्न (सीमान्त लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६० ।

(तेंतीस) दिनांक १२ नवम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३४० में प्रकाशित मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमान्त लाने ले जाने पर रोक) संशोधन आदेश, १९६० ।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत चीनी (यातायात) नियंत्रण, आदेश, १९५९ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १०८० ।

(दो) दिनांक २३ सितम्बर, १९६० की जी० एस० आर० ११५५ ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

(तीन) दिनांक १५ अक्तूबर, १९६० की जी० एस० आर० १२१९।

(चार) दिनांक ९ नवम्बर, १९६० की जी० एस० आर० १३४४।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ९७५

बहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५–१०१७

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में २२–११–६० को प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही। प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने वादविवाद का उत्तर दिया। श्री ब्रजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव पर आग्रह नहीं किया गया। श्री वाजपेयी और श्री बा० चं० कामले द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव मतदान के लिये नहीं रखे गये, अतः उन्हें अस्वीकृत माना गया। श्री दी० चं० शर्मा द्वारा २२–११–६० को प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि–

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, खंडवार विचार और उसका पारित किया जाना।

MGIPND—LSIII—1395 (Ai) LSD—6-12-60—115